अंक 33 । संख्या 1 । जनवरी 2026

विशेष संस्करण

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

रिपोर्ट

मानव अधिकार दिवस 2025

परामर्श

दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धताः सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की गतिविधियों का सारांश

(जनवरी से दिसंबर 2025)

विशेष संस्करण

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 । संख्या 1 । जनवरी 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, सदस्यगण, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल के साथ, नई दिल्ली में आयोजित दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलित करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोग के मानव अधिकार दिवस समारोह में स्वागत करते हुए

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 मासिक सारांश:महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय से

रिपोर्ट

5 मानव अधिकार दिवस 2025

विचार-विमर्श

14 दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धताः सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

लेख

31 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का कामकाज

34 स्वत:संज्ञान

35 राहत के लिए सिफारिशें

35 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

35 केस स्टडी

36 मौके पर पूछताछ

37 क्षेत्रीय दौरे

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

38 शीतकालीन इंटर्नशिप का उद्घाटन

39 प्रशिक्षण कार्यक्रम

40 सहयोगात्मक सम्मेलन

42 ज्ञानार्जन दौरे

43 आईटी पहल

43 एनएचआरसी के नवीनतम प्रकाशन

44 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

44 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

47 संक्षेप में समाचार

48 आगामी कार्यक्रम

48 दिसंबर 2025 में प्राप्त शिकायतें

49 भारत में एनएचआरसीकी गतिविधियों का सारांश (जनवरी से दिसंबर 2025)

74 घोषणा

74 एनएचआरसी, भारत द्वारा मार्च 2026 तक प्रयोजित कार्यक्रम

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
@NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

एनएचआरसी, भारत का जनवरी 2026 का न्यूज़लेटर एक विशेष संस्करण है। यह भारत में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के प्रति एनएचआरसी की नवीकृत प्रतिबद्धता और सार्थक भागीदारी को दर्शाता है। मुख्य समाचार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में मनाए गए मानव अधिकार दिवस पर केंद्रित है।

अपने संबोधन में माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि मानवीय गरिमा की रक्षा करना समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अंत्योदय की भावना के अनुरूप सबसे वंचित वर्गों के अधिकारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को दोहराया और नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उनके ज्ञानवर्धक संबोधन का पाठ न्यूज़लेटर के इस अंक में प्रकाशित किया गया है ताकि पाठक मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चिंता व्यक्त करने के उनके सूक्ष्म दृष्टिकोण को समझ सकें और यह जान सकें कि यह आम लोगों के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।

इस अवसर पर, माननीय राष्ट्रपति ने एनएचआरसी ऐप का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य आयोग तक जनता की पहुंच को अधिकतम करना है। यह आयोग के 30 वर्षों से अधिक के सफर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत के दो वार्षिक प्रकाशन - 'इंग्लिश जर्नल' और 'नई दिशाएं' भी जारी किए गए, जिनमें प्रख्यात लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन लेख शामिल हैं जो मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं का व्यापक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस के विषय - 'मानव अधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएं' - के अनुरूप, 'दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन ' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक सेवा वितरण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया। राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, के आधार व्याख्यान सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और अन्य प्रख्यात वक्ताओं के ज्ञानवर्धक मुख्य भाषणों ने समकालीन मानव अधिकार चर्चा पर बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

डॉ. मिश्रा के आधार व्याख्यान में भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार, अंतिम छोर तक शासन में हुई प्रगति और सामाजिक-आर्थिक, पारिस्थितिक और डिजिटल आयामों को शामिल करते हुए मानव अधिकारों के विस्तारित दायरे पर प्रकाश डाला गया, साथ ही जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गिग वर्क और डिजिटल निगरानी जैसी उभरती चुनौतियों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

सम्मेलन के दो विषयगत सत्रों में सभी के लिए बुनियादी सुविधाओं और सभी के लिए सार्वजनिक सेवाओं और गरिमा को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एनएचआरसी सदस्यों और प्रतिष्ठित वक्ताओं ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, समावेशन, प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन और पर्यावरणीय अधिकारों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसने राष्ट्र निर्माण में मानवीय गरिमा की केंद्रीयता को सुदृढ़ किया।

इस अंक में एक महत्वपूर्ण लेख भी शामिल है जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई में आयोजित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के कामकाज पर राष्ट्रीय परामर्श में अध्यक्ष के संबोधन को दर्शाया गया है, जो आपराधिक न्याय सुधार और पुनर्वास न्याय के साथ एनएचआरसी की भागीदारी को प्रतिबिंबित करता है।

इसके अलावा, नियमित कॉलम हैं जो एनएचआरसी के मुख्य वैधानिक कार्यों और हस्तक्षेपों का अवलोकन प्रदान करते हैं, जिनमें स्वतः संज्ञान के मामले, राहत के लिए सिफारिशें, पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान, केस स्टडी, मौके पर जांच, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षेत्र दौरे शामिल हैं, जो मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आयोग के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

क्षमता निर्माण एक प्रमुख केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसके तहत आयोग का एक महीने का शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम उसके परिसर में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से 80 प्रशिक्षुओं का चयन किया

गया। यह इंटर्नशिप संवैधानिक मूल्यों, न्याय और सार्वजनिक सेवा पर आधारित मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने के आयोग के प्रयासों को उजागर करती है।

दिसंबर 2025 में, देहरादून स्थित आईजीएनएफए में नेतृत्व विकास (चरण 5) पर आयोजित मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, मैंने वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। यह कार्यक्रम मानवीय मूल्यों, सुशासन और भारत के मानव अधिकार ढांचे पर केंद्रित था। चर्चा में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन, लोक सेवा में नैतिक नेतृत्व, संवैधानिक सिद्धांत, सुलभ न्याय और मानव अधिकारों के क्षेत्र में भारत के वैश्विक योगदान पर बल दिया गया। मैंने 2025 बैच के उन आईएफएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी संबोधित किया, जिन्होंने हाल ही में प्रशिक्षण के लिए अकादमी में प्रवेश लिया है। मैंने इस बात पर जोर दिया कि सिविल सेवा किस प्रकार देश और जनता की सेवा करने और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोजकर उसे सार्थक बनाने का अवसर प्रदान करती है।

चूंकि यह नव वर्ष 2026 का पहला संस्करण है, इसलिए यह मुझे अंत में एक रिपोर्ट के माध्यम से वर्ष 2025 में मानव अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन पर आयोग के कार्यों की कुछ मुख्य बातों पर विचार करने का अवसर भी प्रदान करता है। जिज्ञासु लोगों के लिए, कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार उल्लंघन के कुल 76,252 मामले दर्ज किए। इनमें से 113 मामले स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए थे, जो मानव अधिकार मुद्दों के प्रति आयोग के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। दर्ज किए गए मामलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिरासत में हुई मौतों से संबंधित था। विशेष रूप से, इनमें पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 165 मामले और न्यायिक हिरासत (यानी जेलों में) में हुई मौतों के 2,338 मामले शामिल थे। पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों से संबंधित 192 मामले थे।

इसी अवधि में, पिछले वर्षों से लंबित मामलों सहित 38,800 मामलों का निपटारा किया गया। 145 मामलों में, आयोग ने 7.3 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक राहत की सिफारिश की। मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए आयोग द्वारा पूरे वर्ष किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप, विभिन्न चरणों में विचाराधीन 44,688 मामले आयोग के समक्ष हैं। आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघनों के मामलों में 74 मौके पर जांच भी की। ओडिशा के भुवनेश्वर और तेलंगाना के हैदराबाद में दो शिविर बैठकें और जन सुनवाई आयोजित की गई। पीड़ितों को मौके पर राहत प्रदान करने की सिफारिश करने से पहले, दोनों राज्य सरकारों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मानव अधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं की बात सुनी गई।

पूरे वर्ष के दौरान, आयोग ने व्यापक स्तर पर सम्मेलनों, सेमिनारों, खुली चर्चाओं, कार्यशालाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और इंटर्नशिप का आयोजन किया, जिन्होंने सामूहिक रूप से मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रति इसके सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एनएचआरसी, भारत की सक्रिय भागीदारी सुदृढ़ और रणनीतिक बनी रही। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रमों के माध्यम से, आयोग ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी करते हुए वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की, जिससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूती मिली और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हुआ। एनएचआरसी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 58वें नियमित सत्र, गनहरी बैठकों और पैलेस डेस नेशन्स में आयोजित 'भारत में मानव अधिकार: पाठ्यक्रम और विमर्श' सेमिनार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां इसने वैश्विक प्रतिनिधियों, स्थायी प्रतिनिधियों और समकक्ष संस्थानों के साथ संवाद स्थापित किया। मुझे दावोस में वर्ल्ड वुमन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'भारत का समानता मूनशॉट' को संबोधित करने का अवसर भी मिला, जिसमें समावेशी शासन, महिला सशक्तिकरण और समानता पर प्रकाश डाला गया। प्रतिनिधिमंडल के दौरों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाओं में भागीदारी ने वैश्विक मानव अधिकार विमर्श में भारत की दृश्यता और रचनात्मक भागीदारी को और बढ़ाया।

ये सभी सम्मेलन, सेमिनार, ओपन हाउस चर्चाएं, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, मानव गरिमा और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संवाद, क्षमता निर्माण, संपर्क और सहयोग के प्रति एनएचआरसी की वर्ष भर की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आशा है कि न्यूज़लेटर का यह विशेष अंक आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। आप सभी को आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

भरत लाल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति का मानव अधिकार दिवस 2025 के अवसर पर सम्बोधन

▶ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और भारत में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहक रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री आरेती सियानी के साथ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानव अधिकार दिवस समारोह में उपस्थित रही

एनएचआरसी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में इसी दिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूएचडीआर) की स्मृति में मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मुख्य अतिथि के रूप में इसे संबोधित किया। इस कार्यक्रम में एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ; सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक विज्ञापन अंतरिम, सुश्री अरेती सियान्नी राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य; न्यायपालिका के सदस्य; वरिष्ठ सरकारी अधिकारी; राजनयिक; मानव अधिकार संरक्षक; गैर सरकारी संगठनों नागरिक समाज के प्रतिनिधि शिक्षाविद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि मानव अधिकार दिवस हमें यह याद दिलाने का अवसर है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार अविभाज्य हैं और वे एक

▶ भारत की माननीय राष्ट्रपति उपस्थित विशिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए

▶ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपस्थित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति

न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की नींव हैं। भारत ने मानव अधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मानवीय गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित विश्व की कल्पना की थी। उन्होंने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर बात की, जो अत्यंत प्रभावशाली थे। उनके भाषण का पाठ इस प्रकार है:

"राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यगण, डॉ. न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन षड़ंगि जी, श्रीमती विजया भारती सयानी जी, महासचिव, श्री भरत लाल जी, भारत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक निवासी समन्वयक, श्रीमती अरेती सियानी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों।"

नमस्कार, जोहर, सुप्रभात। मानव अधिकार दिवस के इस अवसर पर आप सभी के साथ जुड़कर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार अविभाज्य हैं और वे एक न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की नींव हैं।

सतहत्तर साल पहले, दुनिया एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सत्य को व्यक्त करने के लिए एक साथ आई: कि प्रत्येक मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होता है।

भारत ने मानव अधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे विश्व की कल्पना की जो मानवीय गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित हो। हमारी संविधान सभा की पंद्रह महिला सदस्यों में से एक हंसा मेहता, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाले समूह की भी सदस्य थीं। उन्होंने मसौदे में एक मूलभूत परिवर्तन का सुझाव दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस वैश्विक घोषणापत्र में निहित अधिकारों को 'केवल मनुष्य के अधिकार' के रूप में नहीं, बल्कि समावेशी और सार्वभौमिक अभिव्यक्ति, 'सभी मनुष्यों के अधिकार' के रूप में व्यक्त किया जाए। एक भारतीय महिला की व्यापक दृष्टि से इस तरह का ऐतिहासिक परिवर्तन संभव हो पाना प्रत्येक भारतीय के लिए चिरस्थायी गौरव का विषय है।

इस प्रकार, भारत ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र को एक सार्वभौमिक नैतिक संधि के सह-निर्माता के रूप में अपनाया, जो हमारी सभ्यतागत विचारधारा से गहराई से मेल खाती है। हमारा प्राचीन मूल्य 'वसुधैव कुटुंबकम', जिसका अर्थ है कि विश्व एक परिवार है, सार्वभौमिक मानव अधिकारों के विचार में परिलक्षित होता है। यह उचित ही है कि मानव अधिकार सिद्धांतों के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। इसका प्रमाण संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में सातवीं बार तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए हमारा निर्विरोध चुनाव है, जो 2026 से शुरू होगा।

आज हम समावेश के अपने प्राचीन आदर्श को भी नवप्रवर्तित करते हैं, जो 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' शब्दों में समाहित है, जिसका अर्थ है 'सभी सुखी हों'। हम 'सभी के कल्याण' की इस समावेशी भावना को एक आधुनिक प्रतिज्ञा के रूप में नवप्रवर्तित करते हैं: कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा; कि गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता; और कि न्याय भारत में प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार बना रहेगा। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है: एक ऐसा राष्ट्र बनाना जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मान और समानता के साथ जीवन व्यतीत कर सके और जहाँ

▶ माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को आकार देने में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया

मानव अधिकारों की न केवल रक्षा की जाए, बल्कि उनका सम्मान भी किया जाए।

मानव अधिकार हमारे संविधान की परिकल्पना में निहित हैं। हमारे संवैधानिक उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, "हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा।" मानव अधिकार सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।

मानव अधिकारों में भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार, बाधाओं के बिना सीखने का अधिकार, शोषण के बिना काम करने का अधिकार और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था का अधिकार शामिल है। हमने विश्व को यह याद दिलाया है कि मानव अधिकारों को विकास से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही, भारत ने हमेशा इस चिरस्थायी सत्य का पालन किया है: 'न्याय के बिना शांति नहीं और शांति के बिना न्याय नहीं।' देवियों और सज्जनों, वर्ष 2019 से, मानव अधिकार संबंधी मुद्दों के समग्र दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बाल अधिकार संरक्षण और पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को आयोग के समक्ष प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए एनएचआरसीका सदस्य माना जाता है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि भारत में एनएचआरसी, राज्य मानव अधिकार आयोग, न्यायपालिका और नागरिक समाज ने हमारे संवैधानिक विवेक के सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य किया है।

देवियो और सज्जनो,

यह बड़े संतोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों, तथा महिलाओं और बच्चों से जुड़े अनेक विषयों का स्वतः संज्ञान लिया है। मुझे बताया गया है कि अब तक आयोग ने लगभग तीन हजार मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है।

कारागारों में बंद विचाराधीन कैदियों से जुड़े विषय पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 'ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजन इनमेट्स' विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। मैं आशा करती हूं कि उक्त विषय पर विचार-विमर्श के उपयोगी परिणाम निकलेंगे।

महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण, मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तम्भ हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसे सम्मेलनों से निकले निष्कर्ष महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए मैं आयोग की पूरी टीम की सराहना करती हूं। शिक्षा, नागरिकों के सशक्तिकरण तथा उनके मानव अधिकारों की कुंजी है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थान सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराते हैं। इन संस्थानों से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला है।

Ladies and gentlemen,

It is a matter of great satisfaction that during the past few years the National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of many issues related to people of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities and women and children. I have been informed that so far the Commission has taken suo motu cognizance of about three thousand cases.

I have expressed my views on the issue related to undertrial prisoners lodged in prisons. Some efforts have also been made in this direction. I am pleased to know that on the occasion of the Foundation Day organised by the National Human Rights Commission this year, extensive deliberations were held on the subject of "Human Rights of Prison Inmates". I hope that positive outcomes will emerge from the deliberations on the said subject.

Women's empowerment and welfare are major pillars of human rights. The "Beti Bachao, Beti Padhao" cam-

▶ खचाखच भरे हॉल में ध्यान से सुन रहे श्रोतागण का एक वर्ग

paign has promoted the education of daughters, especially in those areas where the number of girls is low. It gives me pleasure to see that through many effective schemes of the government, women's economic participation, dignity and self-reliance have been strengthened. I am extremely delighted to know that the Commission organised a conference on the issue of women's safety in public places and workplaces. The conclusions emerging from such conferences can prove important in the direction of women's safety and empowerment. For this, I appreciate the entire team of the Commission. Education plays a crucial role in empowering citizens and upholding their human rights. Institutions such as Eklavya Model Residential School and PM Shri School provide access to quality education for all. Through these institutions, special encouragement has been given to the education of students from under privileged sections.

देवियो और सज्जनो,

भारत के लोग अंत्योदय में विश्वास रखते हैं। अंत्योदय का मतलब है, जो मानवता के अंतिम पायदान पर खडे हैं उन्हें हर वह सुविधा पहुंचाना जो एक नागरिक के लिए आवश्यक है। गणतांत्रिक अधिकार को समृद्ध करने के लिए हम उन तक पहुंच जाते हैं। क्या मानव अधिकार देने के लिए हम उन तक अभी तक पहुंचे हैं? यदि नहीं, तो आज से सोचना चाहिए। हम विश्वास करते हैं फर्स्ट विलेज - फर्स्ट विलेज का मतलब है, भारत की सीमा के अंत में जो गांव है- क्या उस गाँव तक हम पहुंचे हैं? यदि नहीं पहुंचे हैं तो आज से पहुंचना शुरू करें। यह केवल आयोग या सरकार का काम नहीं है यह हम सभी का काम है, समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उन लोगों तक भी मानव अधिकार की सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हम लोगों का सपना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इन्क्लूसिव का अर्थ यह नहीं है कि बस कुछ लोगों को ही साथ में लेना है। इन्क्लूसिव का अर्थ है कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों के पास हर वो सुविधा पहुँचनी चाहिए जो बड़े पदों पर बैठे लोगों को मिलती है। मैं समझती हूं जो बड़े हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ा बनना चाहिए, बड़े होने से ही तो दूसरों की सेवा की जा सकती है। लेकिन बड़े लोगों को कभी-कभी पीछे देखना चाहिए। एक अंतिम पायदान पर खड़े लोग कितनी दूर खड़े हैं और क्या 2047 तक वो हमारे पास आ पाएंगे? यदि नहीं आ पाएंगे तो आज हम लोगो को सोचना चाहिए। मै राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ लेकिन मानव अधिकार केवल एक दिन नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इसका पालन हमें 365 दिन करना चाहिए। उत्सव हो या ना हो लेकिन आत्मिक उत्सव होना चाहिए, व्यक्तिगत उत्सव होना चाहिए।

Ladies and gentlemen,

The people of India believe in "Antyodaya". "Antyodaya" means that those who are standing on the last rung of humanity should receive every facility that is necessary for a citizen. To enrich democratic rights, we reach them. Have we reached them yet to give human rights? If not, then we should think from today. We believe in First Village- First Village means, the village which is at the end of the border of India- have we reached that village? If we have not reached, then let us start from today itself. This is not only the work of the Commission or the government, this is the work of all of us, it is the duty of every citizen of society that all the facilities of human rights should also reach those people.

Our dream is to make India a developed nation by 2047. Inclusive does not mean that only some people have to be taken along. Inclusive means that every facility should reach the 140 crore citizens of India that is available to people sitting on big positions. I understand that it is a very good thing to be big. One should become big, because only then can one serve others. But big people should sometimes look back. How far are the people standing on the last rung? Will they be able to come ups by 2047? If they are unlikely to make it, then we must give a thought to it today. . I want to thank the National Human Rights Commission but human rights are not only for one day, rather I think that we should follow them for 365 days. Whether there is celebration or not, but there should be inner celebration, there should be personal celebration.

देवियो और सज्जनो,

मुझे विशेष प्रसन्नता है कि आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत, 'दैनिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र की थीम के अनुरूप है। यह भारत के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रत्येक नागरिक तक सुलभ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच को विशेष महत्व दिया गया है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारक दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

मुझे एनएचआरसी के नए मोबाइल ऐप के लॉन्च से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुझे जानकारी दी गई है कि यह ऐप एनएचआरसी की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाएगा।

कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ ऐप नहीं पहुंच सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए किस प्रकार का तंत्र विकसित किया जा सकता है, इस दिशा में भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

▶ माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विशेषाधिकार से सशक्तिकरण की ओर और दान से अधिकारों की ओर अग्रसर हो रहा है

> *There are also some places where the app cannot reach. To reach there, what kind of mechanism can be developed, in this direction also we should think seriously in this direction also.*

लोग अपनी शिकायतों की स्थिति पर भी नज़र रख सकेंगे। इससे युवा छात्रों को इंटर्नशिप और सीखने के अन्य अवसरों के लिए एनएचआरसी से संपर्क करने में भी मदद मिलेगी।

एनएचआरसी राज्य और समाज के कुछ आदर्शों को मूर्त रूप देता है। भारत सरकार इन आदर्शों को अभूतपूर्व पैमाने पर क्रियान्वित कर रही है। पिछले एक दशक में हमने अपने राष्ट्र को एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए देखा है विशेषाधिकार से सशक्तिकरण की ओर और दान से अधिकारों की ओर। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि स्वच्छ जल, बिजली, खाना पकाने की गैस, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा और बेहतर स्वच्छता जैसी दैनिक आवश्यक सेवाएं सभी को उपलब्ध हों। इससे प्रत्येक परिवार का उत्थान होता है और गरिमा सुनिश्चित होती है। गरीबों के लिए निर्मित 4 करोड़ से अधिक घरों ने आश्रय के अधिकार को सपने से हकीकत में बदल दिया है। विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लगभग 8 करोड़ लोगों तक पहुँचता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कोई भी भारतीय भूखा न सोए।

हाल ही में, सरकार ने वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों से संबंधित चार श्रम संहिताओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सुधार को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह परिवर्तनकारी बदलाव भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और अधिक लचीले उद्योगों की नींव रखता है।

ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ। केवल कमीशन या केवल गवर्नमेंट नहीं- गवर्नमेंट मशीनरी है। ऐसे भी लोग है जिनकी आँखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, कान हैं सुन नहीं पाते, मुख है बोल नहीं पाते। उनकी आँखें बनना, उनकी श्रवणशक्ति बनना, उनकी आवाज बनना हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि अधिकार हैं, सरकार दे रही है लेकिन ये अधिकार पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो मूकबधिर हैं। हम लोगों को बोलना चाहिए और सरकार के पास इस बात को पहुँचाना चाहिए।

> *This is a very good thing. I want to reiterate that it is not only the Commission or the Government; the Government machinery is there. There are also people who have eyes but cannot see, have ears but cannot hear, have mouth but cannot speak. It is our duty to become their eyes, ears and voice. Rights are there, the government is also working to ensure them, but why are these rights not reaching on the ground? Because they are mute and deaf. We should speak up for them and take up the matter with the government.*

ये सभी प्रयास मिलकर हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि प्रगति समावेशी होनी चाहिए, जो हमारे देश के हर कोने और हमारे समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

▶ माननीय राष्ट्रपति ने अधिकारों और गरिमा की रक्षा को एक साझा कर्तव्य बताया

देवियो और सज्जनों,

आज मैं प्रत्येक नागरिक से यह आह्वान करती हूँ कि वे यह समझें कि मानव अधिकार केवल सरकारों, एनएचआरसी, नागरिक समाज संगठनों और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं हैं। अपने साथी नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना हम सबका साझा कर्तव्य है। एक करुणामय और जिम्मेदार समाज के सदस्य के रूप में यह कर्तव्य हम सभी पर है। आइए हम 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें, जो समग्र विकास और सामाजिक न्याय का आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करेगा।

धन्यवाद,
जय हिंद! जय भारत!

माननीय राष्ट्रपति के संबोधन से पहले, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करना और मानव अधिकारों को अविभाज्य, अभिन्न और परस्पर निर्भर मानवीय मूल्यों के रूप में बढ़ावा देने के अपने संकल्प को निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिवस तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा जब मानव अधिकारों को मानवीय मूल्यों के स्तर तक ऊंचा उठाया जाएगा। उनका भाषण इस प्रकार है:

भारत के परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्यगण, महासचिव, विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगण,

आप सभी को मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले, मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस समारोह की अध्यक्षता करने के हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदया, इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी उपस्थिति भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए मनोबलवर्धक है और हम इस भावपूर्ण कार्य के लिए आपके आभारी हैं।

साल के 365 या 366 दिनों में से कुछ दिन विशेष महत्व रखते हैं। कुछ दिन समाज के किसी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, कुछ क्षेत्रीय महत्व के होते हैं और कुछ राष्ट्रीय महत्व के। लेकिन अगर कोई एक दिन ऐसा है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, नस्लीय, भाषाई और जातीय भिन्नताओं से परे, सभी देशों के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है, तो वह है 10 दिसंबर। यह साल के कैलेंडर का सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसने सपनों को पंख दिए, विचारों को मुक्ति दी, अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दी, दृढ़ विश्वासों को साहस दिया और मानव जाति के अस्तित्व को गरिमा प्रदान की।

दिल्ली में दिसंबर का महीना सर्दियों से जुड़ा हुआ है, भले ही प्रदूषण से न जुड़ा हो।, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिसंबर का महीना हमेशा से मानव अधिकारों से जुड़ा रहा है। इंग्लैंड के मानव अधिकार विधेयक को 16 दिसंबर 1689 को राजकोषीय स्वीकृति मिली, अमेरिकी

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन सभा को संबोधित करते हुए

संविधान के पहले 10 संशोधन, जिन्हें अमेरिकी मानव अधिकार विधेयक के नाम से जाना जाता है, 15 दिसंबर 1791 को स्वीकृत हुए और अमेरिकी संविधान का 13वां संशोधन, जिसने गुलामी प्रथा को समाप्त किया, 6 दिसंबर 1865 को स्वीकृत हुआ।

मानव अधिकारों से संबंधित नौ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, जिनमें से आठ को विभिन्न वर्षों के दिसंबर महीने में अपनाया गया था। इसलिए, दिसंबर और मानव अधिकारों के बीच एक विचित्र संबंध प्रतीत होता है। किसी भी अवसर को मनाने के कई तरीके होते हैं। हम केक काट सकते हैं, मिठाई बाँट सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, दावत कर सकते हैं और खुद को खुश कर सकते हैं। लेकिन इतिहास की किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा यह उत्सव केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करना और मानव अधिकारों को अविभाज्य, अभिन्न और परस्पर निर्भर मानवीय मूल्यों के रूप में बढ़ावा देने के अपने संकल्प को निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह उत्सव तभी अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा जब मानव अधिकारों को मानवीय मूल्यों के स्तर तक ऊंचा उठाया जाएगा।

27 मार्च, 1958 को, एलेनोर रूजवेल्ट ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूएचडीआर) की दसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया। इस भाषण में, उन्होंने एक मूलभूत प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया: मानव अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है?

उन्होंने कहा, "मानव अधिकारों की शुरुआत छोटी-छोटी जगहों से होती है, घर के आस-पास - इतनी नज़दीक और इतनी छोटी कि उन्हें दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं देखा जा सकता। फिर भी वे हर व्यक्ति की दुनिया हैं; वह पड़ोस जहाँ वह रहता है; वह स्कूल या कॉलेज जहाँ वह पढ़ता है; वह कारखाना, खेत या दफ्तर जहाँ वह काम करता है। ये वे स्थान हैं जहाँ हर पुरुष, महिला और बच्चा बिना किसी भेदभाव के समान न्याय, समान अवसर और समान सम्मान चाहता है। जब तक इन अधिकारों का वहाँ कोई अर्थ नहीं है, तब तक इनका कहीं भी कोई अर्थ नहीं है।"

इसलिए, आइए हम इस अवसर का सदुपयोग करते हुए मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति स्वयं को फिर से समर्पित करें। धन्यवाद, जय हिंद।

इस अवसर पर, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस ने अपने संदेश में, जिसे पढ़ा गया, अपनी बात रखी। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट समन्वयक, सुश्री अरेती सियान्नी, उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों को कभी भी लाभ या सत्ता के आगे गौण नहीं होना चाहिए। संदेश का पाठ इस प्रकार है:

लगभग अस्सी साल पहले, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने यह परिभाषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने और फलने-फूलने के लिए क्या चाहिए। यह एक दार्शनिक और राजनीतिक सफलता थी - और तब से यह हमारे वैश्विक समुदाय की आधारशिला रही है।

मानव अधिकार नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक-अपरिहार्य, अविभाज्य और परस्पर निर्भर हैं। लेकिन हाल के वर्षों में नागरिक स्वतंत्रता का दायरा सिकुड़ गया है। गंभीर उल्लंघन अधिकारों की घोर अवहेलना और मानवीय पीड़ा के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाते हैं।

हम सब मिलकर इन अन्यायों का सामना करने की शक्ति रखते हैं: उन संस्थानों की रक्षा करके जो मानव अधिकारों को एक जीवंत वास्तविकता बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिदिन विश्वभर के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता करता है। नागरिक समाज और सरकारों के साथ मिलकर, हम भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं; शिक्षा और चुनावों में सहयोग करते हैं; बारूदी सुरंगों को हटाते हैं; पर्यावरण की रक्षा करते हैं; महिलाओं को सशक्त बनाते हैं; और शांति के लिए प्रयास करते हैं।

लेकिन हम इसे अकेले नहीं कर सकते। यह काम हर जगह के सभी लोगों के समर्थन पर निर्भर करता है। जब हम सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं, जब हम अनदेखी नहीं करते, जब हम उन संस्थाओं के लिए आवाज उठाते हैं जो हमारे लिए आवाज उठाती हैं, तभी हम मानव अधिकारों को जीवित रखते हैं।

हमारे अधिकारों को कभी भी लाभ या सत्ता के आगे गौण नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर उनकी रक्षा करें, ताकि सभी की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आयोग एक जन-संस्था है। यह हमेशा जनता के साथ, विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग के साथ खड़ा रहता है, जिन्हें

▶ भारत में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहक रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री अरेती सियान्नी संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संदेश पढ़ते हुए

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल सभा को संबोधित करते हुए

इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उनका भाषण यहाँ प्रस्तुत है:

"आप सबको सुप्रभात,नमस्कार!

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से, मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामयी उपस्थिति से हम अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। महोदया राष्ट्रपति, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद! आपकी उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के प्रति राष्ट्र की सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का जीवन भारत की भावना और हमारे सभ्यतागत मूल्यों का एक अद्भुत प्रतिबिंब है। ओडिशा के ग्रामीण इलाके में एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मीं, उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आकांक्षाओं और संघर्षों को करीब से देखा। इन अनुभवों ने उन्हें न्याय, करुणा और सभी के लिए समान अवसर के प्रति आजीवन समर्पण के लिए प्रेरित किया।

एक स्कूली शिक्षिका के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों से लेकर ओडिशा में अपनी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा तक, उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर असाधारण संवेदनशीलता के साथ ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों के जीवन और गरिमा में सुधार लाने का समर्थन किया। झारखंड की राज्यपाल के रूप में, उन्होंने निष्ठा और साहस के साथ संवैधानिक नैतिकता को कायम रखा।

अब, भारत की राष्ट्रपति के रूप में, वे एक स्पष्ट नैतिक दिशा-निर्देश के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करना जारी रखती हैं - हमें याद दिलाती हैं कि मानव अधिकार अमूर्त सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव और हम में से प्रत्येक का कर्तव्य हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। धन्यवाद, राष्ट्रपति महोदया!

मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन का हार्दिक स्वागत हूं। उनका उत्कृष्ट न्यायिक करियर और संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता आयोग को स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व मानव अधिकार संबंधी चर्चाओं को आकार दे रहा है।

मैं आयोग के माननीय सदस्यों - न्यायमूर्ति डॉ. बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी का भी स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्य सभी के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के हमारे सामूहिक प्रयास में शक्ति के स्तंभ हैं।

मैं सुश्री अरेती सियान्नी, भारत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक रेजिडेंट कोऑर्डिनेटरजो जो यहाँ उपस्थित हैं का भी स्वागत करता हूँ, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

एनएचआरसी की ओर से, मैं राष्ट्रीय आयोगों के माननीय अध्यक्षों और सदस्यों; लोकपाल के सदस्यों; राज्य मानव अधिकार आयोगों के सदस्यों; राजनयिक समुदाय के सदस्यों; पूर्व न्यायाधीशों; वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक समाज; शिक्षाविदों; विधि बिरादरी और मानव अधिकार संरक्षकों का स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस अवसर को और भी समृद्ध बनाती है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव अधिकार दिवस 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मानवता को समानता और न्याय की सामूहिक खोज के लिए प्रेरित करता रहता है। इस वर्ष का विषय, 'मानव अधिकार: हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्यताएँ,' हमें याद दिलाता है कि अधिकारों को हर दिन, हर किसी द्वारा, हर जगह, जीना, अभ्यास करना और संरक्षित करना आवश्यक है।

हम प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने आज सुबह "दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन" पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आधार व्याख्यान दिया।

मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में दो सत्र होंगे सभी के लिए मूलभूत सुविधाएं: मानव अधिकार

▶ भारत की माननीय राष्ट्रपति एनएचआरसी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करते हुए

दृष्टिकोण; और सभी के लिए सार्वजनिक सेवा और गरिमा को सुनिश्चित करना। इन सत्रों में प्रख्यात व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। मैं सभी प्रख्यात वक्ताओं का समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस सम्मेलन का उद्देश्य सिद्धांतों को व्यवहार में बदलना है, जिससे दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सकें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक जन-संस्था है। यह हमेशा जनता के साथ, विशेषकर सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहता है - यह उन्हीं के लिए है।

ये हम सब का अटूट विश्वास है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के लोगों की संस्था है,ये लोगों के लिए है और हमेशा लोगों के साथ है|

It is our firm belief that the National Human Rights Commission is an institution of the people of India, it is for the people and is always with the people.

इस दिशा में, आयोग सुलभता को मजबूत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। आज, भारत के माननीय राष्ट्रपति एनएचआरसी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे, जिससे शिकायत दर्ज करना, वास्तविक समय में निगरानी करना और आयोग के विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

साथ ही, हमारी वार्षिक अंग्रेजी पत्रिका और हिंदी पत्रिका 'नई दिशाएं' का विमोचन आज हो रहा है। इन पत्रिकाओं में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचारों के प्रकाशन से मानव अधिकार मुद्दों के प्रति जन जागरूकता और भी बढ़ेगी।

मानव अधिकार दिवस 2025 के अवसर पर, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानवीय गरिमा हमारी साझा जिम्मेदारी है।

माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी प्रेरणादायक उपस्थिति से प्रेरित होकर, आज हम सब मिलकर एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समतावादी समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं - एक ऐसा समाज जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और वह गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करे जहाँ उसे घर, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर अपने दैनिक अनुभवों पर गर्व हो। हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का अहसास कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मानव अधिकार दिवस के इस समारोह में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने एनएचआरसी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे शिकायत दर्ज करना, वास्तविक समय में निगरानी करना और आयोग के विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

इसके अलावा, एनएचआरसी के दो प्रकाशन भी जारी किए गए। इनमें हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाएँ शामिल थीं जिनमें मानव अधिकार मुद्दों के बारे में जनता की समझ को और बढ़ाने के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित किए गए थे।

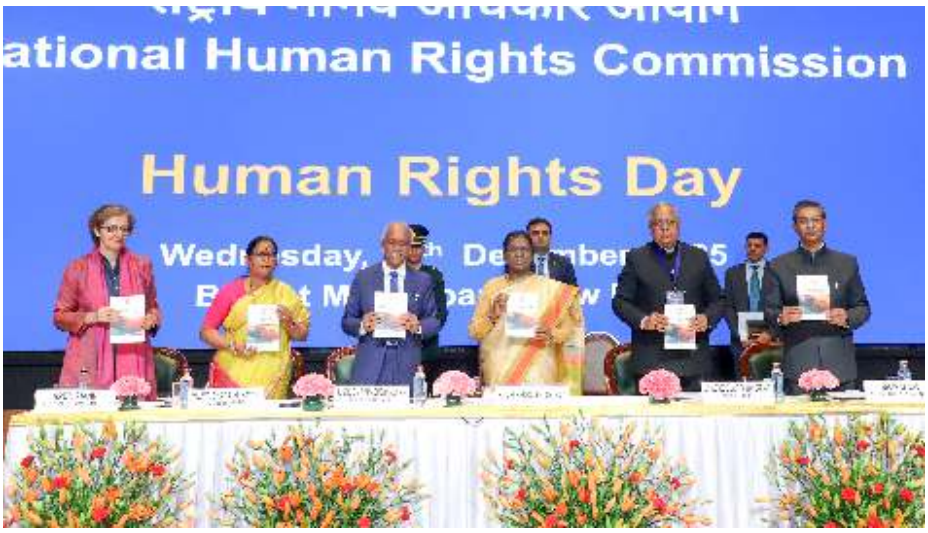

▶ एनएचआरसी, भारत के प्रकाशनों का विमोचन

परामर्श

दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा और आयोग के सदस्यों, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्रीमती सैड़िंगपुई छकछुआक के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित

10 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 'दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन इस वर्ष के विषय 'मानव अधिकार, हमारी दैनिक आवश्यक वस्तुएं' से मेल खाता था। उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देते हुए, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने मानव अधिकार दिवस को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत किया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए, उन्होंने आवास, पोषण, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल और आजीविका सुरक्षा के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाने में पिछले दशक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उनका भाषण इस प्रकार है:

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ; आयोग के सदस्यगण; राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष; राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधिगण; भारत सरकार के सहकर्मीगण; संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और राजनयिक; नागरिक समाज और शिक्षा जगत के सदस्यगण; और विशिष्ट अतिथिगण, मुझे आज विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आप सभी के साथ शामिल होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है यह दिन हमारे जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां संवैधानिक आदर्श, लोकतांत्रिक संस्थाएं और सामाजिक मूल्य मानव गरिमा की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूएचडीआर), 1948 के अनुच्छेद 25 (1) में कहा गया है: *"प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं, और बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, विधवापन, वृद्धावस्था या अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में आजीविका की कमी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है।"*

मानव अधिकार दिवस महज एक ऐतिहासिक घोषणा का स्मरणोत्सव नहीं है। यह मानवीय गरिमा के वास्तविक अनुभव पर गहराई से चिंतन करने का एक निमंत्रण है। इस वर्ष का विषय, 'मानव अधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएँ', उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है सार्वजनिक सेवाओं पर, संस्थानों पर और उन प्रणालियों पर जिनके माध्यम से नागरिक राज्य से संपर्क करते हैं।

सन् 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने विश्व को गरिमा की एक साझा शब्दावली प्रदान की। इस प्रक्रिया में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉ. हंसा मेहता के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यह सुनिश्चित किया कि घोषणापत्र में यह कहा जाए कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। यह लैंगिक समानता की दिशा में एक निर्णायक कदम था और इसने मानव अधिकारों पर वैश्विक चिंतन को दिशा देने में मदद की। यह धारणा कि अधिकारों को भोजन, पानी, आवास, शिक्षा और न्याय तक पहुंच के माध्यम से साकार किया जाना चाहिए, मानव अधिकार आंदोलन के मूल में बनी हुई है।

मानव अधिकार संबंधी चिंतन समय के साथ विकसित हुआ है। नागरिक और राजनीतिक

▶ राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डॉ. पी.के. मिश्रा आधार व्याख्यान देते हुए

अधिकारों से शुरू हुआ यह चिंतन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों तक विस्तारित हो गया है। अब यह प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रणालियों, पर्यावरणीय चिंताओं और बदलती संवेदनशीलता के स्वरूपों से प्रभावित नए क्षेत्रों में आकार ले रहा है।

आज, गरिमा का निर्धारण केवल उन स्वतंत्रताओं से ही नहीं होता जिन्हें हम लंबे समय से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि निजता, आवागमन, स्वच्छ पर्यावरण और डिजिटल समावेशन जैसी सुविधाओं से भी होता है। विश्व लगातार इस बात को परिष्कृत कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या अर्थ है।

भारत की सभ्यतागत विचारधारा ने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में गरिमा और कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। धर्म, न्याय, करुणा और सेवा जैसी अवधारणाओं ने उचित आचरण और दूसरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया है। अहिंसा ने संयम का मार्गदर्शन किया, वहीं वसुधैव कुटुंबकम ने एक व्यापक मानव परिवार से जुड़ाव की भावना को प्रोत्साहित किया।

इन सिद्धांतों ने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और लागू किए जा सकने वाले मौलिक अधिकार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाले निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, क्योंकि हमारे निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा के एक बहुत ही मूलभूत पहलू को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में, मैं मानव अधिकारों के प्रति हमारे दृष्टिकोण और हाल के वर्षों में मानव विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

2014 से पूर्व के दशक में, भारत ने विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जैसे कानूनों ने बुनियादी विकासात्मक आवश्यकताओं को कानूनी अधिकारों में बदलने का प्रयास किया: शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और भोजन का अधिकार।

हालांकि, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कई अकादमिक आकलन इस अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में एक विसंगति या कमी को उजागर करते

▶ विवेकशील श्रोतागण डॉ. पी.के. मिश्रा के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनते हुए, जिसमें वे भारत की सभ्यतागत परंपराओं का वर्णन कर रहे हैं जिनमें गरिमा और कर्तव्य को मूल मूल्यों के रूप में स्थान दिया गया

हैं: किसी अधिकार को अधिनियमित करना एक बात है, और उसे लागू करना दूसरी। जब वादे किए गए कानूनी अधिकार व्यवहार में नहीं दिए जाते, तो इससे राज्य की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नागरिकों की हताशा बढ़ सकती है। 2014 के बाद, सरकार ने 'संतृप्ति दृष्टिकोण' और 'प्रभावी कार्यान्वयन' पर मुख्य जोर दिया। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना और कानून, नीति और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को पाटना था। ध्यान वास्तविक कार्यान्वयन पर केंद्रित था, यानी अधिकारों या अधिकारों से उत्पन्न होने वाले लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं।

संतृप्ति का तात्पर्य है कि "एक भी पात्र लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए।" इसका यह भी अर्थ है कि विवेकाधिकार का दायरा समाप्त हो जाता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

प्रधानमंत्री का मानना है कि हमें लाभार्थियों या लाभ पाने के योग्य लोगों की पहचान करनी चाहिए और विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में उन सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। बेशक, वितरण की एक प्रणाली है, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मैं बाद में करूंगा।

अकादमिक और नीतिगत साहित्य में इस बदलाव को 'कागज़ी अधिकारों' से 'कार्यान्वित अधिकारों' (वास्तव में लागू किए जाने वाले अधिकार) की ओर बढ़ने के रूप में वर्णित किया जा रहा है – एक ऐसे चरण से जहाँ कानून में कई गारंटी मौजूद थीं, लेकिन वे अंतिम व्यक्ति तक लगातार नहीं पहुँचती थीं; एक ऐसे चरण की ओर जहाँ प्रशासनिक प्रणालियाँ, डिजिटल अवसंरचना और जमीनी अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं कि अधिकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचें। मैंने जिन तीन बातों का उल्लेख किया है, उनमें से एक यह है कि प्रशासनिक प्रणाली को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक कुशल होना होगा। डिजिटल अवसंरचना और जमीनी अभियान, जागरूकता सृजन आदि ने भी इसमें योगदान दिया है।

संतृप्ति दृष्टिकोण अधिकार-आधारित ढांचे को नहीं त्यागता; बल्कि इसे कार्यान्वयन पर आधारित करता

▶ डॉ. पी. के. मिश्रा ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करने पर जोर दिया

है। शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास के प्रति कानूनी और नैतिक प्रतिबद्धता बनी रहती है, लेकिन अब इसे निम्नलिखित माध्यमों से आगे बढ़ाया जाता है:

- पूर्ण कवरेज के लिए समयबद्ध लक्ष्य,
- वास्तविक समय की निगरानी और डिजिटल प्लेटफॉर्म,
- विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, जिनका स्पष्ट उद्देश्य शेष बचे प्रत्येक लाभार्थी की पहचान करना और उन्हें नामांकित करना था।

आज का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक खाता वास्तव में खोला जाए, पानी का कनेक्शन वास्तव में उपलब्ध कराया जाए, एलपीजी सिलेंडर वास्तव में पहुंचाया जाए और स्वास्थ्य कार्ड वास्तव में चिकित्सा केंद्र पर उपयोग करने योग्य हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल किसी विशेष अधिकार का उल्लेख करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह वास्तव में प्रदान किया जाए।

इस दृष्टिकोण की सफलता जमीनी स्तर पर देखी जा सकती है और ठोस आंकड़ों द्वारा समर्थित है। गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्तियों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करती है। इसलिए, गरीबी उन्मूलन मानव अधिकारों के लिए सबसे प्रभावी उपाय है।

भारत ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतीय जो कई देशों की आबादी से भी अधिक है गरीबी के चंगुल से बाहर निकल चुके हैं।

हमारे नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों में भी इसी प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। वास्तव में, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 में गरीबी के स्तर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में समान गिरावट देखी गई है। यह वितरण प्रणाली और लक्षित दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

दैनिक आवश्यक चीजों को साकार करना: परिवर्तन का एक दशक

मैं पिछले दशक में हुए परिवर्तन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

मैं उन चार प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डालूंगा जिनके माध्यम से पिछले एक दशक में करोड़ों भारतीयों के लिए देनिकआवश्यक वस्तुएं और इसलिए दैनिक मानव अधिकार उत्तरोत्तर सुरक्षित किए गए हैं।

क. आवास, जल, स्वच्छता, बिजली और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर घर पर गरिमा सुनिश्चित करना

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ परिवारों को पक्के मकान मिले, जिससे उन्हें न केवल आश्रय

▶ प्रतिभागियों का एक वर्ग

मिला बल्कि सुरक्षा और गौरव की भावना भी मिली। ये चार करोड़ मकान वास्तव में लोगों द्वारा बनाए गए और उनमें लोग रहने लगे।

- जल जीवन मिशन ने 15.78 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।
- स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता तक व्यापक पहुंच हासिल की, जैसे कि 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता - जिसने स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए।
- सौभाग्य योजना के परिणामस्वरूप बिना बिजली वाले घरों में भी विद्युतीकरण हुआ।
- उज्ज्वला योजना ने लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं के जीवन में बदलाव ला दिया।

ख. खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आश्वासन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

- यह सर्वविदित है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान किया।
- आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई), जो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, लगभग 42 करोड़ लोगों को कवरेज प्रदान करता है और बीमारी की स्थिति में, जब घर के अंदर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है, तो बीमा राशि उन लोगों को दी जाती है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं।
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, टेलीमेडिसिन प्रणाली और जन औषधि केंद्र भी चिकित्सा सेवाएं और दवाएं उपलब्ध कराने में सहायक रहे हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बीमा और पेंशन कवरेज प्रदान करने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन। नव अधिनियमित श्रम कानूनों में गिग वर्करों के लिए सामाजिक लाभों का प्रावधान है, जो पहले किसी भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थे।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 जैसे सुधारों से भी मदद मिली है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्वीकार किया है कि पिछले दशक में भारत के सामाजिक सुरक्षा दायरे में व्यापक विस्तार हुआ है। आईएलओ ने बताया कि हमारा सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में मात्र 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64 प्रतिशत हो गया है।

ग. वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना

- जन धन, आधार और मोबाइल - ये तीनों प्रणालियाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी हैं, जिससे सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, दक्षता और गरिमा सुनिश्चित होती है। 56 करोड़ से अधिक जन धन खातों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को भी औपचारिक वित्त प्रणाली से जोड़ा गया है। धन/लाभ सीधे उनके खाते में जाता है, जिससे धन का रिसाव न्यूनतम होता है।
- पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं उन राजमिस्त्रियों की मदद के लिए हैं जो अपने औजारों से काम करते हैं। इनका उद्देश्य न केवल उन्हें आर्थिक सहायता देना है, बल्कि उनके कौशल को निखारना, उन्हें बेहतर औजार उपलब्ध कराना और बेहतर प्रशिक्षण देना भी है।
- स्वयं सहायता समूहों की एक बड़ी संख्या को प्रोत्साहित किया गया है दो करोड़ से अधिक "लखपति दीदियां" हैं यानी एक लाख रुपये से अधिक कमाने वाली स्वरोजगार वाली महिलाएं।
- हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ महिला सशक्तिकरण रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से हमने यह साबित किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि "नारी शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है।" जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो परिवार आगे बढ़ते हैं, समुदाय बदलते हैं और संस्थाएं अधिक संवेदनशील बनती हैं। हाल ही में एक ऐतिहासिक विधेयक लाया गया है जिसके तहत विधानसभाओं और संसद में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- अवसंरचना बजट में भारी वृद्धि हुई है। पूंजी बजट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और

▶ सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

कोविड-19 महामारी के दौरान भी कई सुधार हुए, जबकि कई देशों ने प्रोत्साहन उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि हुई, अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया। परिणामस्वरूप, हमारी आर्थिक विकास दर काफी ऊंची है। नवीनतम तिमाही परिणामों में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, इससे पहले 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

घ. कमजोर समुदायों के लिए न्याय, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना

- आपराधिक कानून संहिता को नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए उसमें बदलाव किए गए हैं।
- यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और जल्द ही आने वाले अधिनियमों में अधिक मजबूत प्रावधान किए गए हैं।
- पीएम-जनमान कार्यक्रम हाशिए पर रहने वाले लोगों के भीतर भी हाशिए पर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, इस अर्थ में कि कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जहां लोग विशेष रूप से कमजोर समूह विकास संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें आवास, स्वच्छ पानी और अन्य लाभ कैसे प्रदान किए जाएं।

आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम- जिलों और ब्लॉकों पर विशेष ध्यान देने के साथ कम विकसित जिलों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा वितरण में स्पष्ट सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वास्तविक समय के आंकड़ों, परिणाम-आधारित निगरानी और सहयोगात्मक प्रशासन का उपयोग करके उन्हें अन्य जिलों के स्तर तक लाया जा सके। ये प्रयास दर्शाते हैं कि शासन को किस प्रकार पुनर्गठित किया जा सकता है ताकि परिणाम अधिक समान हों। यही अंत्योदय की भावना है जो हाशिये पर रहने वालों को विकास और सम्मान के केंद्र में रखती है। राज्य स्तरीय मानकों से नीचे के ब्लॉकों और

▶ डॉ. पी. के. मिश्रा भारत में अवसंरचना बजट में भारी वृद्धि पर बात करते हुए

जिलों को राज्य के समग्र औसत स्तर तक लाने के लिए बहुत प्रयास और विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे विकास की राह में बहुत पीछे रह गए लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और सम्मान में सुधार हो सके।

हमारी मानवीय सहायता – वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराने से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आपदा राहत प्रदान करने तक – मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता में हमारे विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री के जन भागीदारी के आह्वान से प्रेरित होकर, सार्वजनिक सेवा वितरण का स्वरूप बदल गया है। राज्य अब निर्देश देने के बजाय प्रतिक्रिया देने की ओर, योजनाओं को लागू करने के बजाय गरिमा प्रदान करने की ओर और लोगों को केवल लाभार्थी मानने के बजाय राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में देखने की ओर अग्रसर है।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में भारत का हालिया चुनाव हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में वैश्विक विश्वास और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मैंने यह तर्क दिया है कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम छोर तक सेवाएँ कैसे सुनिश्चित की जाएँ, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र व्यक्तियों को वास्तव में लाभ मिले। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही पिछले दशक में हासिल किया गया है।

भविष्य की संभावनाएं

जैसे-जैसे भारत 2047 के विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को उभरते हुए चिंता के मुद्दों की जांच करने और अपने ढांचे को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी ताकि तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में गरिमा की रक्षा की जा सके:

- जलवायु और पर्यावरण से जुड़े कई अहम सवाल उठते हैं। जलवायु परिवर्तन पहले से ही विस्थापन और साझा संसाधनों पर बढ़ते दबाव का कारण बन रहा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन से समुदायों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और प्रदूषण का सबसे अधिक बोझ उठाने वालों के लिए पर्यावरणीय न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी और डेटा अपनी चुनौतियाँ लेकर आते हैं। डेटा सुरक्षा, एल्गोरिथम की निष्पक्षता और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों के लिए मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने हेतु एक नए ढांचे की आवश्यकता है। जब स्वचालित प्रणालियाँ ऋण, नौकरियों या आपराधिक न्याय संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं, तो भेदभाव को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- गिग जॉब और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार जैसे नए प्रकार के काम ऐसी कमजोरियां पैदा करते हैं जो पारंपरिक श्रम सुरक्षा के दायरे में नहीं आतीं। कोई निश्चित कार्यस्थल न होने और एल्गोरिदम-आधारित कार्यों के कारण, नियोक्ताओं को ऐसे ढांचे विकसित करने की आवश्यकता है जो कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करें।
- अंततः, डिजिटल निगरानी एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर निगरानी की आवश्यकता है। डिजिटल ट्रैकिंग, चेहरे की पहचान और भविष्यसूचक उपकरण नागरिकों के बारे में

▶ राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह

व्यापक डेटा उत्पन्न और संग्रहीत करते हैं, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण में सहायक हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न करे।

निष्कर्षी अवलोकन

हमें यह स्वीकार करना होगा कि सुशासन एक मूलभूत अधिकार है। इसमें कुशल प्रणालियाँ, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और ऐसे संस्थान शामिल हैं जो लोगों के साथ सम्मान और सहानुभूति का व्यवहार करते हैं। इसमें प्रभावी ढंग से कार्य करने वाली शिकायत निवारण प्रणाली, गरिमा की रक्षा करने वाली पुलिस व्यवस्था और बिना किसी देरी और अनादर के सार्वजनिक सेवाओं का वितरण शामिल है।

आने वाले दशकों के लिए हमारी आकांक्षा स्पष्ट है। हम एक ऐसे विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं जहाँ सक्षम संस्थानों और करुणामय शासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करे। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी क्षमताओं में आधुनिक हो, चिरस्थायी मूल्यों पर आधारित हो, समावेशी दृष्टिकोण वाला हो और उद्देश्य में एकजुट हो। यह परिकल्पना ऐसे जीवंत शहरों और शहरों तक फैली हुई है जहाँ आवागमन, स्वच्छता, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और कुशल शहरी सेवाएं रोजमर्रा के जीवन में गरिमा को बनाए रखें।

भविष्य की संभावनाएं नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग करने, संस्थागत दूरदर्शिता को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने में निहित है कि गरिमा प्रत्येक सार्वजनिक सेवा का मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहे।

आइए एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसके मूल्य हमारी सभ्यता में निहित हों, लेकिन जिसकी दृष्टि आधुनिक, भविष्योन्मुखी, दयालु और महत्वाकांक्षी हो।

आइए हम सब मिलकर काम करें – सरकार, संस्थाएं, नागरिक समाज और नागरिक – ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण हो सके जहां विकास और न्याय साथ-साथ चलें, जहां अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे को मजबूत करें और जहां प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके।

मैं एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव को इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं आज के सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग ने इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस के विषय को भारत में सार्वजनिक सेवाओं और नागरिकों की गरिमा के परिप्रेक्ष्य से देखा है। सार्वजनिक सेवाओं और व्यक्ति की गरिमा को 'दैनिक आवश्यताएं' के रूप में चुनने का कारण यह है कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, जैसा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से स्पष्ट है। उनका भाषण यहाँ प्रस्तुत है:

"प्रिय डॉ. पी.के. मिश्रा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्यगण, महासचिव, महानिदेशक (अन्वेषण), रजिस्ट्रार, संयुक्त सचिवगण, आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विशिष्ट आमंत्रितगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, आप सभी को सुप्रभात और मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।"

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार दिवस के लिए "मानव अधिकार - हमारी दैनिक आवश्यकताएँ" विषय चुना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस विषय को चुनने का उद्देश्य मानव अधिकारों के मूल्यों को पुनः स्थापित करना और यह दर्शाना है कि वे मानवता के हित में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस का विषय मानव अधिकार सिद्धांतों और रोजमर्रा के अनुभवों के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से है, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके, विश्वास जगाया जा सके और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

'दैनिक आवश्यताएं' शब्द के अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ होते हैं। यदि आप संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर जाएँ, तो पाएंगे कि हाल ही में बहुत से लोगों ने अपनी दैनिक आवश्यकताओं के बारे में बताया है - वे क्षण, मूल्य और अधिकार जो उनके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। शांति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव, समानता, भोजन, आवास और सम्मान कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें लोगों ने संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं के रूप में बताया है।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन सम्मेलन को संबोधित करते हुए

लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हमने इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस के विषय को भारत में सार्वजनिक सेवाओं और नागरिकों की गरिमा के परिप्रेक्ष्य से देखा है। हमने सार्वजनिक सेवाओं और व्यक्ति की गरिमा को 'दैनिक आवश्यताओं' के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है। संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को जन कल्याण को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपता है, जिसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का मार्गदर्शक बनाया जाना चाहिए।

भारत में राज्य का प्रशासन नौकरशाही के माध्यम से किया जाता है, जिसका इतिहास लगभग 170 वर्ष पुराना है, जो ब्रिटिश संसद की चयन समिति के लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से शुरू होता है, जिसके तहत 1854 में भारत में योग्यता-आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा का जन्म हुआ था।

यद्यपि नीतियां निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है। केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति और उनके अधीन सिविल पदों पर आसीन व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोजगार अनुबंध के अधीन नहीं होते हैं। सिविल पदों पर आसीन व्यक्तियों और सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को संविधान के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है क्योंकि उनका पद केवल रोजगार का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का है। अतः केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को जनता को, जिनकी सेवा के लिए उन्हें चुना गया है, अपना स्वामी समझना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें लोक सेवक कहा जाता है।

निर्वाचित सरकार को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने में सक्षम बनाना और उनकी सहायता करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन नीतियों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, लोक सेवकों का कार्य है। लोक नीति और उसके कार्यान्वयन पर रामायण में एक अत्यंत रोचक श्लोक है। अयोध्या कांड के सौवें सर्ग में राम, भरत को लोक नीति पर सलाह देते हैं।

कश्चिद अर्थम विनश्चित्य लघु मूलं महा उद्यम क्षिप्रं आरसेक करथुं न धीरगायसि राघव

(kaschid artham vinishchithya laghu moolam maha udayam Kshipram aarabhase karthum na dheergayasi Raghava)

हे भरत! मुझे आशा है कि आप अपने हित को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, एक ऐसा उपक्रम शुरू करेंगे जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो और जिसे बिना किसी देरी के कार्यान्वित किया जा सके।

(किसी भी कार्य के लिए 3 आदर्श: अधिकतम लाभ, न्यूनतम लागत और बिना देरी के)।

इन तीन लक्ष्यों या आदर्शों की प्राप्ति सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता और लोक सेवकों की प्रतिबद्धता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। वास्तव में, सार्वजनिक सेवाओं की शीघ्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई राज्यों ने कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 देश में अपनी तरह का पहला कानून प्रतीत होता है जो नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी देता है। यह मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता की गारंटी देता है और ऐसा करने में विफलता के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करता है। अधिनियम के तहत, जाति, जन्म, विवाह और निवास प्रमाण पत्र जारी करना, पेयजल कनेक्शन, राशन कार्ड, भूमि अभिलेखों की प्रतियां जैसी 52 प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। प्रत्येक सेवा की उपलब्धता के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। यदि अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं और इन सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करते हैं, तो उन्हें 250 रुपये प्रति दिन से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

इस अधिनियम को 'सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार' श्रेणी में वर्ष 2012 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार (UNPSA) प्राप्त हुआ। राज्य ने 73 देशों से प्राप्त 483 नामांकनों में से यह पुरस्कार जीता। बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मिजोरम जैसे अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के कानून लागू किए हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इन कानूनों का अब तक कोई सामाजिक लेखापरीक्षा या सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया है या नहीं।

इसलिए, भारत में सार्वजनिक सेवाओं और व्यक्ति की गरिमा को दैनिक आवश्यकताओं के रूप में चुनने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य जवाबदेही पर संवाद शुरू करना है, ताकि संविधान के भाग IV द्वारा निर्धारित लक्ष्य दूर के सपने न रहकर प्राप्त करने योग्य मानक बन जाएं और मानव अधिकार दिवस का उत्सव खोखले वादों से भरी एक औपचारिकता न रह जाए। धन्यवाद और जय हिंद।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आयोग विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस का विषय इस बात पर प्रकाश डालता है कि मानवीय गरिमा का निर्धारण लोगों के प्रतिदिन बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के अनुभव से होता है। यहाँ उनका भाषण प्रस्तुत है:

"नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन । प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिवडॉ. पी.के. मिश्रा।

आयोग के माननीय सदस्यगण - डॉ. न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी। राष्ट्रीय आयोगों, लोकपाल और अन्य वैधानिक निकायों तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यगण।

प्रख्यात वक्तागण, वरिष्ठ अधिकारीगण; राजनयिक कोर के सदस्यगण, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण; प्रतिष्ठित विद्वानगण, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ, नागरिक समाज के प्रतिनिधिगण, मानव अधिकार संरक्षक और सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण!

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से, मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित "दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी उपस्थिति और प्रतिबद्धता देश भर में प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा को सुदृढ़ करने और मानव

अधिकारों को आगे बढ़ाने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करती है।

हमें अत्यंत गर्व है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज मानव अधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। उनकी उपस्थिति उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है जो प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, समानता, समावेश और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मुख्य भाषण देने के हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। हम सभी जानते हैं कि उनका काम कितना कठिन है। संसद का सत्र चल रहा है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय की कमी के बावजूद वे यहाँ उपस्थित हैं। यह मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. मिश्रा को शासन सुधार, अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने और जन-केंद्रित लोक प्रशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने केंद्रीय कृषि सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ससेक्स (Sussex) विश्वविद्यालय से विकास अध्ययन में पीएचडी प्राप्त करने वाले उन्होंने अकादमिक कठोरता को प्रशासनिक उत्कृष्टता के साथ जोड़ा है, और आपदा प्रबंधन सुधारों में व्यापक योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में, उनके प्रशासनिक नेतृत्व ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और सरकार को सुशासन और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण प्रदान करना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर उनका ध्यान इस विचार को बल देता है कि शासन के हर पहलू में गरिमा अंतर्निहित होनी चाहिए।

आपदा प्रबंधन, कृषि परिवर्तन, मानव संसाधन प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत सुधार जैसे क्षेत्रों में उनके नेतृत्व ने लाखों लोगों, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों पर गहरा प्रभाव डाला है। आज उनके विचार हमारी चर्चाओं को समृद्ध करेंगे। महोदय, आज हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके नेतृत्व में एनएचआरसी देश के हर हिस्से में मानव अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों तक सक्रिय रूप से पहुँच रहा है। उनकी संवेदनशीलता और नैतिक नेतृत्व एनएचआरसी के कामकाज को दिशा दे रहे हैं।

मैं आयोग के माननीय सदस्यों - डॉ. न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सायनाई और सभी सहभागी संस्थानों और विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता और अनुभव भारत में मानव अधिकार संबंधी चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं।

आयोग की ओर से, मैं राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, सम्मेलन में उपस्थित विशिष्ट वक्ताओं, न्यायविदों, राजनयिक कोर के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, प्रख्यात विद्वानों, मानव अधिकार संरक्षकों , नागरिक समाज के सदस्यों, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों और विशिष्ट प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं।

इस वर्ष मानव अधिकार दिवस का विषय, 'मानव अधिकार: दैनिक आवश्यकताएं, एक सरल लेकिन गहन वास्तविकता को दर्शाता है: बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के बारे में लोगों के दैनिक अनुभवों से मानवीय गरिमा का स्वरूप निर्धारित होता है। ये प्रशासनिक सुविधाएँ मात्र नहीं हैं - ये मूलभूत अधिकार हैं।

हमारे सम्मेलन का विषय, 'दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन' इसी मूल सिद्धांत को दर्शाता है। आज के दो सत्र इस प्रकार हैं:

- सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं: मानव अधिकार दृष्टिकोण और
- 'सभी के लिए सार्वजनिक सेवाओं और गरिमा को सुनिश्चित करना' नामक सम्मेलन में प्रख्यात विशेषज्ञ और प्रमुख सरकारी अधिकारी एक साथ मिलकर बुनियादी सुविधाओं और सेवा वितरण प्रणालियों तक पहुंच को और मजबूत करने तथा सभी के लिए समानता, पहुंच और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे।

भारत की अंत्योदय की गहरी जड़ें जमा चुकी नैतिकता - अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना - और सर्वे

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल सभा को संबोधित करते हुए

भवन्तु सुखिनः की भावना अर्थात सभी सुखी हो से प्रेरित होकर एनएचआरसी प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का कार्य जारी रखे हुए है।

एनएचआरसीविभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

इनमें संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा और पोषण को मजबूत करना, समय पर पेंशन और कल्याणकारी लाभ सुनिश्चित करना, प्रवासी और असंगठित श्रमिकों की रक्षा करना, बाल अधिकारों और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली और शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और डिजिटल शिकायत निवारण प्रणालियों का विस्तार करना शामिल है।

यह सम्मेलन चल रहे कार्यों पर आधारित है। एनएचआरसी निम्नलिखित माध्यमों से मानव गरिमा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है:

- संवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए परामर्शी।
- अस्पतालों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, बाल देखभाल संस्थानों, जेलों, आश्रय स्थलों और वृद्धाश्रमों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की निगरानी करना।
- प्रवासी श्रमिकों, सफाईकर्मियों, वनवासियों और आपदा प्रभावित समुदायों के अधिकारों के लिए हस्तक्षेप।
- एचआरसीनेट, ई-शिकायतों और वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से न्याय तक पहुंच का विस्तार करना, दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों तक पहुंचना।
- मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों के साथ जुड़ाव, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यशालाएं, राष्ट्रीय सम्मेलन और गैर सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी।
- दिव्यांगता अधिकारों, मानव दुर्व्यापार , न्याय तक पहुंच और सेवा वितरण सुधारों पर राष्ट्रीय नीति को सूचित करने वाली रिपोर्टें, विषयगत अध्ययन और सिफारिशें।

इन प्रयासों के माध्यम से, एनएचआरसी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि आवश्यक सेवाएं और उनके द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली गरिमा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, विशेष रूप से उन लोगों तक जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

मानव अधिकारों की रक्षा केवल संस्थाओं द्वारा ही नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति और नैतिक प्रतिबद्धता द्वारा भी की जाती है। हमारे देश में, केवल राज्य ही नहीं, बल्कि समुदाय भी व्यक्तियों के मानव अधिकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव अधिकार दिवस पर, हम इस मूलभूत सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि अधिकार तभी फलते-फूलते हैं जब उन्हें कर्तव्यों, बंधुत्व, शासन में निष्पक्षता, प्रशासन में संवेदनशीलता और सार्वजनिक सेवा में करुणा का समर्थन प्राप्त हो।

एक बार फिर, मैं सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को सभी बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त हों और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ सुलभ, न्यायसंगत और गरिमापूर्ण हों - एक ऐसा राष्ट्र जहाँ कोई भी पीछे न छूटे। धन्यवाद!

भारत के एनएचसीआर के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 'सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं: मानव अधिकार दृष्टिकोण' विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता की। पैनलिस्ट के रूप में बोलते हुए, एनएचसीआर सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि सेवा वितरण, निगरानी और शि कायत निवारण के स्पष्ट मानक होने चाहिए। उनका भाषण इस प्रकार है:

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए

"देवियों और सज्जनों, सम्मानित पैनलिस्टों, वरिष्ठ अधिकारियों और सम्मानित अतिथियों,

मुझे इस राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले सत्र में आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसका विषय है दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन' । मानव अधिकार दिवस के अवसर पर एकत्रित होकर, हमें याद दिलाया जाता है कि मानव अधिकार असाधारण परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन सरल, दैनिक आवश्यक वस्तुओं में निहित हैं जो व्यक्तियों को गरिमा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना मात्र सामाजिक कल्याण का कार्य नहीं है; यह मानव अधिकारों की मूलभूत अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति गरिमा, समानता और सम्मानजनक जीवन स्तर का हकदार है, यही विचार आधुनिक मानव अधिकार सिद्धांतों की नींव है। सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण जैसी मूलभूत सुविधाएं विलासिता नहीं हैं - बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

ये ढाँचे इस बात को स्वीकार करते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के बिना व्यक्ति अपने पूर्ण नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक अधिकारों का आनंद नहीं ले सकते। मानव अधिकार परस्पर निर्भर हैं - बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना समानता, विकास और स्वतंत्रता से वंचित होने की ओर ले जाता है।

मानव अधिकार केवल संवैधानिक शब्द नहीं हैं।

ये हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं - एक परिवार को मिलने वाले भोजन में, एक घर को मिलने वाले पानी में, एक नागरिक को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में, और सार्वजनिक संस्थानों से एक इंसान को मिलने वाले सम्मान में।

हमारा संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा भी शामिल है। लेकिन गरिमा एक बार का अधिकार नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसे आवश्यक सेवाओं के माध्यम से हर दिन महसूस किया जाना चाहिए।

1. सार्वजनिक सेवा मानव अधिकारों की आधारशिला हैं।

जब किसी गरीब व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिलता है, जब कोई बच्चा बिना किसी डर के स्कूल जा पाता है, जब किसी मरीज के साथ अस्पताल में सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, जब कोई महिला सड़क पर सुरक्षित रूप से चल पाती है - तभी मानव अधिकार सार्थक होते हैं।

मानव अधिकारों की शुरुआत अदालतों में नहीं, बल्कि घरों, स्कूलों, अस्पतालों, राशन की दुकानों, पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक कार्यालयों में होती है।

प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपमान, बिना किसी भय के सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

2. चाणक्य का जन कल्याण दृष्टिकोण

दो हजार वर्ष से भी अधिक समय पहले, चाणक्य/कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शक्तिशाली सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। वे सिद्धांत आधुनिक शासन के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।

चाणक्य ने कहा,

> "प्रजासुखे सुखं राज्यस्य।"
> *जनता की खुशी ही राज्य की खुशी है।*

यदि जनता वंचित रहे तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

उन्होंने यह भी कहा,

> 'राजा प्रजानाम् सेवकः।'
> *शासक जनता का सेवक होता है।*

इस एक वाक्य से ही पता चलता है कि लोक सेवा कैसी होनी चाहिए। यह जवाबदेह, सुलभ और सम्मानजनक होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को कभी भी जनता को डराना-धमकाना, अपमानित करना या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अनुशासन, ईमानदारी और मानवता शासन के मूल सिद्धांत हैं।

चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि जब अधिकारी जनता की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो राज्य का पतन शुरू हो जाता है। यह प्राचीन ज्ञान हमारे आधुनिक मानव अधिकार ढांचे के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

3. दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएँ अपरिवर्तनीय अधिकार हैं।

आइए जीवन की न्यूनतम गरिमा का निर्माण करने वाले मूलभूत तत्वों पर एक नजर डालें:

खाद्य सुरक्षा

इस देश में किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पोषण कार्यक्रम और आंगनवाड़ी केंद्र पारदर्शी, कुशल और सार्वभौमिक होने चाहिए।

स्वच्छ पेयजल

जल जीवन का अमृत है। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच मानव अधिकार है।

स्वास्थ्य

किफायती, समय पर और सम्मानजनक चिकित्सा देखभाल अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

शिक्षा

स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 'शिक्षा मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति है।'

शिक्षा सशक्तिकरण और ज्ञानोदय का सबसे शक्तिशाली साधन है। स्कूल सुरक्षित, समावेशी और जाति, लिंग, आय या क्षेत्र की परवाह किए बिना प्रत्येक बच्चे का पोषण करने में सक्षम होने चाहिए।

आश्रय और स्वच्छता

रहने योग्य आवास, शौचालय, जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन विलासिता नहीं हैं। ये स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं।

4. सेवा वितरण के केंद्र में गरिमा होनी चाहिए।

लोक सेवा का अर्थ केवल सेवाएं देना ही नहीं है; यह इस बात से भी संबंधित है कि वे सेवाएं किस प्रकार दी जाती हैं। लोक सेवक अपने पास आने वाले व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं कर रहा होता। बल्कि, उसके पास आने वाला व्यक्ति ही उसका स्वामी होता है।

किसी नागरिक को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

उनसे कठोर भाषा में बात नहीं करनी चाहिए।

उन्हें गरीबी, जाति, लिंग, दिव्यांगता या पहचान के कारण अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

गरिमा केवल नीति का मामला नहीं है; यह दृष्टिकोण का मामला है।

▶ उपस्थित सचेत प्रतिभागियों का दृश्य

एक पुलिस स्टेशन को विश्वास जगाना चाहिए, एक अस्पताल को आराम देना चाहिए, एक स्कूल को आत्मविश्वास देना चाहिए, और एक सरकारी कार्यालय को सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए।

हमें गरिमा की इसी संस्कृति का निर्माण करना होगा।

5. कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करना

एक राष्ट्र के रूप में, हम उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिन्हें हमारी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है:

i. महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति
ii. दिव्यांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति
iii. प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय
iv. बेघर व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर

चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी राज्य का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

एनएचआरसी इन समुदायों की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक सेवाएं, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हो।

6. जवाबदेही और पारदर्शिता

सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी होने के लिए:

सेवा वितरण के स्पष्ट मानक होने चाहिए।

निगरानी और शिकायत निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार या लापरवाही के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं होनी चाहिए।

जवाबदेही का उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सेवा उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

7. प्रौद्योगिकी में समावेश होना चाहिए, बहिष्कार नहीं।

डिजिटल शासन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे ग्रामीण समुदायों, बुजुर्ग लोगों या स्मार्टफोन से वंचित लोगों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।

हमें ऐसे डिजिटल सिस्टम बनाने होंगे जो सरल, बहुभाषी और सभी के लिए सुलभ हों।

ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन, सूचना डेस्क - इन सबका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करना।

8. सामुदायिक भागीदारी

वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब समुदाय शिक्षित, जागरूक और सहभागी होते हैं।

ग्राम सभाएं, स्थानीय समितियां, युवा समूह और महिला संगठन - ये सभी सेवा वितरण की निगरानी करने और सभी के लिए गरिमा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एनएचआरसी, भारत ने एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

क. कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की बुनियादी सुविधाओं की रक्षा करना

एनएचआरसी ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं और हस्तक्षेप किया है:

पानी की कमी, भुखमरी से मौतें, दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, मजदूरों, प्रवासियों और शहरी गरीबों की असुरक्षित जीवन परिस्थितियां।

इन कार्रवाइयों से सरकारों को प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए दबाव पड़ता है।

ख. सार्वजनिक स्वास्थ्य एक मानव अधिकार के रूप में

एनएचआरसीइस बात का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है कि स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है। इसने निम्नलिखित बातें कही हैं:

अपर्याप्त अस्पताल सुविधाओं की जांच की, मातृ देखभाल और आपातकालीन सेवाओं में सुधार की सिफारिश की, दवाओं और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की निगरानी की।

कोविड-19 महामारी के दौरान, कमजोर समुदायों की सुरक्षा में एनएचआरसी के दिशानिर्देश और निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

ग. शिक्षा, स्वच्छता और बाल अधिकार

स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी या सुरक्षा उपायों की कमी होने पर एनएचआरसी ने हस्तक्षेप किया है, जिससे बच्चों की गरिमा और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।

इसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने, बाल श्रम को समाप्त करने और बाल संरक्षण प्रणालियों में सुधार करने पर लगातार काम किया है।

▶ प्रतिभागियों का एक वर्ग

घ. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान

विशेषज्ञ समितियों और परामर्शों के माध्यम से, एनएचआरसी ने निम्नलिखित सिफारिशे की हैं:

सुरक्षित आवास और आश्रय स्थल, समावेशी स्वास्थ्य सेवा, समान शैक्षिक अवसर, रोजगार में भेदभाव विरोधी उपाय।

ट्रांसजेंडर अधिकारों के क्षेत्र में, एनएचआरसी के दिशानिर्देशों, अध्ययनों और सिफारिशों ने नीतिगत चर्चाओं और जन जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है - एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हमारे संगठन सहित हममें से कई लोग सक्रिय रूप से शामिल हैं।

ई. समावेशी और सतत विकास के लिए एनएचआरसी का दृष्टिकोण

एनएचआरसी दृढ़ता से कहता है कि विकास तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि बुनियादी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक न पहुंच जाएं।

केवल अवसंरचना ही विकास नहीं है। मानव विकास तभी होता है जब स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सुलभ हो।

प्रवासी श्रमिकों, ग्रामीण स्वास्थ्य और शहरी बेघरता पर एनएचआरसी की आवधिक रिपोर्टें इस मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष से पहले, मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूँ: प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है, एक जीवंत शक्ति होती है, एक जीवन होता है जो उसके मूल्यों का मार्गदर्शन करता है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आज के विषय के संबंध में अपनी संस्कृति से मिलने वाली शिक्षाओं पर विचार करें।

वेद – ऋग्वेद (सभी के लिए कल्याण और स्वास्थ्य)श्लोक:

'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः'
सभी सुखी रहें; सभी रोगमुक्त रहें।

वेदों में प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यह स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, पानी और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की नींव है।

उपनिषद कहते हैं

ईश वसयम इदम सर्वम्

'Isha vasyam idam sarvam'

विश्व के सभी संसाधन सभी के हैं और सभी को उनका उपयोग आपस में बांटना चाहिए।

किसी को भी संसाधनों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। भोजन, पानी, आवास और समान पहुंच का अधिकार सभी को है।

रामायण में 'राम राज्य' के बारे में बात की गई है

'रामो राज्यम उपासित धर्मेण'

राम ने धर्मपरायणता से राज्य का शासन किया और सभी के कल्याण को सुनिश्चित किया।

एक न्यायसंगत सरकार को सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा, आवास, स्वच्छता और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना चाहिए।

महाभारत (भोजन एक मौलिक कर्तव्य के रूप में)

'अन्नदानम परम दानम'

भोजन देना सेवा का सर्वोच्च रूप है।

महाभारत भोजन को एक पवित्र अधिकार और भूखों को भोजन कराना एक नैतिक कर्तव्य मानता है। यह पोषण और बुनियादी जीविका के अधिकार की पुष्टि करता है।

भगवद् गीता (समानता और मानव गरिमा)

'समोऽहं सर्वभूतेषु' (गीता 9.29)

मैं सभी प्राणियों में समान हूं; कोई भी श्रेष्ठ या हीन नहीं है।

प्रत्येक मनुष्य समान गरिमा और आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच का हकदार है। स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और आजीविका में गैर-भेदभाव का यही आधार है।

सभी के लिए सम्मान ही राष्ट्रीय प्रगति का वास्तविक सूचक है। एक राष्ट्र बड़ी-बड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें बना सकता है, लेकिन सच्ची प्रगति तभी दिखाई देती है जब सबसे गरीब व्यक्ति भी हर सार्वजनिक स्थान पर सम्मान महसूस करे।

जब किसी बुजुर्ग महिला को बिना किसी संघर्ष के पेंशन मिलती है, जब किसी बच्चे को स्कूल में भोजन मिलता है, जब किसी गर्भवती महिला को उचित स्वास्थ्य सेवा मिलती है, जब किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जब किसी प्रवासी श्रमिक को आश्रय और सुरक्षा मिलती है - तभी मानव अधिकार जीवित रहते हैं।

आइए चाणक्य के शब्दों को याद करें:

'राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा का कल्याण करना है।' एनएचआरसी के रूप में, हमारी भूमिका केवल अधिकारों की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि इस देश के हर कोने में, हर नागरिक को हर दिन वह गरिमा प्राप्त हो जिसका वह हकदार है।

धन्यवाद।"

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने प्रथम सत्र में पैनलिस्ट के रूप में बोलते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा पर प्रकाश डाला, जिसमें स्वास्थ्य को संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार की स्पष्ट गारंटी नहीं है, फिर भी न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 21 में शामिल किया है। उन्होंने लगातार बनी हुई असमानताओं की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें गरीब समुदायों में बीमारियों का बोझ अधिक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैविक, सामाजिक, पर्यावरणीय और व्यावसायिक कारकों जैसे तंबाकू और अस्वास्थ्यकर खाद्य विपणन से प्रभावित होता है। उनके भाषण का सार इस प्रकार है:

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि गरीब समुदायों को संक्रामक रोगों, कुपोषण और एनीमिया का कहीं अधिक बोझ उठाना पड़ता है, जबकि समृद्ध वर्गों को अलग-अलग स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। मेरे विचार से, स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है - जैविक और महामारी विज्ञान संबंधी कारक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक कारक जैसे तंबाकू का सेवन और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का विपणन।

भारत ने जल और स्वच्छता जैसे प्रमुख निर्धारकों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त हो गया है और जलजनित रोगों में उल्लेखनीय कमी आई है। अनुमान बताते हैं

▶ नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पॉल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

कि इससे बाल रोग और मृत्यु दर में काफी हद तक कमी आई है। जल जीवन मिशन के तहत, ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन लगभग पांच वर्षों में 17% से बढ़कर 81% हो गए हैं - यह विस्तार अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन की संयुक्त आबादी के बराबर जल उपलब्धता प्रदान करने के बराबर है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी हमने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। शुरुआत में इसका लक्ष्य जनसंख्या के सबसे निचले 40% हिस्से पर था, लेकिन अब यह 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 6 करोड़ लोगों को कवर करता है। राज्य योजनाओं, ईएसआई और अन्य पहलों के साथ मिलाकर, कुल स्वास्थ्य कवरेज 7 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच गया है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रतिदिन 70,000 से अधिक मरीज भर्ती होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जेब खर्च 64% से घटकर लगभग 39% हो गया है।

हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र अब गैर-संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था देखभाल, नेत्र एवं कान, नाक और गले से संबंधित सेवाएं, दर्द निवारक सेवा, दंत चिकित्सा देखभाल और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित विस्तारित सेवाएं प्रदान करते हैं। आज भारत में लगभग दो-तिहाई मौतें गैर-संक्रामक रोगों के कारण होती हैं। इसलिए, हम 30 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक के लिए रक्तचाप और मधुमेह की वार्षिक जांच की योजना बना रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क उपचार शामिल है। हमारा उद्देश्य केवल जांच करना ही नहीं, बल्कि रोगों के प्रसार को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण करना है।

भारत में तपेदिक, कुष्ठ रोग, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, काला-अजार, खसरा, रूबेला और मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में भी लगातार प्रगति हो रही है, जिसके लिए अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास जारी हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं और इनके समाधान के लिए सरकार और समाज दोनों के समग्र सहयोग की आवश्यकता है। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करता हूँ और एक नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल देता हूँ।

▶ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की सदस्य डॉ. शमिका रवि प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए

मेरा मानना है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाला बड़ा बदलाव प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, सभी की इस तक पहुंच सुनिश्चित करने, प्रभावी निवारक प्रणालियों का निर्माण करने, गैर-संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और व्यापक कार्यान्वयन के माध्यम से स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करने पर निर्भर करता है। इस साझा यात्रा में निरंतर सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की सदस्य डॉ. शमिका रवि ने कई ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात की, जहां बेहतर पहुंच ने देनिकगरिमा को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब सभी के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि चुनौती कमी नहीं बल्कि पोषण है। उनके भाषण का सारांश इस प्रकार है:

मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक सच्चे लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुनियादी सेवाएं प्रत्येक नागरिक तक पहुंचें, विशेषकर सबसे निचले और सबसे कमजोर वर्ग तक। यही मेरे द्वारा वर्णित सिद्धांत का सार है। संतृप्ति नीति हर जगह, हर किसी को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता। जैसे-जैसे भारत का विकास और समृद्धि बढ़ती है, वैसे-वैसे इन बुनियादी सुविधाओं की परिभाषा भी स्वाभाविक रूप से विस्तृत होती जाती है।

आइए, मैं आपको बताता हूँ कि आवश्यक वस्तुओं तक बेहतर पहुँच से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गरिमा कैसे बढ़ रही है। भोजन और पोषण के क्षेत्र में, भारत आज सभी के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करता है। चुनौती अब कमी नहीं, बल्कि पोषण है—यानी लोग वास्तव में क्या खा रहे हैं। अब सबसे गरीब परिवार भी कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक फल, दूध और विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। यह बदलाव बढ़ती खुशहाली और बढ़ी गरिमा को दर्शाता है।

स्वच्छता ने स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा भी काफी बढ़ी है। साक्ष्य बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में शौचालय बनाए गए हैं, वहां यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं में भारी कमी आई है, क्योंकि महिलाओं को अब असुरक्षित समय में बाहर नहीं निकलना पड़ता। मैं इसे गरिमा की बहाली का एक सशक्त उदाहरण मानती हूं।

बैंक खाते, स्वच्छ पेयजल, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी दैनिक आवश्यक सुविधाएं, जो कभी अविश्वसनीय थीं, अब अधिकांश परिवारों के जीवन का सामान्य हिस्सा बन गई हैं। समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। पिछले 12 वर्षों में, लगभग 302 मिलियन लोग मध्यम गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और यह प्रगति व्यापक रही है, जो विभिन्न क्षेत्रों और प्रमुख सामाजिक समूहों को प्रभावित करती है।

साथ ही, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। संसाधनों की सीमितता के

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए

कारण हर सार्वजनिक सेवा को कानूनी "अधिकार" में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यूनतम मजदूरी कानून या एमएनआरईजीए जैसे कार्यक्रम दर्शाते हैं कि भले ही अधिकार कागज़ पर मौजूद हों, वित्तीय और क्षमता संबंधी बाधाएं उनके पूर्ण कार्यान्वयन को सीमित कर सकती हैं।

मैं इस बात पर भी ज़ोर देना चाहूंगा कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कई परिवार स्वास्थ्य या शिक्षा की तुलना में तंबाकू और गुटखा पर अधिक खर्च करते हैं। इन विकल्पों से अंततः सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ बढ़ता है, जिससे समाज के लिए समग्र रूप से लागत बढ़ जाती है।

यदि भारत को 2047 के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें न केवल अधिकारों पर, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार, सामुदायिक जागरूकता और साझा कर्तव्यों पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने मंत्रालय की विभिन्न पहलों और छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से छात्रों के विभिन्न वर्गों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के बारे में बताया, ताकि शिक्षा और उद्यम के माध्यम से उनके सम्मान के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। उनके भाषण का सार इस प्रकार है:

मैं आज के विषय के महत्व पर जोर देना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि मानव अधिकारों की प्राप्ति न्याय, समावेशिता और समानता पर दृढ़ता से आधारित होनी चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, देश के कुछ सबसे कमजोर और हाशिए पर स्थित समुदायों - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गैर-अधिसूचित जनजातियां, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, सफाई और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करता है। इन समूहों के लिए, दस्तावेजीकरण, अवसरों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच ही वास्तविक सशक्तिकरण की नींव है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें मात्र विशेषाधिकार की व्यवस्था से हटकर क्षमता संवर्धन की व्यवस्था अपनानी चाहिए। सशक्तिकरण तभी सार्थक होता है जब हाशिए पर रहने वाले समुदाय के किसी बच्चे को शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति मिले या जब किसी सफाईकर्मी को उद्यमी बनने के लिए सहायता मिले। मेरी राय में, शिक्षा ही सम्मान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे स्कूल या उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाएं। यह गर्व की बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के छात्र IIT, IIM और अग्रणी विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अधिकाधिक प्रवेश ले रहे हैं। कई छात्रों को विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने के लिए सहायता भी मिल रही है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आकांक्षाएं किसी अन्य समूह से भिन्न नहीं हैं।

साथ ही, हमें रोजगार चाहने वालों और रोजगार सृजन करने वालों दोनों की आवश्यकता है। स्वच्छता उद्यमी योजना जैसी पहलें दर्शाती हैं कि आजीविका से जुड़े कार्यक्रम किस प्रकार नए अवसर और स्थायी आय उत्पन्न कर सकते हैं। मैं गरिमा बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर भी

▶ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

प्रकाश डालना चाहूंगा। ऑनलाइन बैंकिंग, आधार-आधारित सेवाएं और संपर्क जैसे शिकायत निवारण पोर्टल ने बिचौलियों को हटाकर नागरिकों को सीधे सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शून्य-इंटरफेस पोर्टल इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी उन समुदायों के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से कलंक और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है।

मैं जल जीवन मिशन जैसी पहलों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है, साथ ही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख से अधिक सहायक उपकरणों का वितरण और कमजोर समूहों के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों की ओर भी। मैं डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों को याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, जो हमें याद दिलाते हैं कि वंचितों का उत्थान एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रतिबद्धता है जो किसी राष्ट्र की नैतिक शक्ति को परिभाषित करती है।

यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार ने विभिन्न सेवाओं के प्रमाणीकरण के लिए आधार की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आम गलतफहमियों को दूर करते हुए कहा कि आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है, न कि नागरिकता, निवास स्थान या जन्मतिथि का प्रमाण। उनके भाषण का सार इस प्रकार है:

मैं सशक्तिकरण और सम्मान के एक शक्तिशाली साधन के रूप में आधार की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आधार एक कार्ड नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय 12 अंकों का पहचान क्रमांक है जिसे निवासियों को मूलभूत पहचान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करना चाहूंगा: आधार नागरिकता, निवास स्थान या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। यह केवल पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति जो बारह महीने से अधिक समय से भारत में रह रहा है, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है।

▶ यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

आइए संक्षेप में समझते हैं कि आधार कैसे काम करता है। नामांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित बायोमेट्रिक कैप्चर और मजबूत डेटाबेस प्रबंधन शामिल है। आज, आधार का व्यापक उपयोग इसके प्रभाव को दर्शाता है। 14.2 अरब से अधिक आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 74,000 नए नामांकन हो रहे हैं। अपनी स्थापना के बाद से, इस प्रणाली ने 154 अरब से अधिक प्रमाणीकरण किए हैं, जिनमें से लगभग नौ करोड़ प्रमाणीकरण प्रतिदिन होते हैं। आधार-आधारित सत्यापन ने विभिन्न सेवा वितरण प्रणालियों में लगभग 87 प्रतिशत फर्जी या डुप्लिकेट लाभार्थियों को समाप्त करने में मदद की है, जिससे धोखाधड़ी और डेटा लीक को रोकने में इसकी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है।

भारत की डिजिटल शासन व्यवस्था में आधार की अहम भूमिका है, खासकर जन धन खातों, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी की जैम ट्रिनिटी के माध्यम से। इन तीनों के मेल से सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन संभव हुआ है, सेवा वितरण सुव्यवस्थित हुआ है और प्रशासनिक अक्षमताएं काफी हद तक कम हुई हैं। मैं आधार को भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की पहचान परत के रूप में देखता हूं, जो निर्बाध डिजिटल भुगतान, लक्षित कल्याणकारी वितरण और डेटा-आधारित शासन को सक्षम बनाती है।

मैं आधार-आधारित प्रणालियों की लागत-प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जो पारंपरिक तंत्रों की तुलना में अधिक कुशल, पारदर्शी और विस्तार योग्य साबित हुई हैं।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक सुश्री सुनीता नारायण ने गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के महत्व पर बल दिया। उनके भाषण का सार इस प्रकार है:

मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत ने धीरे-धीरे कई मूलभूत आवश्यकताओं को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। हालांकि, गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। मैं दिल्ली के वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर विशेष रूप से चिंतित हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दा है।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि विकास को तब तक टिकाऊ नहीं कहा जा सकता जब तक वह न तो वहनीय हो और न ही समावेशी। जब तक हम विकास के मूल दृष्टिकोण को नहीं बदलते, तब तक सभी के लिए गरिमा की रक्षा करना वास्तव में मुश्किल होगा। वायु गुणवत्ता, ऊर्जा प्रणालियों और प्रदूषण प्रबंधन जैसे मुद्दों की अधिक सावधानीपूर्वक जाँच-पड़ताल

की जानी चाहिए। आबादी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निजी वाहनों का मालिक है और उनका उपयोग करता है, फिर भी पर्यावरण नीतियाँ अक्सर इसी वर्ग पर असमान रूप से केंद्रित हो जाती हैं।

इसलिए, ऊर्जा और स्वच्छता प्रणालियों को इस प्रकार डिजाइन करना आवश्यक है जो लोगों के लिए, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक स्तर के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों के लिए, किफायती, सुलभ और प्रभावी हों। हमें नवीन और संसाधन-कुशल समाधानों की आवश्यकता है, क्योंकि गरिमा को तभी बनाए रखा जा सकता है जब ये प्रणालियाँ हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन सुचारू रूप से कार्य करें।

मैं सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर देना चाहूंगा। अधिकार-आधारित बुनियादी ढांचे का निर्माण संस्थागत दक्षता और क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करता है। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को धन्यवाद देता हूं और सभी के लिए सतत, समावेशी और गरिमापूर्ण विकास को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, सैडिंगपुई छकछुआक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

▶ सुश्री सुनीता नारायण, महानिदेशक, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए

लेख

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

- न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन
अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत

(1 दिसंबर 2025 को मुंबई के टीआईएसएस में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में उनके संबोधन पर आधारित)

"चूंकि परिवीक्षा कानून के विकास का इतिहास काफी रोचक है, इसलिए आइए एक वास्तविक जीवन की कहानी से शुरुआत करें, जिसे आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा।

जॉन ऑगस्टस का जन्म 1785 में मैसाचुसेट्स के वोबर्न में हुआ था। वे एक मोची बने और वाशिंगटन टोटल एब्सटिनेंस सोसाइटी के सदस्य थे। एक दिन, 1841 में, ऑगस्टस ने अदालत में पेश किए गए एक शराबी की दयनीय स्थिति देखी। करुणा से द्रवित होकर, उन्होंने इस वादे के साथ जमानत की पेशकश की कि सजा सुनाने से पहले वे उस व्यक्ति को सुधार लेंगे। तीन सप्ताह बाद, शराबी एक संयमी और गरिमापूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति बनकर अदालत में लौटा। यहीं से जॉन ऑगस्टस के स्वैच्छिक परिवीक्षा अधिकारी के रूप में 18 वर्षों के करियर की शुरुआत हुई। तब से, जॉन ऑगस्टस का नाम परिवीक्षा का पर्याय बन गया और उन्हें परिवीक्षा का जनक माना जाता है।

न्यूयॉर्क शहर के परिवीक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित 'हिस्ट्री ऑफ प्रोबेशन'' नामक लेख में बताया गया है कि 1841 से 1858 तक जॉन ऑगस्टस ने 1,946 पुरुषों और महिलाओं को जमानत दिलवाई थी। बताया जाता है कि इनमें से केवल 10 लोगों ने ही जमानत राशि का उल्लंघन किया, जो किसी भी मानक के अनुसार एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए, 1859 में उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद मैसाचुसेट्स में लागू किया गया पहला परिवीक्षा कानून व्यापक रूप से उनके प्रयासों का परिणाम माना जाता है।

एक गुमनाम पत्र में, जिसमें ऑगस्टस के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है, उनकी परोपकारिता का एक रोचक पहलू सामने आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों, पुलिस और अन्य अधिकारियों को किसी ऐसे मामले में दोष सिद्ध होने पर एक डॉलर से भी कम शुल्क मिलता था, जिसमें उन्होंने गवाही दी हो, साथ ही किसी आरोपी को जेल भेजने वाले वारंट या रिट के लिए अतिरिक्त शुल्क भी मिलता था। चूंकि ऑगस्टस कई ऐसे आरोपियों को जमानत पर छुड़वा लेते थे जिन्हें अन्यथा जेल जाना पड़ता, इसलिए अधिकारियों को अक्सर उनके प्रयासों से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए, अधिकारी कभी-कभी ऑगस्टस के अदालत कक्ष से बाहर जाने का इंतजार करते थे, इससे पहले कि वे किसी ऐसे मामले की पैरवी करें जिसमें उनके द्वारा आरोपी को जमानत मिलने की संभावना हो। इस चालाकी से, आरोपी को जल्दी से न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता था, अक्सर उसे दोषी ठहराया जाता था और इस प्रकार अधिकारियों को छोटी-मोटी फीस वसूलने का मौका मिल जाता था।

ऑगस्टस से प्रेरित होकर या अन्यथा, फ्रेडरिक रेनर नामक एक अन्य व्यक्ति, जो हर्टफोर्डशायर (इंग्लैंड) के एक प्रिंटर थे और लंदन पुलिस अदालतों में शराब से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजित व्यक्तियों की मदद करना चाहते थे, ने 1876 में चर्च ऑफ इंग्लैंड टेम्परेंस सोसाइटी को दान दिया। दान की गई धनराशि से, चर्च ऑफ इंग्लैंड टेम्परेंस सोसाइटी ने एक 'पुलिस कोर्ट मिशनरी' नियुक्त किया। उन्हें अदालत की कोठरियों में शराबियों का साक्षात्कार करने और यह मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया कि उनमें से कौन मदद के लिए तैयार होगा और अपराधी को सही रास्ते पर लाने के लिए अदालत को एक योजना सुझाएगा। इसके बाद, इंग्लैंड में प्रथम अपराध परिवीक्षा अधिनियम 1887 पारित किया गया।

भारतीय संदर्भ में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 शायद पहला कानून था जिसने अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर व्यक्तियों को सजा देने के बजाय रिहा करने का प्रावधान किया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 562, 563 और 564 इंग्लैंड के प्रथम अपराध परिवीक्षा अधिनियम, 1887 की धारा 1, 2 और 3 की प्रतिकृति थीं। लेकिन धारा 562 का प्रयोग केवल पाँच प्रकार के अपराधों पर ही सीमित था, अर्थात् चोरी, भवन में चोरी, बेईमानी से धन का गबन, धोखाधड़ी या भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत कोई अन्य अपराध जिसके लिए दो वर्ष से अधिक कारावास की सजा नहीं दी जा सकती थी। इन अपराधों में से किसी के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को धारा 562 का लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उसे दोषी ठहराने वाले न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि अपराधी की युवावस्था, चरित्र और पूर्ववृत्त, अपराध की तुच्छ प्रकृति और अपराध किए जाने के दौरान उत्पन्न हुई किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना उचित है।

1898 की दंड प्रक्रिया संहिता के पारित होने से पहले ही, भारत में ब्रिटिश प्रशासन जेलों के प्रशासन और बढ़ते खर्चों को लेकर चिंतित था। इसलिए, सरकार द्वारा 1838, 1864, 1877 और 1888-89 में गठित कई समितियों ने इस मुद्दे की जांच की। अंततः, 1913-14 की सर्दियों में इंपीरियल विधान परिषद ने जेल प्रशासन के पूरे विषय की जांच करने और पश्चिमी देशों के अनुभव के आधार पर सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार, मद्रास की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर अलेक्जेंडर जी. कार्ड्यू की अध्यक्षता में अप्रैल 1914 में एक समिति का गठन किया गया। संभवतः यह पहली समिति थी जिसने अन्य मुद्दों के साथ-साथ परिवीक्षा के मुद्दे पर भी विचार किया। इस समिति द्वारा 1919-20 में प्रस्तुत रिपोर्ट में अध्याय 15 के खंड III में परिवीक्षा पर एक अलग अध्याय शामिल था। 500 से अधिक पृष्ठों की इस रिपोर्ट में उस समय विभिन्न देशों में दंड कानून प्रशासन प्रणाली के कामकाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अमेरिका में प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति संबंधी अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद लाभ और मुनाफा लेकर भाग जाने पर आपत्ति जताई गई थी। इसलिए, प्रशासन ने क्षतिपूर्ति की एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत अपराधी को परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में काम करना होता था और उससे वसूल की जाने वाली राशि के भुगतान के लिए धन कमाना होता था। रिपोर्ट के अनुच्छेद 422 में कहा गया है कि अमेरिका में, परिवीक्षा अधिकारियों का उपयोग मुख्य रूप से उन पतियों से अंशदान वसूलने के लिए किया जाता था, जिन्हें अदालत द्वारा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अंशदान देने का आदेश दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1918 में, अकेले मैसाचुसेट्स राज्य में परिवीक्षा अधिकारियों के माध्यम से 485,339 डॉलर की राशि एकत्र की गई थी।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रणाली से तीन उद्देश्य पूरे हुए, अर्थात्: i) अपराधी को उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत में ही बचाना, ii) उसे जेल से दूर रखकर राज्य को बचाना और iii) अपराध और किशोर अपराध के कारणों की जांच करना संभव बनाना। लेकिन रिपोर्ट में अमेरिका में ही इस प्रणाली की आलोचना का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति द्वारा साक्षात्कार किए गए एक अनुभवी मजिस्ट्रेट ने इस प्रणाली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को एक अपराध करने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक पत्नी रखने का, और उनके राज्य में पहले से कहीं अधिक अपराध हो रहे हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत का भी पता नहीं चल पाता। उनके अनुसार, यह प्रणाली युवाओं के मामले में तो कारगर रही, लेकिन वयस्कों के मामले में असफल रही। वर्ष 1928 में, संयुक्त प्रांत जेल जांच समिति के नाम से एक समिति का गठन किया गया और समिति ने 1929 में काम शुरू किया। अपनी रिपोर्ट में, इस 1929 की समिति ने महाद्वीपीय परिवीक्षा प्रणाली की तुलना अंग्रेजी प्रणाली से की और पैरा 309 में एक रोचक टिप्पणी की जो इस प्रकार है:

समिति का मत है कि परिवीक्षा के मामले में महाद्वीपीय प्रणाली अंग्रेजी प्रणाली से बेहतर है। महाद्वीपीय प्रणाली के तहत, दोषी पाए जाने पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है, लेकिन सजा निलंबित कर दी जाती है और उसे एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रखा जाता है। यदि इस अवधि के दौरान वह ईमानदार जीवन व्यतीत करता है, बुरे लोगों की संगति में नहीं पड़ता और अपराध में पुनरावर्ती

नहीं होता, तो सजा रद्द कर दी जाती है। समिति द्वारा महाद्वीपीय प्रणाली को अंग्रेजी प्रणाली पर प्राथमिकता देने के कारण निम्नलिखित हैं: जब परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसे क्या सजा सुनाई जाएगी, और यदि वह फिर से बुरे रास्ते पर चला जाता है, तो वह अपने कार्यों के परिणामों को हल्के में लेने के लिए अधिक प्रवृत्त होता है। जब उसे पता होता है कि सजा क्या होगी और वह ज्ञात परिणाम से भयभीत होने की स्थिति में होता है, तो उसके पुनरावर्ती होने की संभावना कम होती है।

सर अलेक्जेंडर जी. कार्ड्यू की अध्यक्षता वाली 1919 की समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने 1931 में "अपराधियों की परिवीक्षा विधेयक" नामक एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। यह विधेयक प्रांतीय सरकारों को भेजा गया, लेकिन प्रांतीय सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए, भारत सरकार ने प्रांतों को सूचित किया कि वे अपराधियों की परिवीक्षा पर अपने स्वयं के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

इससे कुछ प्रांतों को कानून बनाने में मदद मिली। पंजाब प्रांत शायद पहला प्रांत था जिसने 'अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए परिवीक्षा अधिनियम 1926' नामक कानून बनाया। वास्तव में, विभाजन के बाद, पाकिस्तान में 1960 तक यही कानून लागू रहा, जब उन्होंने परिवीक्षा से संबंधित एक नया कानून पारित किया। पंजाब प्रांत द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद, अन्य प्रांतों ने भी इसका अनुसरण किया। अकेले 1936 में ही, 4 प्रांतों ने कानून बनाए, जिनमें मद्रास परिवीक्षा अधिनियम 1936, सीपी और बरार परिवीक्षा अधिनियम 1936, बॉम्बे परिवीक्षा अधिनियम 1938 और संयुक्त प्रांत प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1938 शामिल हैं।

स्वतंत्रता के बाद, संसद ने 1958 का अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पारित किया। राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे इस अधिनियम को अपने द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू कर सकते हैं। इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने इस अधिनियम को 1981 में ही अधिसूचित किया, क्योंकि 1981 तक वह उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938 का पालन करता रहा।

1958 के केंद्रीय अधिनियम ने उन राज्यों में दंड प्रक्रिया अधिनियम 1898 की धारा 562 को निरस्त कर दिया, जहां यह अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम की धारा 3, दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 562 के समान ही थी। लेकिन दंड प्रक्रिया अधिनियम 1898 के स्थान पर दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 लागू हुआ और धारा 562 को धारा 360 के रूप में नया रूप दिया गया। हालांकि, धारा 360 में यह स्पष्ट किया गया था कि इस धारा में कोई भी प्रावधान किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (20 ऑफ 1958) या बाल अधिनियम, 1960 (60 ऑफ 1960) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। अब, दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की यह धारा 360, बीएनएसएस 2023 की धारा 401 के रूप में बरकरार रखी गई है।

परिवीक्षा कानून के विकास के इतिहास को देखने के बाद, आइए अब उन आलोचनाओं को देखें जो इसे दुनिया भर में मिली हैं और कुछ देशों द्वारा इन आलोचनाओं को दूर करने के लिए उठाए गए सुधारात्मक उपायों को देखें।

1966 में, रॉबर्ट मैग्नस मार्टिनसन नामक एक अमेरिकी समाजशास्त्री और अपराधशास्त्री ने लिप्टन और विल्क्स के साथ मिलकर एक अध्ययन किया, जिसमें 1945 से 1967 तक के 231 मामले शामिल थे। उनकी रिपोर्ट, जिसमें नकारात्मक परिणाम बताए गए थे, शुरू में दबा दी गई थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक हो गई। 1975 में एक साक्षात्कार में, मार्टिनसन ने दावा किया कि जेल पुनर्वास में "कुछ भी कारगर नहीं है"। उनके काम को राजनेताओं ने सराहा और इससे कठोर सजाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों को रद्द करने की लहर उठी। उन्होंने स्वयं 1979 में आत्महत्या कर ली, इससे पहले उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था जिसे "कुछ भी कारगर नहीं है" आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

लेकिन इस आंदोलन की शिक्षाविदों ने कड़ी आलोचना की, जिन्होंने अपराधियों के उपचार पर नए सिरे से शोध किया, जिसके परिणामस्वरूप "व्हाट वर्क्स" नामक एक प्रतिवाद आंदोलन शुरू हुआ। इस "व्हाट वर्क्स" आंदोलन ने सुधार एजेंसियों को महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं थे। इसलिए, यह महसूस किया गया कि कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यान्वयन की अखंडता और प्रभावशीलता के मध्यस्थों का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपराधियों के लिए प्रभावी कार्यक्रम और सेवाएं तैयार करना, उन्हें लागू करना और उनका इस तरह से मूल्यांकन करना जिससे विकास, वितरण और मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके, चिकित्सकों, कार्यक्रम प्रबंधकों, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना गया।

इसके बाद मार्क लिपसी आए, जिनके 1989 के मेटा-विश्लेषणों ने पुष्टि की कि अपराधियों के उपचार से अक्सर पुनरावृत्ति में कमी आती है, जबकि कठोर दंडों का पुनरावृत्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके बाद, एंड्रयूज, बोंटा और होगे नामक शोधकर्ताओं के एक समूह ने 1990 में प्रभावी हस्तक्षेप के लिए सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया, जिसे आरएनटी मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। ये सिद्धांत हैं: (1) जोखिम (उच्च जोखिम वाले अपराधियों को प्रत्यक्ष सेवाएं), (2) आवश्यकता (उपचार में अपराध-प्रेरक आवश्यकताओं को लक्षित करना) और (3) जवाबदेही (संज्ञानात्मक-व्यवहारिक उपचार विधियों का उपयोग करना और हस्तक्षेप को अपराधी की सीखने की शैली, प्रेरणा, क्षमताओं और शक्तियों के अनुरूप बनाना)।

अब तक विद्वानों द्वारा किए गए सभी अध्ययनों में दो समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये क्षेत्र परिवीक्षा प्रदान करने के लिए लगाई गई शर्तों और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की प्रतिबद्धता से संबंधित हैं। यहां तक कि मार्टिनसन जैसे अनुभवी विद्वान भी पूछते हैं: (क) क्या परिवीक्षा एक "विशेषाधिकार" है या एक "अधिकार"? (ख) क्या परिवीक्षा अधिकारी "न्यायालय का अधिकारी" है? (ग) यदि हां, तो न्यायालय और अपने मुवक्किल के साथ उसके व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? (घ) गोपनीयता की साक्ष्य संबंधी और नैतिक सीमाएं क्या हैं? (ङ) न्यायाधीश और परिवीक्षा अधिकारी के बीच संबंधों को कैसे विनियमित किया जा सकता है?

अक्टूबर 2024 में प्रकाशित एक लेख "वन साइज फिट्स नन: हाउ 'स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन सेट पीपल अप टू फेल" में, इसकी लेखिका एमिली विड्रा, जो प्रिजन पॉलिसी इनिशिएटिव में एक वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक हैं, कहती हैं:

"हर साल राज्य की जेलों में भर्ती होने वाले 10 में से 1 से अधिक लोगों ने कोई नया अपराध नहीं किया होता, बल्कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा की कई शर्तों या नियमों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया होता है। यह अनावश्यक कारावास व्यापक रूप से अपनाई गई परिवीक्षा शर्तों का अनुमानित परिणाम है, जो इतनी अस्पष्ट रूप से परिभाषित, इतनी बोझिल और इतनी कठोरता से लागू की जाती हैं कि वे वास्तव में 'पुनरावृत्ति' की परिभाषा को व्यापक बना देती हैं। इन शर्तों के माध्यम से, अदालतें और परिवीक्षा अधिकारी ऐसे दंडनीय अपराध बनाते हैं जो आपराधिक कानून से कहीं आगे जाते हैं और लोगों को असफल होने के लिए तैयार करते हैं। और चूंकि सुधारात्मक नियंत्रण में रहने वाले अधिकांश लोग परिवीक्षा पर हैं 2.9 लाख लोग, जो जेल में बंद 1.9 लाख लोगों से कहीं अधिक हैं ये जाल जैसी स्थितियां परिवीक्षा को बड़े पैमाने पर कारावास का एक प्रमुख कारण बनाती हैं, न कि वह 'विकल्प' जो इसे होना चाहिए।"

एमिली अपनी बात समाप्त करते हुए कहती हैं, "जहां परिवीक्षा को कारावास के एक वास्तविक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जहां परिवीक्षा रद्द होने की संभावना कम से कम होती है, वहां यह आपराधिक कानूनी व्यवस्था में शामिल लोगों को कारावास के दुष्परिणामों से बचा सकती है। लेकिन अक्सर, इसका इस्तेमाल एक सामान्य दंड के रूप में किया जाता है जो लोगों को असफल होने के लिए प्रेरित करता है और परिवीक्षा रद्द होना अक्सर उन समझ में आने वाले "उल्लंघनों" के कारण होता है जिनका सार्वजनिक सुरक्षा से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह, परिवीक्षा सुधारात्मक नियंत्रण में आने वाले लोगों के दायरे को बढ़ाती है और यहां तक कि कारावास की संख्या को भी बढ़ा देती है।"

स्वतः संज्ञान

मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनएचआरसीके लिए मीडिया रिपोर्टें एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। वर्षों से, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को न्याय दिलाया है। दिसंबर 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के 2 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किए। इन मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अवैध इमारत गिरने से चार मजदूरों की मौत

(केस संख्या 24327/24/30/2025))

20 नवंबर 2025 को मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर के नगला हुकुम सिंह गांव में 19 नवंबर 2025 को निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, निर्माण स्थल पर काम कर रहे 10 मजदूरों में से 1 लापता है। इमारत का निर्माण बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था। इसलिए, आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण शामिल होना चाहिए। इसमें मृतकों और घायलों के परिजनों को संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का भी विवरण होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी मंजिल के शटर हटाए जाने के दौरान इमारत कुछ ही सेकंड में नीचे से ऊपर की ओर गिर गई।

रक्त आधान के कारण छह बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए

(केस संख्या 3724/12/38/2025)

16 दिसंबर 2025 को मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में रक्त आधान के बाद कम से कम छह बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। बताया जाता है कि उनका अस्पताल में थैलेसीमिया का इलाज चल रहा था, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें समय-समय पर रक्त आधान की आवश्यकता होती है। बच्चों में एचआईवी पॉजिटिव होने की पुष्टि जनवरी से मई 2025 के बीच हुई और यह मामला अब सामने आया है। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी ही घटनाएं भी आयोग के संज्ञान में आई हैं। इसलिए, आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उनसे इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का विवरण देने की अपेक्षा की गई है।

राहत के लिए सिफारिशें

एनएचआरसी, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों को अपने हाथ में लेता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। दिसंबर 2025 में, सात मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए 36 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस संख्या को दर्ज करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	51/2/13/2019-AD	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	अरुणाचल प्रदेश सरकार
2.	1814/34/24/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	झारखंड सरकार
3.	18/16/1/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	मिजोरम सरकार
4.	19465/24/62/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
5.	618/34/12/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	झारखंड सरकार
6.	1390/10/15/2021-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	कर्नाटक सरकार
7.	1803/34/20/2022	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	झारखंड सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

दिसंबर 2025 के दौरान, आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट और सार्वजनिक प्राधिकरणों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देशों के आधार पर चार मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों को 8.5 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस संख्या को दर्ज करके भारत के राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	582/4/1/2023	बिद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आग लगी	2.00	बिहार सरकार
2.	1594/12/31/2024	पुलिस कर्मियों द्वारा हमला	0.50	मध्य प्रदेश सरकार
3.	19253/24/1/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
4.	33872/24/12/2021	ससुराल वालों द्वारा जहर दिए जाने से मृत्यु	1.00	उत्तर प्रदेश सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि राज्य अधिकारियों की गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें उनसे यह पूछा गया कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश क्यों न की जाए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। राज्यों द्वारा कारण बताओ नोटिसों का जवाब देने के तरीके की खूबियों ने आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण घरों में आग लगना

(केस संख्या 582/4/1/2023)

यह मामला 2023 में बिहार के अररिया जिले में उच्च तनाव वाले तार से लगी आग के कारण चार घरों के जलने और मकान मालिकों को हुए अपूरणीय नुकसान से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि बिद्युत निरीक्षक और उनके अधीनस्थों ने बिद्युत विभाग में मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही बरती थी। अतः, राज्य को अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि बिहार सरकार चारों मकान मालिकों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान अंततः कर दिया गया।

विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस संख्या 19253/24/1/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की जिला जेल में 25 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पाया कि उसने जेल से बाहर न निकल पाने के डर से आत्महत्या की थी। उसकी आत्महत्या से जेल अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से झलकती है और इसलिए, राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। अतः, आयोग ने सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश सरकार मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान अंततः कर दिया गया।

पुलिस द्वारा हमला

(केस संख्या 69/35/12/2024)

यह मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पुलिस स्टेशन में 2024 में एक व्यक्ति पर हुए कथित हमले से संबंधित है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल की चाबी बिना किसी कारण के ले ली और उसे काशीपुर पुलिस स्टेशन से लेने के लिए कहा। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई। आयोग ने पाया कि आरोपी कांस्टेबल ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और ऐसा आचरण शिकायतकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए, आयोग ने उत्तराखंड सरकार को पीड़ित को 50,000 रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान अंततः कर दिया गया। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन सर्किल अधिकारी, काशीपुर को चेतावनी और दोषी कांस्टेबल को कड़ी चेतावनी दी गई।

पुलिस की गोलीबारी में मौत

(केस संख्या 1340/34/10/2019)

यह मामला झारखंड के गुमला जिले के सिसई जिले में 2019 में विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 28 वर्षीय ग्रामीण की मौत से संबंधित है। खबरों के अनुसार, कुछ उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप गलती से गोली चल गई। आयोग ने पाया कि मतदान के दिन ग्रामीणों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प को अधिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से निपटा जा सकता था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि बल का प्रयोग अनुपातहीन था और मानव अधिकारों का उल्लंघन था। इसलिए, आयोग ने माना कि राज्य मुआवजे के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, आयोग ने सिफारिश की कि झारखंड सरकार पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान अंततः कर दिया गया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई।

न्यायिक हिरासत में मृत्यु

(केस संख्या 1921/25/10/2020-जेसीडी)

यह मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के जलपाईगुड़ी केंद्रीय सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी की 2020 में हुई मौत से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और जेल के अंदर एक अन्य कैदी ने उस पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट रूप से जेल कर्मचारियों की ओर से जेल के अंदर हिंसा को रोकने में लापरवाही और सतर्कता की कमी का संकेत मिलता है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि पश्चिम बंगाल सरकार मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान अंततः कर दिया गया। संबंधित हेड वार्डर और ड्यूटी पर तैनात वार्डरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। उन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा सुनाई गई।

मौके पर पूछताछ

एनएचआरसी, भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर जांच अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

केस संख्या 133/36/9/2025

1 से 6 दिसंबर 2025 तक, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की जमीन पर राजस्व अधिकारियों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के आरोप की मौके पर जांच की गई, जिससे पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती कर रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों के भूमि स्वामित्व अधिकारों से इनकार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय दौरे

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वन-स्टॉप सेंटर का दौरा किया

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके और राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया जा सके। वे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आश्रय स्थलों, कारागारों और निगरानी गृहों का भी दौरा करते हैं। इन दौरों के दौरान, राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को शीघ्रता से हल करने में सहायता मिलती है।

15 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अधोन में आंगनवाड़ी शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने पाया कि अन्य स्थानों की तरह ही आंगनवाड़ी शिक्षकों को भी भारी कार्यभार, अत्यधिक तनाव, कम वेतन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सीडीपीओ, सीडब्ल्यूसी सदस्य और संरक्षण अधिकारी से मुलाकात की और बच्चों, अभिभावकों और ग्राम सरपंच से बातचीत की। उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक वन-स्टॉप सेंटर का भी दौरा किया और लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। उन्होंने सभी को प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ परिचालन और सहायता संबंधी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने सीडब्ल्यूसी कार्यालय का भी दौरा किया और अध्यक्ष और सदस्यों से बातचीत करके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, समन्वय को मजबूत किया और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन तथा उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और मूट न्यायालयों सहित विभिन्न अन्य गतिविधियों का आयोजन करता है ताकि विशेषकर विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके। इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से आयोजित किए जाते हैं। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र दिल्ली में यात्रा और रहने के खर्च के बिना कार्यक्रम में शामिल हो सकें। एक महीने की प्रत्यक्ष इंटर्नशिप भी आयोजित की जाती हैं।

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

चार सप्ताह का शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी) 2025, नई दिल्ली स्थित संस्थान में 15 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से कुल 80 विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इनका चयन देश के 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न संस्थानों से आए 1,485 आवेदकों में से किया गया था।

इसका उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि यह इंटर्नशिप भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में सहपाठियों से सीखने का एक अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के विषय में सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है और प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में, घर पर, कार्यस्थल पर और समुदाय के भीतर आत्मसात करें, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दे सकें।

अपने मुख्य भाषण में, एनएचआरसी के भारत महासचिव श्री भरत लाल ने मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे भारत के संविधान और देश की सभ्यतागत संस्कृति में निहित मूल्यों से प्रेरित होकर गहरी सहानुभूति और करुणा की भावना विकसित करें। उन्होंने उनसे इंटर्नशिप का उपयोग अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और एक समावेशी, समान और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

इससे पहले, इंटर्नशिप कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देते हुए, एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैदिंगपुई छकछुआक ने कहा कि विषय विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्रों के अलावा, इंटर्न के पास समूह अनुसंधान परियोजनाएं, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी जिनका उद्देश्य मानव अधिकार मुद्दों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना और उन्हें संबोधित करने के लिए नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना है।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

▶ समापन सत्र में उपस्थित प्रशिक्षु

प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किए गए थे। इनका आयोजन आयोग के सहयोग से विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया था।

- 1 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने मुंबई, महाराष्ट्र स्थित टीआईएसएस में आयोजित अपराधियों की परिवीक्षा के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उनका भाषण इस न्यूज़लेटर के पिछले पृष्ठों में प्रकाशित हो चुका है। पी.ओ., श्री अंजनी अनुज ने भी परामर्श सम्मेलन में परिवीक्षा अधिनियम पर एक सत्र की अध्यक्षता की।

- 3 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के बीके स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट स्टडीज के लोक नीति एवं शासन विभाग द्वारा आयोजित 'संस्कृति, दर्शन और कला में मानव अधिकार: भारतीय अनुभव' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। श्री लाल ने प्रौद्योगिकी द्वारा मानव भूमिकाओं के विस्थापन से उत्पन्न चुनौतियों सहित कई चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के प्राचीन सभ्यतागत मूल्यों, जैसे समानता, सर्वमान्य गरिमा और अहिंसा, से पुनः जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। संगोष्ठी में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

- 4 दिसंबर 2025 को जम्मू विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा 'एक न्यायसंगत भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्य और मानव अधिकार: एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य' विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे एनएचआरसी, भारत का समर्थन प्राप्त था। अपने उद्घाटन भाषण में, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का अर्थ है जाति, लिंग, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति जैसे परस्पर विबद्ध भेदभावों को पहचानना और जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पहुंच और आर्थिक विकास को न्याय और गरिमा के मुद्दों के रूप में देखना। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य मूलभूत मानव अधिकारों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विचार-विमर्श से समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य का निर्माण होगा।

▶ 'सतत विकास लक्ष्य और मानव अधिकार एक न्यायसंगत भविष्य के लिए: एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य' विषय पर क्रेन्दित सम्मेलन का दृश्य

- 5 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साहो, भटिंडा, पंजाब द्वारा 'मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार: पहुंच, जागरूकता और वकालत में अंतराल को पाटना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

▶ एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

- 5 दिसंबर 2025 को, तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित डॉ. एनजीपी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ने छात्रों के लिए मानव अधिकार और मूल्यों: संवर्धन और संरक्षण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएचआरसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती इलाक्किया करुणागरन मुख्य अतिथि थीं। एनएचआरसी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया।

- 6 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने महाराष्ट्र के धुले में जगन्नाथ कड़वादास शाह आदर्श महाविद्यालय द्वारा आयोजित 'महिला अधिकार' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को वस्तुतः संबोधित किया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैड़िंगपुई छकछुआक प्रतिभागियों के प्रश्नों को सुनते हुए

- 8 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने मदर निर्मला फाउंडेशन, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 'उज्ज्वल भविष्य के लिए बाल अधिकारों और किशोर न्याय की पुनर्कल्पना' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

- 18 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया (एनजीओ), भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा मानव अधिकार संरक्षकों के लिए आयोजित एक दिवसीय संवेदीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि मानव अधिकार संरक्षको के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- 11 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) में आयोजित भारतीय वन सेवा (आईएफ़एस) मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटी चरण–V) के अंतर्गत वरिष्ठ आईएफ़एस अधिकारियों को मानवीय मूल्य, सुशासन तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत के संस्थागत ढांचे पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा—वनों, वन्यजीवों, जल निकायों और भूमि का संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना—हमारी पीढ़ी की सबसे निर्णायक चुनौतियों में से कुछ के रूप में उभरकर सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैदान स्तर पर कार्यरत आईएफ़एस अधिकारियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए विकास और आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाना एक महत्वपूर्ण दायित्व है, ताकि प्रगति का लाभ सभी तक, विशेषकर सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और संवेदनशील समुदायों तक, पहुँच सके।

श्री लाल ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व स्तरों पर, शासन का अर्थ है टीमों को अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाना - संसाधनों को जुटाना, लोगों

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, देहरादून स्थित आईजीएनएफए में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों को मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, देहरादून स्थित आईएनजीएफए में 2025 बैच के 125 आईएफएस अधिकारियों और दो विदेशी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

को प्रेरित करना और विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय में उनके साथ खड़े रहना। प्रभावी नेतृत्व निस्वार्थता से शुरू होता है: लोक सेवा अंततः स्वयं की सेवा करने के बारे में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के बारे में है।

उन्होंने वास्तविक जीवन के अनुभवों और जमीनी जानकारियों के आधार पर विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में लोक सेवकों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस चर्चा में भारत के मानव अधिकार संरक्षण ढांचे के विकास पर भी प्रकाश डाला गया, जो सहानुभूति, अहिंसा, गरिमा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की सभ्यतागत विचारधारा पर आधारित है और जिसने हमारे संवैधानिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने वैश्विक मानव अधिकारों में भारत के योगदान पर भी विचार व्यक्त किया, जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूएचडीआर) के अनुच्छेद 1 में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने में डॉ. हंसा मेहता और लक्ष्मी मेनन की भूमिका शामिल है।

संविधान के स्तंभों के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बिरादरीसर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भूमिका, न्यायिक स्वतंत्रता और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के मार्गदर्शक महत्व का विश्लेषण किया गया। भारत की सुलभ न्याय प्रणाली, विशेष रूप से जनहित याचिका (पीआईएल) और जैसे संस्थानों के कार्य का भी अध्ययन किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन पर भी चर्चा हुई। सत्र का समापन भारत की अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रतिबद्धताओं और सतत जन सहभागिता के महत्व पर विचार-विमर्श के साथ हुआ।

उसी दिन एक अन्य सत्र में, श्री भरत लाल ने आईएनजीएफए में भारतीय वन सेवा के 2025 बैच के 125 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और दो विदेशी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका काम न केवल स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, जो जीवन की दो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम में भी योगदान देगा।

उन्होंने व्यापक पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य साझा करते हुए कहा कि विश्व की 17 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या और सबसे बड़ी पशुधन आबादी का घर होने के बावजूद भारत के पास विश्व की कुल भूमि का केवल 2.5 प्रतिशत और वैश्विक मीठे जल संसाधनों का लगभग 4 प्रतिशत ही है। इसके बावजूद, पारिस्थितिक एवं जल सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत ने आज 23 प्रतिशत से अधिक वन एवं वृक्ष आच्छादन बनाए रखा है, और देश के एक-तिहाई भू-भाग को हरित आच्छादन के अंतर्गत लाने का दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।

हाल के वर्षों में, भारत ने वन्यजीव संरक्षण, मैंग्रोव बहाली और हरित आवरण विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है इस गति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब युवा अधिकारियों को सौंपी जाएगी। सच्चा नेतृत्व स्वयं से पहले लोगों को प्राथमिकता देने में निहित है। लोक सेवा शक्ति या विशेषाधिकार के बारे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और त्याग के बारे में है।

- 19 दिसंबर 2025 को, भारत के राष्ट्रीय लोक प्रशासन आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव श्री भरत लाल ने आईपीएस, आईएफएस और आईपी एवं टीएएफएस के 2020 और उससे पहले के बैचों के 18 अधिकारियों के लिए आयोजित 8 सप्ताह के 100वें विशेष फाउंडेशन कोर्स के समापन सत्र में भाग लिया। यह कार्यक्रम हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में इसके महानिदेशक, श्री मनोज यादव, जो एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक हैं, के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, गुरुग्राम स्थित एचआईपीए में 2020 और उससे पहले के बैचों के आईपीएस, आईएफएस और आईपी एवं टीएएफएस के 18 अधिकारियों के लिए आयोजित 100वें विशेष फाउंडेशन कोर्स के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

▶ श्री भरत लाल ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कानूनों और नियमों का उपयोग लोगों पर शासन करने के बजाय उनके जीवन को बेहतर बनाने के साधन के रूप में करें

श्री लाल ने कहा कि शासन के मूल में सहानुभूति, करुणा और सेवा जैसे भारतीय मूल्य निहित होने चाहिए। संवेदनशीलता, तत्परता और सक्रिय प्रशासन के माध्यम से हमें सभी के लिए गरिमा, न्याय, मानव अधिकार और बेहतर जीवन स्तर के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सिविल सेवक को प्रतिक्रियाशील होने के बजाय चिंतनशील, यांत्रिक होने के बजाय विचारशील होना चाहिए और हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए ताकि नागरिकों को बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने में कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को भी न्याय से वंचित न किया जाए और मदद करने का कोई भी अवसर न चूकें। दृढ़ता और कठोरता में स्पष्ट अंतर है कोई व्यक्ति विनम्र, दयालु और मददगार होते हुए भी दृढ़ हो सकता है। कानून और नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साधन होने चाहिए, न कि उन पर शासन करने के।

ज्ञानार्जन दौरे

महाविद्यालय स्तर के छात्रों और उनके संकाय सदस्यों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, एनएचआरसी, भारत उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के अनुसार इसके कामकाज को समझ सकें। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें आयोग के कामकाज और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित ज्ञानार्जन दौरे आयोजित किए गए:

8 दिसंबर 2025 को, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित किंग्स्टन लॉ कॉलेज से 42 छात्रों तथा 2 संकाय सदस्यों के एक दल ने एनएचआरसी का दौरा किया। उन्हें आयोग के विधि प्रभाग, अन्वेषण प्रभागों तथा शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कार्यकरण के बारे में जानकारी दी गई।

16 दिसंबर 2025 को, 4 आईआरपीएफ़एस प्रशिक्षु अधिकारियों के एक बैच ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया और महासचिव श्री भरत लाल से शिष्टाचार भेंट की। उन्हें संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार एवं श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं और आयोग के कार्यकरण के बारे में अवगत कराया गया।

आईटी पहल

एनएचआरसी, भारत ऐप

एनएचआरसी, भारत क ने 10 दिसंबर 2025 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य मानव अधिकार सेवाओं तक जनता की पहुंच को बढ़ाना है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयोग के पास सीधे शिकायत दर्ज करने, वास्तविक समय में उनकी स्थिति का पता लगाने और मामले की प्रगति पर अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह शैक्षिक सामग्री, न्यूज़लेटर और आधिकारिक प्रकाशनों सहित प्रमुख मानव अधिकार संसाधनों तक पहुंच भी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस और सरल प्रक्रियाओं के साथ, यह ऐप एनएचआरसी के साथ जुड़ने के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। पारदर्शिता में सुधार, सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और शिकायतों के समय पर निवारण को सुगम बनाकर, यह ऐप मानव अधिकार जागरूकता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनएचआरसी के नवीन प्रकाशन

एनएचआरसी भारत अंग्रेजी जर्नल 2025

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अंग्रेजी जर्नल (खंड 24) समकालीन और उभरते मानव अधिकार मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। इस प्रकाशन में प्रख्यात लेखकों और विषय विशेषज्ञों के 20 ज्ञानवर्धक लेख शामिल हैं, जो मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण करते हैं। यह भारत के सभ्यतागत मूल्यों और संवैधानिक लोकतंत्र, मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के साथ उनके संबंध का विश्लेषण करता है। प्रमुख विषयों में डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का अधिकार, वृद्धावस्था और बुजुर्गों की देखभाल, दिव्यांगता अधिकार, लैंगिक न्याय, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, पोषण सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, जल, स्वच्छता और ऊर्जा तक पहुंच, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक अधिकार, कारागार सुधार, मानव दुर्व्यापार , शहरी विस्थापन, डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मंच नैतिकता, धार्मिक और व्यक्तिगत कानून और वैश्विक मानव अधिकारों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका शामिल हैं।

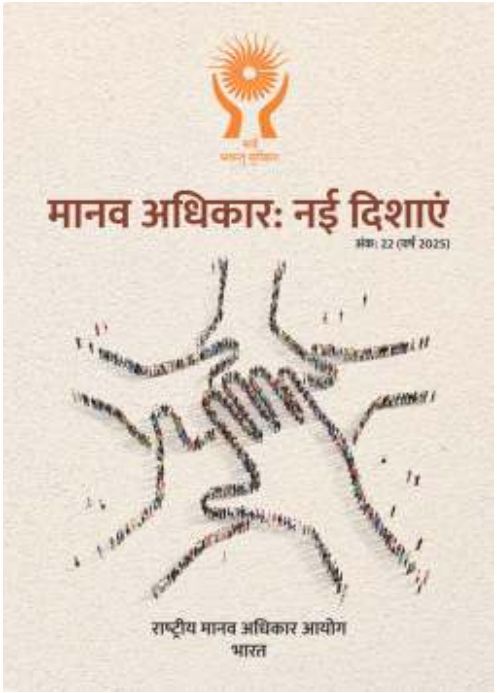

हिंदी जर्नल नई दिशाएं 2025

एनएचआरसी की हिंदी पत्रिका 'नई दिशाएं' (अंक 22) वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष प्रकाशित हो रही है। अंग्रेजी पत्रिका की तरह, इसमें भी मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर हिंदी में लेख प्रकाशित होते हैं। इस प्रकाशन में प्रख्यात लेखकों और विशेषज्ञों के 28 ज्ञानवर्धक लेख शामिल हैं। लेखों के विषय भारतीय संस्कृति और मानव अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक न्याय, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, बुजुर्गों की देखभाल और अधिकार, बाल अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण अधिकार, ट्रांसजेंडर अधिकार, डिजिटल युग में मानव अधिकारों का उल्लंघन, सफाई कर्मचारियों के अधिकार, रैगिंग, प्रवासन, विस्थापन और मानव अधिकार, मीडिया और मानव अधिकार हैं। पत्रिका में वैश्विक मानव अधिकार चुनौतियों पर दृष्टिकोण, कविताएँ और लघु कथाएँ भी शामिल हैं, जो गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर विश्लेषणात्मक और मानवीय दोनों प्रकार के चिंतन प्रस्तुत करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

एनएचआरसी, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए आयोग के कामकाज को समझने हेतु अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से बातचीत करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों का दौरा करते हैं।

एनएचआरसी, भारत का दौरा

- 8 दिसंबर 2025 को, जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय में मानव अधिकार नीति एवं मानवीय सहायता के लिए संघीय सरकार के आयुक्त श्री लार्स कास्टेलुच्ची ने भारत दौरे पर आए जर्मन संसद की आंतरिक मामलों एवं समुदाय समिति के प्रतिनिधिमंडल के अंतर्गत एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल से भेंट की।
- 12 दिसंबर 2025 को, यूएनडीपी भारत की उप-निवासी प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल त्शान तथा व्यवसाय एवं मानव अधिकार विशेषज्ञ सुश्री नुसरत खान ने एनएचआरसी का दौरा किया और एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार से भेंट की।
- 16 दिसंबर 2025 को, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिंदम बागची ने एनएचआरसी का दौरा किया और अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन तथा महासचिव श्री भरत लाल से भेंट की।

▶ जर्मन प्रतिनिधिमंडल का दौरा

ऑनलाइन सहभागिताएँ

- 4 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने गनहरी की प्रत्यायन उप-समिति के ब्यूरो सदस्यों के समक्ष ऑनलाइन मौखिक प्रजेंटेशन में भाग लिया।
- 15 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के एसएसपी श्री युवराज ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ पडुआ मानव अधिकार केंद्र तथा अफ्रीकी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के नेटवर्क द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय जांच एवं आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की निगरानी" विषय पर एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।
- 16 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक, शोध परामर्शदाता सुश्री वर्षा आप्टे तथा कनिष्ठ शोध परामर्शदाता सुश्री स्तुति जोशी ने वरिष्ठ नागरिकों के मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी साधन के निर्माण के लिए गठित खुले अंतःसरकारी कार्य समूह

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें कार्यपालिका के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ भी मौजूद हैं। देश में एक जीवंत मीडिया भी है। एनएचआरसी और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राष्ट्रीय आयोगों को क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय आयोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थाएँ अधिकारों और कल्याणकारी उपायों की निगरानी करती हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य मानव अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को उजागर करना है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) ने दिसंबर 2025 में मानव अधिकार उल्लंघन के छह मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही शामिल थी, जैसे कि आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की खरीद में पांच साल की देरी, जिसके कारण ऊंची इमारतों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जोखिम पैदा हुआ; असुरक्षित बिद्युत ढांचे के कारण पानीपत में एक नाबालिग

▶ करनाल में विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार में एचएसएचआरसी द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मानित किया गया

की बिजली के झटके से मृत्यु; और स्कूल परिवहन के दौरान एक नाबालिग छात्र पर हमला, जिसने बाल सुरक्षा के लिए संस्थागत जिम्मेदारी को उजागर किया। आयोग ने पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य उल्लंघनों का भी संज्ञान लिया, जिनमें स्वच्छता संबंधी खतरे पैदा करने वाली अवैध डेयरियां, अवैध खनन, बिगड़ती वायु गुणवत्ता और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा नियमों का पालन न करना शामिल है। हिरासत के अधिकारों और पुलिस जवाबदेही से संबंधित मामलों, विशेष रूप से हिरासत में यातना के आरोपों और चिकित्सा-कानूनी जांच में कमियों पर पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त

▶ एचएसएचआरसी अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए

निर्देश जारी करके कार्रवाई की गई। इसके अलावा, आयोग ने बुनियादी आजीविका अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसमें सिंचाई के पानी से वंचित करना भी शामिल है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, गरिमा और पानी के अधिकार पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, एचएसएचआरसी ने 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक कुरुक्षेत्र में मानव अधिकार जागरूकता शिविर का आयोजन किया। आयोग ने 3 दिसंबर 2025 को करनाल में विश्व दिव्यांगता दिवस पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया। न्यायमूर्ति श्री ललित बत्रा ने एक करुणामय, समावेशी और समान समाज के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए दोहराया कि दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य सभी नागरिकों के समान संवैधानिक और मानव अधिकारों के हकदार हैं। उन्होंने सुलभता, समावेशी शिक्षा, सहायक कार्यस्थलों और पुनर्वास सेवाओं में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और इन अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन में हरियाणा भर से गणमान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों और लगभग 250 दिव्यांग छात्रों ने भाग लिया।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने 10 दिसंबर 2025 को मानव अधिकार दिवस मनाया। इस अवसर पर राज्य के सभी विधि महाविद्यालयों और बेंगलुरु के सरकारी प्रथम श्रेणी डिग्री महाविद्यालयों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधि महाविद्यालयों के लिए विषय था 'संविधान के संदर्भ में मानव अधिकारों का संरक्षण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार'। प्रथम श्रेणी डिग्री महाविद्यालयों के लिए विषय था 'मानव अधिकारों के संरक्षण और मानव अधिकार उल्लंघन की रोकथाम में नागरिकों की भूमिका'। प्रतियोगिता में 180 से अधिक महाविद्यालयों ने भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

▶ केएसएचआरसी मानव अधिकार दिवस मनाते हुए

मानव अधिकार दिवस समारोह के अंतर्गत, आयोग ने सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया कि वे 10 दिसंबर 2025 को जिलों और तालुकों में मानव अधिकार दिवस मनाएं, ताकि अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, छात्रों और आम जनता को शामिल करते हुए मानव अधिकारों और उनके निवारण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। सूचनात्मक पुस्तिकाएं वितरित की गईं। 13 दिसंबर 2025 को, केएसएचआरसी के सदस्य श्री एस.के. वंतीगोडी ने धारवाड़ स्थित डॉ. जी.एम. पाटिल विधि महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया और मानव अधिकारों की शपथ दिलाई। उन्होंने जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों की वकालत करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उपायों में छात्रों की भूमिका पर जोर दिया।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने 10 दिसंबर 2025 को भोपाल में 'महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित करके मानव अधिकार दिवस मनाया। इस कार्यक्रम को राज्य विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया और एमपीएसएचआरसी सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने संबोधित किया। वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया और राज्य में महिलाओं के अधिकारों और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों, सरकार और समाज की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सुशासन दिवस के अवसर पर, 24 दिसंबर 2025 को एमपीएसएचआरसी के सम्मेलन कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह शपथ सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह द्वारा दिलाई गई, जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

सदस्य ने वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने आयोग के संभागीय कार्यालय और शिकायत प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा एमपीएसएचआरसी के नाम के दुरुपयोग के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों से संपर्क किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए। इसके बाद भी यदि वे ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो उचित कार्रवाई के लिए आयोग को लिखित शिकायत भेजी जा सकती है।

मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेने और आगे की कार्यवाही के बाद, आयोग ने 11 मामलों में पीड़ितों के परिजनों को 80 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया। इन घटनाओं में डूबने, बिजली के झटके, जंगली जानवरों के हमले, सांप के काटने और सफाईकर्मी की मौत शामिल थी।

मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद, सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने 29 दिसंबर 2025 को

▶ एमपीएसएचआरसी सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

एमपीएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) ने दिसंबर 2025 में मानव अधिकारों की सुसंरक्षण और संवर्धन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आयोग ने एक आवारा कुत्ते के हमले में दिव्यांग बच्चे और फुटपाथ पर रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कानूनों के तहत आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। टीएसएचआरसी ने अवैध हिरासत, पुलिस हिरासत में यातना और पुलिस हिरासत में मौत के आरोपों का भी संज्ञान लिया। इसने सरकारी आदिवासी कल्याण आवासीय छात्रावास में 10 वर्षीय लड़के की हिरासत में मौत के मामले में 5 लाख रुपये के मुआवजे और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की। इसने पीड़ित की मां की नौकरी को नियमित करने की भी सिफारिश की।

संक्षेप में समाचार

- 3 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के लोक नीति एवं शासन विभाग द्वारा आयोजित "संस्कृति, दर्शन और कला में मानव अधिकार : भारतीय अनुभव" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में आभासी माध्यम से संबोधित किया।

- 10 से 12 दिसंबर 2025 तक, एनएचआरसी, भारत की कनिष्ठ शोध परामर्शदाता सुश्री प्रेरणा हसीजा ने मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित 'सतत विकास हेतु नेतृत्व' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

- 13 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजय भारती सायानी नई दिल्ली स्थित बहाई उपासना गृह के मानव अधिकार विकास संस्थान एवं लोक मामलों के कार्यालय द्वारा आयोजित 'मानव अधिकार सामाजिक प्रगति की ओर एक मार्ग' विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र का वास्तविक विकास इस बात में निहित है कि वह अपने नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की कितनी प्रभावी रूप से रक्षा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाशिए पर पड़े और संवेदनशील वर्गों की स्थिति ही सामाजिक प्रगति का वास्तविक पैमाना है तथा दोहराया कि मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, जिनमें स्वच्छ जल, पौष्टिक भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच शामिल है। उन्होंने मानव अधिकार उल्लंघनों के समाधान, जन-जागरूकता के प्रसार और जमीनी स्तर पर संरक्षण को सुदृढ़ करने में एनएचआरसी, भारत की भूमिका को रेखांकित किया तथा कहा कि मानव अधिकारों को समावेशी और सतत विकास की आधारशिला होना चाहिए।

- 14 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगि ओडिशा के बलांगीर स्थित भीमा भोई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शरीर रचना विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 'एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ओडिशा राज्य शाखा, 2025' के 38वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे।

- 15 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने महासचिव श्री भरत लाल के साथ मिलकर भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें एनएचआरसी की वार्षिक पत्रिका (अंग्रेज़ी) तथा 'नई दिशाएं' (हिंदी) की प्रतियां भेंट कीं।

आगामी कार्यक्रम

9 जनवरी 2026	एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार भवन में विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए आयोजित अपने चार सप्ताह के प्रत्यक्ष शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन (समारोह) सत्र का आयोजन करेगा।
22 जनवरी 2026	एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटरों की प्रथम बैठक का आयोजन करेगा।
27 जनवरी 2026	'दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों के पुनः सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न मानव अधिकार उल्लंघन' विषय पर दिव्यांगता संबंधी कोर समूह की एक बैठक नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार भवन में आयोजित किए जाने की योजना है।
28th January 2026	एनएचआरसी, भारत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की शीर्ष स्तरीय नीति संस्था राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग ले रहे श्रीलंका सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेगा।

दिसंबर 2025 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	4,646
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	3,839
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	44,688

एनएचआरसी, भारत की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण (जनवरी से दिसंबर 2025)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत पिछले तीन दशकों से अधिक समय से मानव अधिकारों के सुदृढ़ प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है। देश की सर्वोच्च मानव अधिकार संस्था के रूप में आयोग ने समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

त्वरित जांच, मानव अधिकार उल्लंघनों के प्रभावी निवारण तथा सक्रिय पहलों के माध्यम से एनएचआरसी न्याय की स्थापना हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसके प्रयास राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी विस्तृत हैं आयोग राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ संवाद करता है तथा एक अधिक मानवीय विश्व के निर्माण हेतु विचारों के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए वैश्विक संवाद को प्रोत्साहित करता है।

न्याय, करुणा और सक्रियता की विरासत में निहित एनएचआरसी, भारत ने जनवरी से दिसंबर 2025 की समीक्षा अवधि के दौरान आशा की किरण और बेजुबानों की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका निभाना जारी रखा। नववर्ष 2025 के प्रारंभ से ठीक पूर्व आयोग को नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन तथा दो सदस्यों न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्री प्रियंक कानूनगो का सुदृढ़ नेतृत्व प्राप्त हुआ। इनके साथ, उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सेवाएं देने वाली, सदस्या श्रीमती विजय भारती सायानी ने भी आयोग की गतिविधियों को नई ऊर्जा और गति प्रदान की। महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भरत लाल के नेतृत्व में टीम के सक्रिय सहयोग से मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आयोग की सर्वांगीण गतिविधियों को और बल मिला। इस वर्ष नए महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आनंद स्वरूप तथा दो संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक सहित अन्य अधिकारियों का भी योगदान जुड़ा।

आयोग ने त्वरित हस्तक्षेप, पीड़ितों को राहत सहित शिकायत निवारण, घटनास्थल जांच, दिशा-निर्देशों का निर्गमन, अधिकारियों का संवेदीकरण और क्षमता निर्माण, साथ ही गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, वैधानिक पूर्ण आयोग के पदेन सदस्यों तथा मीडिया के साथ निरंतर संवाद जैसी प्रभावशाली और गतिशील कार्ययोजना का अनुसरण किया। प्रत्येक पहल के माध्यम से एनएचआरसी ने गरिमा, न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया।

स्थापना दिवस

मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के अतिरिक्त, आयोग ने अपने 32वें स्थापना दिवस और मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में दो प्रमुख यादगार कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने मानव अधिकारों का एक सुदृढ़ और व्यापक ढांचा विकसित किया है।

▶ भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए

वर्ष 1993 में अपनी स्थापना के बाद से एनएचआरसी, भारत विश्व की सबसे सम्मानित मानव अधिकार संस्थाओं में से एक के रूप में विकसित हुआ है।

उन्होंने कहा कि 32वें स्थापना दिवस का आयोजन केवल एक संस्थागत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करने का अवसर है। जांच, परामर्श और अभिव्यक्ति सहित अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से आयोग ने बेजुबानों को आवाज़ दी है और मानव अधिकार चिंताओं को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। इसने भारत की सभ्यतागत भावना को पुनः पुष्ट किया है कि किसी समाज की वास्तविक कसौटी यह है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्य के साथ कैसा व्यवहार करता है।

इस अवसर पर राज्य मानव अधिकार आयोगों एवं अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, गैर-सरकारी संगठन, मानव

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का एक समूह

अधिकार संरक्षक, शोधकर्ता, वरिष्ठ कारागार अधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग माननीय सदस्यों के सक्षम मार्गदर्शन और कर्मचारियों की प्रभावी सहायता से अपने पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित मानकों पर खरा उतरने तथा मानव अधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों की वैध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

अपने स्वागत भाषण में महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि आयोग ने अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से लोकतंत्र में मानव अधिकारों की अंतरात्मा के प्रहरी के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है, विशेष रूप से देश के सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और वंचित लोगों की गरिमा की रक्षा हेतु।

मानव अधिकार दिवस

मानव अधिकार दिवस समारोह 10 दिसंबर को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राजनयिक, मानव अधिकार संरक्षक, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

▶ भारत के माननीय राष्ट्रपति नई दिल्ली में एनएचआरसी, भारत के मानव अधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मानव अधिकार दिवस हमें यह स्मरण कराने का अवसर है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार अविच्छिन्न हैं और वे एक न्यायसंगत, समतामूलक और करुणामय समाज की आधारशिला हैं। भारत ने वैश्विक मानव अधिकार ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मानव गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित विश्व की कल्पना की थी। राष्ट्रपति ने 'अंत्योदय' के दर्शन के अनुरूप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मानव अधिकार सुनिश्चित करने पर बल दिया तथा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण हेतु प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता को आवश्यक बताया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने एनएचआरसी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। यह ऐप मानव अधिकार सेवाओं तक जनसाधारण की पहुंच को सशक्त बनाने, शिकायत दर्ज करने, उनकी वास्तविक समय में स्थिति जानने और मामलों की प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, यह शैक्षणिक संसाधनों, आधिकारिक प्रकाशनों और समाचार पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत में मानव अधिकारों के प्रति अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि मानव अधिकारों को अविच्छिन्न, अविभाज्य और परस्पर आश्रित मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करने हेतु आत्ममंथन आवश्यक है। मानव अधिकारों को जब मानवीय मूल्यों के स्तर तक उन्नत किया जाएगा, तभी इस आयोजन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा।

अपने स्वागत भाषण में महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि आयोग एक जन-संस्था है, जो सदैव जनता के साथ खड़ी रहती है, विशेषकर उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सामूहिक रूप से, हमें एक ऐसा वातावरण बनाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक

▶ मानव अधिकार दिवस समारोह में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों का एक समूह

न्यायपूर्ण, समावेशी और समान समाज का निर्माण करके हर कोई अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सके, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और वह घर पर, सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर दैनिक अनुभवों में गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करे।

इस अवसर पर प्रख्यात व्यक्तियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए विद्वतापूर्ण लेखों के दो संग्रह, एनएचआरसी जर्नल और नई दिशाएं, भी जारी किए गए।

इन वार्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित ज्ञानवर्धक लेख समकालीन मानव अधिकार मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जैसे कि लैंगिक न्याय, पर्यावरण अधिकार, डिजिटल युग की चुनौतियां और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकार। ऐप और प्रकाशन मिलकर भारत में मानव अधिकार मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने और उनका समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रसार के उपयोग हेतु एनएचआरसी के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों का निवारण

1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के दौरान एनएचआरसी, भारत में मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित कुल 76,252 मामले दर्ज किए गए। इनमें से एक बड़ा हिस्सा हिरासत में हुई मौतों से संबंधित था, जिनमें पुलिस हिरासत में 165 मौतें तथा न्यायिक हिरासत (कारागार) में 2,338 मौतें शामिल थीं। पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों से संबंधित 192 मामले भी दर्ज किए गए।

इनमें से 113 मामले स्वतः संज्ञान के थे, जो मानव अधिकार मामलों में आयोग के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। स्वतः संज्ञान मामलों में जोखिम भरे कचरे की मैनुअल सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मृत्यु, बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न, चिकित्सकीय लापरवाही, पत्रकारों पर हमले, शारीरिक दंड, छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रमुख घटनाओं में मध्य प्रदेश के दमोह स्थित मिशन अस्पताल में फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ का मामला, केरल के कासरगोड जिले में छात्रावास वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच आत्महत्या के प्रयास के बाद एक नर्सिंग छात्रा की मौत तथा छत्तीसगढ़ के बलौदा बाज़ार जिले में सीमेंट फैक्ट्री से निकली जहरीली गंध से 38 छात्रों के बीमार पड़ने की घटना शामिल थीं।

इसी अवधि में पूर्व वर्षों से लंबित मामलों सहित 38,800 मामलों का निपटान किया गया। 145 मामलों में 7.3 करोड़ रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की सिफारिश की गई। वर्ष के अंत तक 44,688 मामले विभिन्न चरणों में आयोग के समक्ष लंबित रहे, जो वर्ष भर मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

आयोग ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कई लोगों की हत्या की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने, उकसाने, समर्थन करने और आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इस खतरे के लिए जवाबदेह ठहराने का समय आ गया है। अन्यथा, इससे लोकतांत्रिक दायरे में कमी, धमकियां, प्रतिशोध, समुदायों के बीच सद्भाव में बाधा और जीवन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और आजीविका के अधिकार सहित विभिन्न मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। आयोग ने उम्मीद जताई कि राज्य जवाबदेही तय करने, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

इस प्रकार, समयबद्ध नोटिसों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ सक्रिय संवाद के माध्यम से एनएचआरसी ने जवाबदेही और न्याय को सुदृढ़ किया।

मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा, आयोग ने राष्ट्रीय सम्मेलनों, खुली बैठकों, कोर समूह की बैठकों, सहयोगात्मक सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा भी की। ये मंच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय और राज्य आयोगों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के विशेष पर्यवेक्षकों और प्रतिवेदकों को एक साथ लाने के लिए सशक्त मंच साबित हुए।

राष्ट्रीय सम्मेलन: परिवर्तन हेतु संवाद

वर्ष 2025 के दौरान एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों का उद्देश्य विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना, क्रियान्वयन की कमियों को दूर करना तथा देशभर में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु व्यावहारिक समाधान तैयार करना था। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता एवं संबोधन एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रमुख हितधारकों की सहभागिता रही।

मुख्य विषय जिन पर चर्चा हुई:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार: स्थानों का पुनर्निर्माण, सशक्त अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय सम्मेलन "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार : स्थानों का पुनर्निर्माण, सशक्त अभिव्यक्ति" 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली दस्तावेज़ीकरण संबंधी बाधाओं पर चर्चा करना और यह रेखांकित करना था कि समावेशी उपाय अपनाना आवश्यक है, जो उनकी देखभाल, गरिमा, सुरक्षा और कल्याण, न्याय एवं रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करें। सम्मेलन को तीन तकनीकी सत्रों और एक पैनल चर्चा में विभाजित किया गया। ये थे – 'गरिमा गृह आश्रयों को सुदृढ़ करना', 'लैंगिक अनुरूपता से भिन्न बच्चों और वृद्ध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संस्थागत देखभाल' तथा 'निष्पक्ष और समावेशी कानून प्रवर्तन ढांचे का निर्माण।'

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने नई दिल्ली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

मुख्य वक्ताओं में शामिल थे: पूर्व एनएचआरसी सदस्य डॉ. डी. एम. मुले और श्रीमती ज्योतिका कलरा, एमओएसजेई सचिव श्री अमित यादव; पुलिस महानिदेशक, पुदुच्चेरी सुश्री शालिनी सिंह; आयकर विभाग की मुख्य आयुक्त सुश्री अनिता सिन्हा; एमओएसजेई संयुक्त सचिव श्रीमती लता गणपति; एनसीडब्ल्यू संयुक्त सचिव सुश्री बी. राधिका चक्रवर्ती; यूएनडीपी भारत उप-निवासी प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल त्शान; प्रोजेक्ट डायरेक्टर, दोस्ताना सफर, पटना सुश्री रेश्मा प्रसाद; को-डायरेक्टर, तपिश फाउंडेशन श्री निकुंज जैन; एमडब्ल्यूसीडी अतिरिक्त सचिव एवं एनसीपीसीआर अध्यक्ष सुश्री त्रिप्ति गुरहा; एनएचआरसी विशेष मॉनिटर एवं कोर ग्रुप सदस्य सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी; ट्वीट फाउंडेशन प्रबंध निदेशक सुश्री अभिना अहेर; इंटरसेक्स और जेंडर क्वीर कार्यकर्ता, संस्थापक सृष्टि मदुरै श्री गोपी शंकर मदुरै; दिल्ली पुलिस उप-आयुक्त श्री राम दुलेश; सहोदरी फाउंडेशन संस्थापक सुश्री कल्कि सुब्रमणियम; ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता सुश्री श्रेगौरी सावंत; प्राइड बिजनेस नेटवर्क फाउंडेशन प्रबंध निदेशक सुश्री जैनेब पटेल और ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, डाइवरसिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रबंधक सुश्री निष्ठा निशांत।

जेल कैदियों के मानव अधिकार

राष्ट्रीय सम्मेलन जेल कैदियों के मानव अधिकार" 18 अक्टूबर 2025 को विज्ञान भवन,

नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन आयोग के 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य जेल कैदियों के सामने आने वाली मानव अधिकार समस्याओं पर विचार करना और सुधारात्मक उपायों के लिए व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करना था। सम्मेलन को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया। ये थे 'कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार: बार के पीछे गरिमा, कल्याण और मानव अधिकार सुनिश्चित करना', 'महिला कैदी और उनके बच्चे: लिंग संवेदी जेल सुधार हेतु संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना' और 'विचाराधीन कैदी: न्यायिक देरी से निपटना, कानूनी सहायता को सुदृढ़ करना और कारावास के विकल्प बढ़ाना'।

मुख्य वक्ताओं में शामिल थे: न्याय मंत्रालय के सचिव (न्याय) श्री निरज वर्मा; एनसीपीसीआर अध्यक्ष सुश्री त्रिप्ति गुरहा; गृह मंत्रालय संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार पांडे; पूर्व डीजी, बीपीआरडी और एनएचआरसी कोर ग्रुप सदस्य श्रीमती मीरान चड्ढा बोरवांकर; पूर्व पुलिस महानिदेशक, हरियाणा डॉ. के. पी. सिंह; एनएचआरसी कोर ग्रुप सदस्य और प्रयास प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर विजय राघवन; पूर्व डीजी(अन्वेषण), एनएचआरसी श्री मनोज यादव; भारत न्याय रिपोर्ट सह-संस्थापक श्री वलय सिंह; भारतीय कारागार सुधारक एवं मीडिया शिक्षाविद प्रोफेसर (डॉ.) वार्तिका नंदा; स्क्वायर सर्कल क्लिनिक, मानसिक स्वास्थ्य और न्याय निदेशक सुश्री मैत्रेयी मिश्रा; इंडिया विजन फाउंडेशन निदेशक सुश्री मोनिका धवन और सपीवाइएम के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक डॉ. राकेश कुमार।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, कैदियों के मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन

राष्ट्रीय सम्मेलन "दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन" मानव अधिकार दिवस के अवसर पर 10 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में प्रमुख सचिव, प्रमुख मंत्री कार्यालय, डॉ. पी. के. मिश्रा ने मुख्य भाषण दिया। सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने की। सम्मेलन का उद्देश्य दैनिक सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच को मानव अधिकार और गरिमा का मूलभूत अंग मानते हुए सेवा वितरण और शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने पर संवाद करना ताकि आवश्यक सुविधाएँ सभी नागरिकों तक उचित और प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

▶ दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन विषय पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र आयोजित किया जा रहा है

सम्मेलन के दो तकनीकी सत्र थे 'सभी के लिए मूलभूत सुविधाएँ: मानव अधिकार दृष्टिकोण' और 'सभी के लिए सार्वजनिक सेवा और गरिमापूर्ण सुनिश्चित करना'। प्रमुख वक्ताओं में एनएचआरसी सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और सुश्री विजय भारती सायानी;

नीति आयोग सदस्य डॉ. वी. के. पॉल; ईएसी-पीएम सदस्य डॉ. शमिक रवी; एमओएसजेई सचिव श्री सुधांश पंत; यूआईडीएआई सीईओ श्री भुवनेश कुमार और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के निदेशक सुश्री सुनीता नारायण शामिल थे।

▶ प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आधार व्याख्यान देते हुए

ओपन हाउस चर्चाएँ

इन कोर ग्रुप बैठकों के अलावा, आयोग ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर तीन ओपन हाउस चर्चाएँ आयोजित की, जो इस प्रकार थीं:

हानिकारक अपशिष्ट की मैनुअल सफाई में लगे व्यक्तियों की गरिमा और अधिकार

चर्चाओं का फोकस सीप्टिक टैंकों और नाली के मैनहोल की मैनुअल सफाई में लगे स्वच्छता कर्मियों की उभरती चुनौतियों, गरिमा और मानव अधिकारों पर था। तीन तकनीकी सत्र 'भारत में सीप्टिक और वेस्ट टैंकों में मौतों के मुद्दे का समाधान', 'मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता' और 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए पुनर्वास उपाय: गरिमा और सशक्तिकरण की ओर मार्ग और भविष्य की संभावनएं' थे।

डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकार सुनिश्चित करना: कॉर्पोरेट डिजिटल जिम्मेदारी पर ध्यान

चर्चाओं का फोकस डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण उभरते मुद्दे पर था, जिसमें नियामक ढांचे, डेटा गोपनीयता संस्कृति, खतरे की पहचान और सर्वोत्तम प्रथाएँ, उपयोगकर्ता सशक्तिकरण और डिजिटल साक्षरता शामिल थीं। तीन तकनीकी सत्र 'सही नियामक ढांचे और अनुपालन तंत्र की स्थापना', 'डेटा गोपनीयता की संस्कृति का निर्माण' और 'खतरों की पहचान और सर्वोत्तम प्रथाएँ' थे।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता की

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की पुन: परीक्षा: जागरूकता, जवाबदेही और कार्रवाई के माध्यम से सुरक्षित कैंपस बनाना

चर्चाओं का फोकस भारतीय कैंपस में रैगिंग की चुनौतियों और प्रभाव को समझने, मौजूदा कानूनी और संस्थागत विरोध-रैगिंग ढांचे की समीक्षा करने और जागरूकता, कार्रवाई और समावेशन के माध्यम से रोकथाम को सुदृढ़ करने के तरीकों का पता लगाने पर था। तीन तकनीकी सत्र 'भारतीय कैंपस में रैगिंग की चुनौतियों और प्रभाव को समझना', 'मौजूदा कानूनी और संस्थागत विरोध-रैगिंग ढांचे की समीक्षा' और 'जागरूकता, कार्रवाई और समावेशन के माध्यम से रोकथाम को सुदृढ़ करने के तरीके तलाशना' पर केंद्रित थे।

राष्ट्रीय सेमिनारों, कोर ग्रुप बैठकों और ओपन हाउस चर्चाओं के दौरान उत्पन्न सुझावों पर आयोग ने आगे विचार किया और उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों को अंतिम सिफारिशों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया। राज्यों से अनुपालन रिपोर्टों का पालन किया जा रहा है।

▶ कानून से संघर्षरत बच्चों के मानव अधिकारों पर कोर ग्रुप की बैठक

कोर ग्रुप बैठकें

एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारोंसे संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर कई कोर ग्रुप्स का गठन किया है और संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले डोमेन विशेषज्ञों, अकादमिक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा आयोजित की जाती है। समीक्षा वर्ष के दौरान, आयोग ने मानव अधिकारोंके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और सरकार को सुधारों के लिए सिफारिशें देने हेतु तीन कोर ग्रुप बैठकें आयोजित कीं, जिन विषयों पर चर्चा हुई:

कानून के विरोध में बच्चों के मानव अधिकार

चर्चाओं का फोकस कानून के विरोध में बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर था और उन्हें संबोधित करने के सुझाव देने पर था। तकनीकी सत्र 'वयस्क जेलों में

▶ उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समीक्षा पर ओपन हाउस चर्चा

किशोर', 'सुधार गृहों में किशोर' और 'कानून के विरोध में बच्चों के पुनर्वास के उपाय' थे।

प्रगतिशील अक्षमताओं की पहचान – अक्षमता अधिकारों के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना

चर्चाओं का फोकस अक्षमताओं को संबोधित करने और समावेशी एवं न्यायसंगत समर्थन सेवाओं को बढ़ावा देने पर था। तीन तकनीकी सत्र 'प्रगतिशील अक्षमताओं की परिभाषा और वर्गीकरण', 'अक्षमताओं को संबोधित करने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचा' और 'समावेशी और न्यायसंगत समर्थन सेवाओं को बढ़ावा देना' थे।

▶ बैठक का एक दृश्य

आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना: गरिमा के साथ काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना

चर्चाओं का फोकस समस्याओं की पहचान पर था, जैसे कम मानदेय, अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त संसाधन और उन्हें संबोधित करने के तरीके। तीन तकनीकी सत्र 'आशा के सामने आने वाली चुनौतियों का विकसित स्वरूप',

▶ आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर कोर ग्रुप की बैठक का एक दृश्य

'आशा के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में सरकार की भूमिका' और 'आगे का रास्ता: आशा के लिए गरिमा के साथ काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना' थे।

सांविधिक पूर्ण आयोग बैठक

मानव अधिकारोंके संवर्धन और संरक्षण हेतु आयोगों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए, एनएचआरसी, भारत ने 3 जून 2025 को नई दिल्ली में सभी 7 मान्य सदस्य आयोगों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने आयोगों के सहयोगात्मक कार्यकलापों के महत्व पर बल दिया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्तिश्री वी. रामासुब्रमण्यन वैधानिक आयोग की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उनके साथ सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल उपस्थित हैं

▶ एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्यगण, महासचिव, 7 मानद सदस्य आयोगों के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त

शिविर बैठकें

समय-समय पर, आयोग विभिन्न राज्य राजधानियों में शिविर बैठकें आयोजित करता है ताकि शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतें सुनी जा सकें और राहत तथा आवश्यक निर्देशों की तत्काल सिफारिश की जा सके। जुलाई माह में, एनएचआरसी, भारत ने भुवनेश्वर, ओड़िशा और हैदराबाद, तेलंगाना में दो शिविर बैठकें आयोजित कीं।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और सदस्य, न्यायमूर्ति (डा.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजय भारती सायनी ने भुवनेश्वर में 144 और हैदराबाद में 109 मामलों की सुनवाई की और पीड़ितों को कुल 77.65 लाख रुपये की राहत की सिफारिश की। मामलों के निपटान के अलावा, अधिकारियों को अच्छे शासन उपायों के हिस्से के रूप में मानव अधिकारोंके संवर्धन और संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

▶ भुवनेश्वर, ओडिशा में एनएचआरसी द्वारा शिविर बैठक एवं जनसुनवाई का आयोजन

अधिकारियों को यह भी याद दिलाया गया कि मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को शीघ्र निर्णय लेने में मदद करने के लिए रिपोर्टों का समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। आयोग की सलाहों पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा की गई। नागरिक समाज संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के प्रतिनिधियों को आयोग के संज्ञान में लाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधियों ने इन दो शिविर बैठकों की कवरेज के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता और आयोग की पहलों के प्रति जागरूकता फैलाने में अतिरिक्त योगदान दिया।

▶ तेलंगाना के हैदराबाद में एनएचआरसी द्वारा शिविर बैठक एवं जनसुनवाई का आयोजन

सहयोगी कार्यक्रम और अन्य सहायक गतिविधियाँ

आयोग ने विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग किया ताकि मानव अधिकारोंके विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। आयोग के समर्थन से आयोजित कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी कार्यक्रम इस प्रकार थे:

डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटना

'डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटना' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन 7 फरवरी 2025 को हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मानव दुर्व्यापार मामलों में हस्तक्षेप करने वाले कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य पक्षों द्वारा सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाने और मानव अधिकार आधारित, लिंग-संवेदनशील और बाल-संवेदनशील रणनीतियों को विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

▶ छत्तीसगढ़ में डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा

25 जुलाई 2025 को लखनऊ में 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से किया गया था। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देते हुए भारत में देवियों के प्रति सांस्कृतिक श्रद्धा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावह वास्तविकता के बीच अंतर को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के अपराधों से संबंधित लगभग 51 एफआईआर प्रति घंटा दर्ज की जाती हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने और व्यवस्थागत बदलावों की आवश्यकता पर बल दिया।

श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), ने संगोष्ठी के आयोजन की आवश्यकता बताते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापक कानूनी ढाँचे के बावजूद, लैंगिक हिंसा की दैनिक घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार उल्लंघन के ऐसे मुद्दों को शीघ्रता से संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियाँ महिलाओं के अधिकारों के प्रति अधिक मुखर और कार्रवाई-उन्मुख होंगी। उन्होंने शिक्षकों से लैंगिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आह्वान किया ताकि सभी की गरिमा को बनाए रखा जा सके, यह ध्यान में रखते हुए कि सभी अपराध प्रत्यक्ष रूप से हिंसक नहीं होते हैं। उन्होंने नीति, प्रवर्तन और जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

वक्ताओं ने व्यवस्थागत अन्याय, लैंगिक रूढ़िवादिता और संस्थागत निष्क्रियता पर चर्चा की, जो संवैधानिक गारंटियों की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। कानूनी जागरूकता, राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया गया। वैश्विक स्तर पर और भारत में मानव और महिला अधिकारों के विकास पर भी चर्चा हुई, साथ ही यह भी बताया गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुरूप कैसे हैं। कई वक्ताओं ने शी बाक्स, वन स्टॉप सेंटर और पिंक पुलिस बूथ जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं और पहलों पर भी प्रकाश डाला।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन लखनऊ में 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैड़िंगपुई छकछुआक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएँ और विकसित होते उत्तरदायित्व

'भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएँ और विकसित होते उत्तरदायित्व' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन संकला फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जिसे नीति आयोग और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों का समर्थन प्राप्त था। इसका उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देकर, नवीन नीतियों को प्रोत्साहित करके और वृद्धावस्था को एक अवसर के रूप में परिभाषित करके स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल बहिष्कार जैसी चुनौतियों का समाधान करना था। चर्चाओं में एकीकृत देखभाल, आर्थिक समावेशन, डिजिटल साक्षरता और 2050 तक अनुमानित 347 मिलियन बुजुर्ग आबादी के लिए आयु-समावेशी समाजों के निर्माण जैसे विषय शामिल थे। इस अवसर पर, सांकला फाउंडेशन ने 'भारत में वृद्धावस्था: चुनौतियाँ और अवसर' नामक एक अत्यंत ज्ञानवर्धक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बुजुर्गों की भेद्यता और क्षमता दोनों को उजागर किया गया है।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, नई दिल्ली में आयोजित 'भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएं, विकसित प्रतिक्रियाएं' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

आदिवासी कला और भारत का संरक्षण लोकाचार : जीवंत ज्ञान

विरासत, संस्कृति और संरक्षण पर संवाद के रूप में 10 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 'आदिवासी कला और भारत की संरक्षण संस्कृति: व्यावहारिक समझ' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानव संसाधन परिषद (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने समापन भाषण दिया। इस अवसर पर महासचिव श्री भरत लाल ने मुख्य भाषण दिया। इसका आयोजन गैर-लाभकारी संस्था संकला फाउंडेशन द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया था।

▶ नई दिल्ली में आयोजित 'आदिवासी कला और भारत का संरक्षण लोकाचार: जीवंत ज्ञान' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का एक दृश्य

महत्वपूर्ण रिपोर्ट और दिशा-निर्देश

वर्ष के दौरान, आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बेहतर सुविधाओं और उनके गरिमा गृह आश्रयों के समुचित रख-रखाव पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों को दो पत्र भेजे गए, जिनमें अत्यधिक गर्मी और ठंड की परिस्थितियों के दौरान बेघर एवं समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

गरिमा गृह का दौरा करने के उपरांत रिपोर्ट

वर्ष 2024-25 में, एनएचआरसी की टीम ने प्रथम चरण में स्थापित 12 गरिमा गृह आश्रयों का दौरा किया, ताकि जमीनी स्तर की जानकारी एकत्र की जा सके और साक्ष्य-आधारित भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जा सके। इन निष्कर्षों को 'ट्रांसजेंडर व्यक्तिः स्थानों का पुनर्संरचना, सशक्त अभिव्यक्ति – गरिमा गृह आश्रयों और उससे आगे अंतर्दृष्टि' शीर्षक से एक रिपोर्ट के रूप में संकलित किया गया। यह रिपोर्ट 4 सितंबर 2025 को आयोजित 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार ' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में जारी किया गया।

इस रिपोर्ट में गरिमा गृह पहल को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कई प्रमुख सुधारों का सुझाव दिया गया है। इसमें सभी राज्यों से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटियों को सक्रिय करने, जिला अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपने तथा ट्रांसजेंडर मुद्दों के लिए पुलिस नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है। समय पर धनराशि जारी करने, भोजन एवं लाभार्थियों के लिए संशोधित बजट प्रावधान, शहरी एवं ग्रामीण आश्रयों के लिए संदर्भ-विशिष्ट वित्तीय मॉडल तथा एकमुश्त अनुदान के माध्यम से अवसंरचनात्मक सहयोग सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। कर्मचारियों की संरचना को बाज़ार मानकों के अनुरूप रखने तथा भूमिकाओं के तर्कसंगत विभाजन से कार्यभार संतुलित करने की अनुशंसा की गई है। आश्रय प्रमुखों को ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी कराने में सरल एवं गोपनीयता-संवेदनशील प्रक्रिया के माध्यम से सहयोग करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यापक चिकित्सा व्यय को कवर करने, अस्पतालों के साथ साझेदारी स्थापित करने तथा आयुष्मान भारत टीजी प्लस के शीघ्र क्रियान्वयन के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

रिपोर्ट में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने, शिक्षा या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे व्यक्तियों के लिए आश्रय में रहने की अवधि बढ़ाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता का विस्तार करने तथा आश्रयों को रोजगार पोर्टलों से जोड़ने की अनुशंसा की गई है, साथ ही कार्यस्थल पर पीओएसएच अधिनियम के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। लिंग-अनुरूपता से भिन्न नाबालिगों के समर्थन के लिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बाल देखभाल केंद्रों एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना (गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से) की भी सिफारिश की गई है। अद्यतन आंकड़ों, सुदृढ़ निगरानी तंत्र तथा एक समर्पित मंत्रालय डेस्क के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक बताया गया है। इन सुधारों के माध्यम से गरिमा गृह को गरिमा, सशक्तिकरण और समावेशन की मजबूत नींव में परिवर्तित किया जा सकता है।

▶ 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों: स्थानों का पुनरुद्धार, सशक्त अभिव्यक्ति - गरिमा गृह आश्रयों और अन्य क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि' शीर्षक वाली रिपोर्ट का विमोचन

ठंड और हीटवेव के दौरान अग्रिम कदम

2025 में, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दो पत्र भेजकर शीत लहर और लू (हीटवेव) सहित प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के खिलाफ निवारक और प्रतिक्रियात्मक उपाय करने का आग्रह किया। एनएचआरसी ने इन गंभीर जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले मानव अधिकारों के उल्लंघन, जैसे कि जीवन की हानि, स्वास्थ्य जोखिम और विस्थापन पर प्रकाश डाला। आयोग ने समय पर राहत, जागरूकता अभियान और 'हीट एक्शन प्लान' (ताप कार्य योजना) स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और उन्हें इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का तत्परता से पालन करने का निर्देश दिया। इसने राज्यों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि बुजुर्गों और कम आय वाले समूहों को ऐसी घटनाओं के दौरान पर्याप्त सहायता प्राप्त हो।

क्षेत्रीय दौरे

अनुसंधान के अलावा, एनएचआरसी, भारत फील्ड विज़िट करता है ताकि मानव अधिकार स्थिति और राज्यों एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की परामर्शी, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। सदस्य, न्यायमूर्ति (डा.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजय भारती सायनी और श्री प्रियंक कानूनगो तथा वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न आश्रय

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि पुणे, महाराष्ट्र स्थित क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल का दौरा करते हुए

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी, माचा बोलाराम, अलवाल, सिकंदराबाद, तेलंगाना में एक कब्रिस्तान के रखरखाव के संबंध में अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए

गृहों, जेलों, निरीक्षण गृहों, छात्रावासों, स्कूलों आदि का दौरा करके सरकारी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और देश में मानव अधिकार स्थिति सुधारने हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्ष के दौरान, लगभग 27 निरीक्षण दौरे किये गये।

एनएचआरसी, भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया। इसने 21 विशेष मानीटर्स को भी नियुक्त किया जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा किया और आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित कीं जिनमें उनके अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल थे।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग अपनी पहुँच और मानव अधिकार संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इंटर्नशिप कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित किए जाते हैं। यह विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है ताकि सभी संस्थानों में मानव अधिकारोंकी रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित हो सके और हर व्यक्ति के अधिकार और गरिमा सुरक्षित रहें।

समीक्षा वर्ष के दौरान, एनएचआरसी ने कई कार्यशालाएँ, एक्सपोज़र विज़िट और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। 6 दो सप्ताह की ऑनलाइन शॉर्ट-टर्म इंटर्नशिप और 2 व्यक्तिगत चार सप्ताह की समर एवं विंटर इंटर्नशिप आयोजित की गई। इंटर्न्स को विभिन्न सत्रों में एनएचआरसी सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा मानव अधिकारोंके विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया। उन्हें जेलों, पुलिस थानों, एनजीओ आदि का वर्चुअल और प्रत्यक्ष दौरा भी कराया गया ताकि उनके कार्यकलापों को समझा जा सके।

भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और जेल एवं सुधार प्रशासन के अधिकारियों के लिए उनके संबंधित प्रशिक्षण अकादमियों के सहयोग से प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे शासन और लोक प्रशासन में मानव अधिकार सिद्धांतों का एकीकरण मजबूत हुआ।

52 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आए लगभग 2,100 छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को ज्ञानार्जन दौरे के दौरान मानव अधिकार जागरूकता और आयोग के कार्यों पर परिचय दिया गया। इसके अलावा, आयोग ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर 5 मूट कोर्ट, 19 सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएँ आयोजित की। आयोग ने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कॉलेज और एनजीओ द्वारा आयोजित 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया, जिसमें लगभग 3,000 लोग भाग लिए। इन कार्यक्रमों के अलावा, आयोग ने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के साथ सहयोग किया ताकि विभिन्न विशेषज्ञ अधिकारियों सहित न्यायिक अधिकारियों की मानव अधिकार जागरूकता और क्षमता निर्माण सुनिश्चित हो सके।

▶ भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, देहरादून स्थित आईएनजीएफए में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित कारागार एवं सुधार प्रशासन अकादमी (एपीसीए) के दौरे पर आए अधिकारियों को संबोधित करते हुए

अनुसंधान

एनएचआरसी, भारत ने पीएचआर अधिनियम के तहत अपने अधिदेशानुसार मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना जारी रखा। कैलेंडर वर्ष के दौरान, 2023 और 2024 में आयोग द्वारा कमीशन किए गए 22 अनुसंधान अध्ययनों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये विभिन्न संस्थानों द्वारा अनुमोदित विषयों पर आयोग के समर्थन से संचालित किए जा रहे हैं:

- स्वास्थ्यकर्मियों के अधिकारों का संरक्षण भारत में फ्रंटलाइन डॉक्टरों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण
- अंतरपीढ़ीय वेश्यावृत्ति में लगे महिलाओं के बच्चों को शिक्षा में आने वाली सामाजिक बाधाएँ
- विशेष रूप से प्रवासी घरेलू महिलाओं में रोजगार बाजार और रोजगार तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौशल विकास
- दिव्यांगजनों के रोजगार तक पहुँच: स्थिति, बाधाओं की पहचान और संबंधित कारक
- अपराध पीड़ितों को मुआवजा: पीड़ित मुआवजा योजनाओं का पैन-इंडिया अध्ययन और उनकी प्रभावशीलता
- कानून के विरोध में बच्चों और अवलोकन/जेल घरों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में वृद्धि के कारणों का अध्ययन और मौजूदा कानूनी, नीतिगत और योजनात्मक प्रतिक्रिया का विश्लेषण (दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में)
- छाया में बच्चे: दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में संगठित भिक्षा के पहलुओं का खुलासा
- भारत में गोद लेने की प्रक्रिया के सामाजिक-वैधानिक पहलुओं का अध्ययन, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर
- भारत में पेयजल स्थिति की समीक्षा बनाम सरकारी नीति और क्रियान्वयन वास्तविकता, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावना
- खेल संस्थाओं द्वारा मानव अधिकार हनन से निपटने के लिए अपनाए गए तंत्रों का अध्ययन और कानूनी-नीति ढांचे की समीक्षा, साथ ही केरल में क्रियान्वयन की स्थिति
- वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की जीवन संतुष्टि और जीवन गुणवत्ता: पश्चिमी भारत और उत्तर-पूर्व भारत का तुलनात्मक अध्ययन
- विभिन्न हितधारकों में नैदानिक परीक्षणों के बारे में जागरूकता पर सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली का इष्टतम डिजाइन
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम में पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के एसटी बच्चों पर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का प्रभाव
- उत्तर क्षेत्र में वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन
- स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्धन तमिलनाडु और केरल के चयनित ग्राम पंचायतों का अध्ययन
- महामारी, मानव अधिकार और आजीविका का भविष्य: भारतीय अर्थव्यवस्था से अनुभवजन्य साक्ष्य
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन
- पंजाब में दिव्यांगजनोंके लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ
- एसिड हमले पीड़ितों का पुनः एकीकरण और पुनर्वास
- भारतीय वस्त्र उद्योग में बाल श्रम की स्थिति

- जेल और पुलिस हिरासत में मृत्यु की प्रवृत्तियों और पैटर्न का विश्लेषण: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विश्लेषणात्मक अध्ययन

- हैदराबाद-करनाटक क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवेज वर्कर्स की स्थिति नीति और अभ्यास

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र

एनएचआरसी, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मंचों में सक्रिय भागीदारी और विचारशील संलग्नता के माध्यम से सार्थक प्रभाव बनाना जारी रखा है। 2025 में इसकी वैश्विक पहुँच विश्व स्तर पर मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में मजबूत नेतृत्व को दर्शाती है। गनहरी और एपीएफ में प्रभावी प्रतिनिधित्व, ग्लोबल साउथ के लिए क्षमता निर्माण पहल और उच्च-स्तरीय रणनीतिक संवादों के माध्यम से आयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी, अधिकार आधारित शासन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के मार्गदर्शन में दुनिया एक परिवार है एनएचआरसी, भारत सहयोग, नवाचार और साझा सीख के माध्यम से न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वैश्विक मंचों में भागीदारी

पैलेस डे नेशन्स में एनएचआरसी

मार्च 2025 में, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने महासचिव, श्री भरत लाल के साथ आयोग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पैले डेस नेशन्स में उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में भाग लिया। इनमें एनएचआरआई के एशिया पैसिफिक की वार्षिक बैठकें, गनहरी (ग्लोबल एलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स) का ब्यूरो और महासभा, सीएफएनएचआरआई (कॉमनवेल्थ फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स) और अन्य महत्वपूर्ण सत्र शामिल थे।

▶ पैलेस डेस नेशन्स, जेनेवा में एनएचआरआई का एपीएफ़ बैठक

गनहरी ब्यूरो

एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने 16 सदस्यों के गनहरी ब्यूरो बैठक में भाग लिया, जिसमें यूएनडीपी और एनएचआरसी को विशेष सदस्य के रूप में शामिल किया गया। श्री भरत लाल ने गनहरी वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में समिति की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, जो ब्यूरो सदस्य हैं, ने भी भाग लिया और वैश्विक मानव अधिकार समुदाय में एनएचआरसी, भारत की सक्रिय नेतृत्व भूमिका की पुष्टि की। वित्त समिति – जिसमें यूके, मलावी, एल साल्वाडोर और भारत के एनएचआरआई शामिल थे, ने बजट आवंटन, व्यय, परियोजना निधिकरण और ऑडिट परिणामों जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों की समीक्षा की।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव एवं गनहरी की वित्त समिति की अध्यक्ष, गनहरी ब्यूरो के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

क्षेत्रीय सहयोग – एपीएफ

10 मार्च 2025 को, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और श्री भरत लाल ने एशिया पैसिफिक फोरम के क्षेत्रीय नेटवर्क बैठक में भाग लिया। बैठक का एक प्रमुख परिणाम फिलीपींस के एनएचआरआई का SCA (सब-कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन) में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र का वैकल्पिक प्रतिनिधि चुना जाना था, जो मानव अधिकार संस्थानों को मजबूत करने में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

गनहरी महासभा

11 मार्च 2025 को गनहरी की महासभा आयोजित हुई, जिसमें ड्राफ्ट एजेंडा को अपनाना, पिछले निर्णयों की समीक्षा, नए नेतृत्व का चुनाव और वित्तीय विवरणों को मंजूरी देना मुख्य विषय थे। श्री भरत लाल ने वित्त समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बजट पूर्वानुमान, फंड जुटाना, शुल्क छूट और ऑडिट निष्कर्ष शामिल थे। यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई। महासभा में नेतृत्व का चुनाव भी किया गया: मोरक्को के राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की अध्यक्ष, सुश्री अमीना बूयाच को गनहरी की अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड मानव अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त, श्री एलिसन किलपैट्रिक को सचिव नियुक्त किया गया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल वित्त समिति की व्यापक रिपोर्ट जीएएनएचआरआई की आम सभा में प्रस्तुत करते हुए

लैंगिक समानता पर गनहरी वार्षिक सम्मेलन

12 मार्च 2025 को, एनएचआरसी, भारत प्रतिनिधिमंडल ने गनहरी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका ध्यान 'महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकार : लैंगिक समानता को बढ़ावा – एनएचआरआई की भूमिका' पर था। यह मंच नवाचार रणनीतियों का आदान-प्रदान और महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों के कानूनी और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए व्यवहार्य उपायों पर चर्चा के लिए था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय योगदान दिया।

▶ लैंगिक समानता पर गनहरी का वार्षिक सम्मेलन

कॉमनवेल्थ फोरम ऑफ एनएचआरआई (सीएफएनएचआरआई)

13 मार्च 2025 को, एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने सीएफएनएचआरआई की वार्षिक बैठक में भी भाग लिया। चर्चा का केंद्र 2024 अपिया घोषणा के क्रियान्वयन, सीएफएनएचआरआई के लिए कॉमनवेल्थ सचिवालय (सीओएमएसईसी) का समर्थन (2024-2026) और फोरम की भविष्य की गतिविधियों के रणनीतिक रोडमैप पर था।

'भारत में मानव अधिकार : पाठ्यक्रम और विमर्श' पर संगोष्ठी

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 'भारत में मानव अधिकार: विकास और विमर्श' शीर्षक पर एक ज्ञानवर्धक भाषण दिया। खचाखच भरे हॉल

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने सीएफएनएचआरआई की वार्षिक आम सभा में भाग लिया

में दिए गए इस भाषण में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, इसकी जटिल सामाजिक संरचना और मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य आयोगों जैसे संस्थागत तंत्रों पर प्रकाश डाला गया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची द्वारा संचालित इस सत्र में एक बेहद रोचक प्रश्नोत्तर सत्र भी शामिल था और इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई), राजनयिक मिशनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

▶ भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'भारत में मानव अधिकार: पाठ्यक्रम और संवाद' विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए। उनके साथ मंच पर आयोग के महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची भी उपस्थित थे। इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें

एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर तुर्क के साथ हुई बैठक में, राजदूत अरिंदम बागची के साथ एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक मानव अधिकार विकास और भारत के चल रहे प्रयासों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजनों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक सुश्री हेबा हग्रस के साथ हुई बैठक में भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाने की चुनौतियों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ बैठकें कीं और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया, साथ ही भारत के एनएचआरसी के कार्यों को व्यापक दर्शकों के साथ साझा किया। प्रतिनिधिमंडल ने वहां उपस्थित अन्य विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची, उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत प्रियंका चौहान और जिनेवा में तैनात अन्य वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के साथ विस्तृत चर्चा की।

प्रत्यायन संबंधी उप-समिति (एससीए) के साथ बातचीत

18 मार्च 2025 को, भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की चल रही प्रत्यायन प्रक्रिया के संबंध में प्रत्यायन उप-समिति के साथ गहन संवाद किया। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और श्री भरत लाल के नेतृत्व में हुई इस चर्चा में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। वैश्विक मानव अधिकार मंचों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश और विदेश में गरिमा, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अंतरराष्ट्रीय संवादों में आयोग की सक्रिय भागीदारी ने

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर तुर्क से बातचीत करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची, दिव्यांगजनों अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक सुश्री हेबा हगरास से बातचीत करते हुए

समावेशी, सहयोगात्मक और अधिकार-आधारित वैश्विक शासन को आकार देने में भारत की भूमिका को और मजबूत किया।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का 58वां सत्र

24 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक जिनेवा में आयोजित मानव अधिकार परिषद के 58वें नियमित सत्र के दौरान, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने सदस्यों, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन और श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री भरत लाल के माध्यम से विशेष प्रतिवेदकों के साथ पर्यावरण, दिव्यांगजनों के अधिकारों और मानव अधिकार संरक्षकों के संवाद सत्रों में तीन पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान प्रस्तुत किए। उन्होंने भारत के एनएचआरसी के सक्रिय दृष्टिकोण और देश में इन मामलों पर किए जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दी।

▶ बाएं से दाएं: एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल

श्रीलंका के कोलंबो में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक

26 सितंबर 2025 को, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक में, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने 'भ्रष्टाचार और मानव अधिकार - भारत का अनुभव और संस्थागत प्रतिक्रियाएं' विषय पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार केवल शासन की चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक आपराधिक अपराध और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह विश्वास को नष्ट करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, कानून के शासन को भंग करता है और गरीबों और कमजोर वर्गों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाता है। जब संसाधन छीन लिए जाते हैं, तो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, परिवार स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास से वंचित हो जाते हैं और समुदायों को पर्यावरणीय गिरावट का सामना करना पड़ता है।

फिजी में एपीएफ की एशिया आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 11 नवम्बर 2025 को फिजी में आयोजित एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (एपीएफ) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस क्षेत्रीय बैठक में एशिया पैसिफिक के विभिन्न देशों के मानव अधिकार संस्थानों ने भाग लेकर चल रही गतिविधियों पर चर्चा की, अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं पर विचार किया। एनएचआरसी, भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने किया, जिसमें संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी शामिल थे। पूर्ण सत्र के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने लैंगिक समानता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और समर्थन के लिए

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल कोलंबो, श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार फिजी के कार्यवाहक राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सलेसी टेमो के साथ

आयोग के हालिया प्रयासों को रेखांकित किया गया। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सहभागी एनएचआरआई के साथ भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति और शेष चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा भी की। उन्होंने देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रति एनएचआरसी, भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों (एसईओ) की बैठक में श्री समीर कुमार ने भाग लिया। इस बैठक में एनएचआरसी, भारत ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र के उन सभी देशों को, जो अभी सदस्य नहीं हैं, ग्लोबल एलायंस ऑफ एनएचआरआई (गनहरी) की सदस्यता में शामिल करने के लिए जोरदार पक्ष रखा।

रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय पहुँच

- **भारत का इक्वैलिटी मूनशॉट:** 22 जनवरी 2025 को, नेशनल रिसोर्स काउंसिल (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने दावोस में वर्ल्ड वुमन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'इंडियाज़ इक्वालिटी मूनशॉट' में मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया। सत्र में भारत के साहसिक और समावेशी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके जीवन में परिवर्तन लाना है। इसमें भविष्योन्मुखी, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे, कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण और देश भर में डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से अवसरों के सृजन पर बल दिया गया। चर्चा में पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, महिलाओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने पर भी प्रकाश डाला गया कि वे सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए बाधाओं को तोड़ें। यह पुनः स्थापित किया गया कि भारतीय संविधान और उसके मूल्य समानता के मूलभूत सिद्धांत को कायम रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश द्वारा संविधान को अपनाने के बाद से ही महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने दावोस में वर्ल्ड वुमन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'इंडियाज इक्वालिटी मूनशॉट' कार्यक्रम में मुख्य भाषण देते हुए

- **जिनेवा में उच्च-स्तरीय नीति संवाद:** 26 मार्च 2025 को, श्री भरत लाल ने इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'पिघलते ग्लेशियरों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना' पर उच्च-स्तरीय नीति संवाद में आधार व्याख्यान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल उपलब्धता केवल आवश्यकता नहीं बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा है, क्योंकि इसकी कमी सामाजिक-आर्थिक विकास को बाधित करती है, आजीविका को प्रभावित करती है और भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाती है।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल जिनेवा में 'ग्लेशियरों के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना' विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद में मुख्य भाषण देते हुए

- **विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंतकालीन बैठक:** 23 अप्रैल 2025 को विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वसंतकालीन बैठक में, राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन परिषद (एनएचआरसी) के महासचिव श्री भरत लाल ने 'शहरों को सशक्त बनाना: शहरी अवसंरचना और रोजगार प्रदान करने में उप-राष्ट्रीय वित्तपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका' शीर्षक वाले सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 'शहरों को सशक्त बनाना: शहरी अवसंरचना और रोजगार प्रदान करने में उप-राष्ट्रीय वित्तपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका' शीर्षक वाले उच्च स्तरीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में, श्री लाल ने शहरी विकास में भारत की उल्लेखनीय यात्रा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, लोगों के कल्याण और उनके मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में उप-राष्ट्रीय शासन और वित्तपोषण के महत्वपूर्ण महत्व का एक अंतर्दृष्टिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंतकालीन बैठकों में भाषण देते हुए

- **समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए बहुक्षेत्रीय भागीदारी पर उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद:** 11 जून 2025 को, भारत के राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव श्री भरत लाल ने फ्रांस के नीस में इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के एक आधिकारिक कार्यक्रम 'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए बहुक्षेत्रीय भागीदारी' विषय पर उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में श्री लाल ने कहा कि यह संवाद 2025 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की गति को आगे बढ़ाता है और सतत विकास लक्ष्य 14: जल के नीचे जीवन को लागू करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि महासागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं और वैश्विक स्तर पर 3 अरब से अधिक लोगों का समर्थन करते हैं।

▶ संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के एक कार्यक्रम में आयोजित 'समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए बहुक्षेत्रीय भागीदारी' विषय पर उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद में एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल अध्यक्षीय भाषण देते हुए

- **यूरोपीय संघ के राजदूत और सदस्य देशों के राजदूतों एवं राजनयिकों के साथ संवादात्मक सत्र:** 21 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ, नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के भारत में राजदूत श्री हर्वे डेल्फिन द्वारा आयोजित एक संवादात्मक सत्र में शामिल हुए। इस सत्र में 27 सदस्य देशों के राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री लाल ने

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ, नई दिल्ली में 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

लोकतंत्र, विविधता और मानवीय गरिमा के उन साझा मूल्यों पर जोर दिया जो भारत-यूरोपीय संघ सहयोग का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने सभ्यतागत लोकाचार और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संवैधानिक ढांचे, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार निकायों की संस्थागत संरचना और विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों के कामकाज तक, भारत में मानव अधिकारों के विकास का संक्षिप्त विवरण दिया।

- **अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच:** 12 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय राष्ट्रीय संरक्षण आयोग (एनएचआरसी) के भारत महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसएफ) के बोर्ड के साथ बातचीत की। उन्होंने जीवन की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने, जीवन और व्यापार में सुगमता बढ़ाने और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की जानकारी दी। सत्र का संचालन यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष और सीईओ श्री मुकेश अघी ने किया। इसमें कई प्रख्यात वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें पूर्व जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और राजदूत श्री तरनजीत सिंह संधू आदि शामिल थे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए।

▶ एनएचआरसी, भारत के भारत के महासचिव श्री भरत लाल यूएसआईएसपीएफ के बोर्ड के साथ बातचीत करते हुए

द्विपक्षीय बातचीत और प्रतिनिधिमंडल दौरे

पूरे वर्ष के दौरान, एनएचआरसी इंडिया ने स्वीडन, जर्मनी, यूएनडीपी इंडिया, नेपाल मानव अधिकार आयोग और इंडोनेशिया के मानव अधिकार मंत्री के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त और डेनमार्क के राजदूत ने भी आयोग का दौरा किया और अध्यक्ष एवं महासचिव से मुलाकात की। इन मुलाकातों से विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान हुआ और एनएचआरसी, भारत की वैश्विक साझेदारियों को और मजबूती मिली।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टॉप बहादुर मगर और सचिव श्री मुरारी प्रसाद खरेल, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार से मुलाकात करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बी. आर. षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव, श्री भरत लाल और वरिष्ठ अधिकारी मानव अधिकार मंत्री श्री नतालियस पिगाई के नेतृत्व में आए इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल, भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त महामहिम सुश्री लिंडी कैमरून से बातचीत करते हुए

ऑनलाइन बैठकें

- व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह की बैठक: 23 अप्रैल 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगके संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निगरानी मानव अधिकार नीति संपर्क कार्यालयों के प्रभाग प्रमुख श्री मारिज़न सैंटोस ने इसकी अध्यक्षता की। भारत के अलावा, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, जर्मनी, मोरक्को, मलावी, उत्तरी आयरलैंड, फिलीपींस, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क सहित अन्य एनएचआरआई ने भी भाग लिया। एजेंडा में कार्य समूह के उपाध्यक्ष का चुनाव शामिल था, जिसमें मोरक्को एनएचआरआई को सर्वसम्मति से चुना गया। समूह ने 2025/2026 की रणनीतिक योजना की समीक्षा की, जिसमें बीएचआर पर 14वें संयुक्त राष्ट्र मंच को प्रस्तुत प्रस्ताव भी शामिल था। कार्य समूह की आगामी बैठकों में प्रवासी श्रमिकों, लैंगिक समानता और काम पर चर्चा करने का भी निर्णय लिया गया।
- 23 जून 2025 को, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद (एनएचआरसी) के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने संयुक्त राष्ट्र प्रवासन नेटवर्क की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 2025-2026 के लिए नेटवर्क की कार्य योजना का शुभारंभ किया गया और प्रवासन एमपीटीएफ (बहु-भागीदार न्यास कोष) परामर्श मंच को भी शामिल किया गया। इस बैठक में विश्व भर से 131 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 13 अगस्त 2025 को संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार सुश्री प्रेरणा हसीजा ने व्यापार और मानव अधिकार पर GANHRI कार्य समूह में भाग लिया।
- 24 से 26 नवंबर 2025 तक, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार सुश्री प्रेरणा हसीजा, एनएचआरसी, भारत ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित पैलेस डेस नेशन्स में आयोजित 'संकटों और परिवर्तनों के बीच व्यापार और मानव अधिकारों पर कार्रवाई में तेजी लाना' विषय पर 14वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकार मंच में भाग लिया।
- 8 सितंबर 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सलाहकार (अनुसंधान) सुश्री वर्षा आप्टे ने 'अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) पर लर्निंग कॉल: राज्य-नेतृत्व वाली राष्ट्रीय आईएचएल समितियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच अभिसरण बिंदु' में भाग लिया। इसका आयोजन फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया था।
- 10 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने व्यापार और मानव अधिकार संबंधी मासिक गान्हरी कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।
- 18 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक और सलाहकार (अनुसंधान) सुश्री वर्षा आप्टे ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के लिए लैंगिक रणनीति टूलकिट के विकास में योगदान देने हेतु एपीएफ लैंगिक रणनीति संदर्भ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 4 दिसंबर 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव श्री भरत लाल ने मान्यता संबंधी उप-समिति के ब्यूरो सदस्यों के समक्ष ऑनलाइन मौखिक प्रस्तुति दी।
- 16 दिसंबर 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक, अनुसंधान सलाहकार सुश्री वर्षा आप्टे और कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार सुश्री स्तुति जोशी ने वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज तैयार करने हेतु गठित अंतर-सरकारी कार्य समूह (ओईआईजीडब्ल्यूजी-वृद्धजन) की बैठक में भाग लिया।
- 15 दिसंबर 2025 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एसएसपी श्री युवराज ने पडुआ विश्वविद्यालय मानव अधिकार केंद्र और अफ्रीकी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के नेटवर्क द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय जांच और आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार निगरानी" विषय पर एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

एनएचआरआई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण और अधिगम कार्यक्रमों में विदेश में भेजा ताकि मानव अधिकारोंकी वैश्विक दृष्टिकोण से समझ को विस्तारित किया जा सके। आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए मानव अधिकारों पर आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया।

विदेश में

जलवायु-प्रेरित गतिशीलता में मानव अधिकारों की निगरानी पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम

14 से 16 अक्टूबर 2025 तक, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक, एसएसपी श्री हरि लाल चौहान और उप रजिस्ट्रार (विधि) श्री मुकेश ने कोलंबो, श्रीलंका में राउल वालेंबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'जलवायु-प्रेरित गतिशीलता में मानव अधिकारों की निगरानी पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम' में भाग लिया।

▶ कार्यशाला में एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक; एसएसपी, श्री हरि लाल चौहान और उप रजिस्ट्रार (विधि), श्री मुकेश

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर कार्यशाला

28 से 30 अक्टूबर 2025 तक, भारत के राष्ट्रीय आर्थिक आयोग (एनएचआरसी) की एसएसपी श्रीमती इलाकिया करुणागरन और उप रजिस्ट्रार (विधि) श्री इंद्रजीत कुमार ने बैंकॉक, थाईलैंड में एपीएफ और ओएचसीएचआर द्वारा आयोजित 'आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार व्यवहार में: निगरानी, कार्यान्वयन और अच्छी प्रथाएं' विषय पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

भारत में ग्लोबल साउथ के लिए आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए मानव अधिकारों पर दो 6-दिवसीय आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनएचआरआई की क्षमताओं को मजबूत करना है और यह वैश्विक मानव अधिकार संवाद, साउथ-साउथ सहयोग और अधिकार आधारित शासन के सामूहिक विकास के प्रति आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसने सहयोगात्मक सीखने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति तथा मानव विकास को बढ़ावा देने में सहयोग को भी प्रोत्साहित किया, ताकि सामूहिक कल्याण सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में प्रमुख व्यक्तियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव सत्र शामिल थे, और प्रतिभागियों को भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव प्राप्त हुआ।

▶ नई दिल्ली में आयोजित मानव अधिकार पर तीसरे एनएचआरसी आईटीईसी क्षमता-निर्माण कार्यक्रम में वैश्विक दक्षिण के आठ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के प्रतिभागियों के साथ एनएचआरसी, भारत और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे

मार्च 2025 में, इस कार्यक्रम में मैडागास्कर, युगांडा, तिमोर-लेस्ते, डी.आर. कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंज़ानिया, बुरुंडी और तुर्कमेनिस्तान के 11 एनएचआरआई के 35 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। एक समान कार्यक्रम सितंबर 2025 में आयोजित किया गया, जिसमें मॉरिशस, जॉर्डन, जॉर्जिया, फिलीपींस, कतर, फीजी, उज़्बेकिस्तान, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, मोरक्को और पैराग्वे के 12 एनएचआरआई के 43 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में सांस्कृतिक अनुभव यात्रा भी शामिल थी और इसे वैश्विक मानव अधिकार सहयोग के बारे में प्रेरणादायक टिप्पणियों के साथ समाप्त किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की विशेष सामग्री, प्रमुख वक्ताओं और ज्ञान साझा करने के अवसरों की अत्यधिक सराहना की। उन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और एनएचआरसी , भारत ने भविष्य में गहरे सहयोग के लिए संभावित समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन नई दिल्ली में मानव अधिकारों पर आयोजित चौथे आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

प्रकाशन और पुस्तकालय

एनएचआरसी ने मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाने के लिए अपनी प्रकाशनों का विस्तार जारी रखा। अंग्रेज़ी और हिंदी में मासिक न्यूज़लेटर्स के अलावा, 100 से अधिक प्रकाशन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष, दो वार्षिक प्रकाशन - जर्नल (अंग्रेज़ी) और नई दिशाएँ (हिंदी) जारी किए गए।

मीडिया इंटरफ़ेस

आयोग अपनी पहल और गतिविधियों के माध्यम से मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, आयोग ने 129 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं और अपनी X हैंडल पर 366 से अधिक महत्वपूर्ण पोस्ट और 1,020 रीपोस्ट किए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपने मासिक न्यूज़लेटर्स (अंग्रेज़ी और हिंदी) के सॉफ्ट कॉपी वितरण का दायरा भी बढ़ाया। देशभर के विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में एनएचआरसी की कार्रवाइयों और गतिविधियों के बारे में 8,500 से अधिक समाचार क्लिपिंग्स प्रकाशित हुईं, जो मीडिया द्वारा इन्हें दिए गए महत्व को दर्शाती हैं। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर, अध्यक्ष के तीन इंटरव्यू डीडी नेशनल, डीडी इंडिया, आकाशवाणी समाचार और महासचिव के दो इंटरव्यू आकाशवाणी समाचार और रेड एफएम पर रिकॉर्ड किए गए और प्रसारित किए गए, ताकि मानव अधिकारों और आयोग की गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

प्रतियोगिताएं और पुरस्कार

एनएचआरसी शॉर्ट फ़िल्म प्रतियोगिता

मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आयोग लघु फिल्मों, फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं आदि जैसे वैकल्पिक मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए नागरिकों की सहभागिता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। 2024 की लघु फिल्म प्रतियोगिता का समापन मार्च 2025 में फिल्मों के चयन और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन लघु फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्यगण न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ

2024 की प्रतियोगिता में देशभर से रिकॉर्ड 303 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 243 को योग्य पाया गया। तीन चरणों की कड़ी निर्णायक प्रक्रिया के बाद, एनएचआरसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की निर्णायक मंडल द्वारा विजेता फिल्मों का चयन किया गया। प्रथम पुरस्कार इंजीनियर अब्दुल राशिद भट की फिल्म 'दूध गंगा - वैलीज डाइंग लाईफलाइन' को मिला, जिसमें पर्यावरण के क्षरण और स्वच्छ जल के अधिकार पर प्रकाश डाला गया था। बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए कादरप्पा राजू की फिल्म 'फाइट फॉर रॉइट्स' को द्वितीय पुरस्कार मिला, जबकि पीने योग्य जल के महत्व पर बल देने वाली आर. रविचंद्रन की मूक फिल्म : 'गॉड' ' को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मानव अधिकारों से जुड़े अपने प्रभावशाली विषयों के लिए चार फिल्मों को एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार 2024 में विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। हनीश उंद्रामतला की फिल्म 'अक्षरभ्यासम' एक मूक लेकिन सशक्त कथा के माध्यम से बाल शिक्षा के महत्व को उजागर करती है। आर. सेल्वम की फिल्म 'विलयिल्ला पट्टाथारी (एक सस्ता स्नातक)' वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और चुनौतियों पर केंद्रित है। मदाका वेंकट सत्यनारायण की फिल्म लाइफ ऑफ सीता कुछ धार्मिक प्रथाओं से जुड़े बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करती है और सामाजिक सुधार का आह्वान करती है। लोटला नवीन की फिल्म 'बी अ ह्यूमन' महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बालिका परित्याग और सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को संबोधित करती है। आयोग ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय फिल्मों को क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपये के तीन नकद पुरस्कारों के अलावा 'विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र' के लिए चयनित चार फिल्मों को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया।

पुरस्कार विजेता फिल्मों को मानव अधिकार जागरूकता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु एनएचआरसी की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है।

एनएचआरसी मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता के 11वें संस्करण के लिए आयोग को एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में 526 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं; जिनमें से 438 को जांच के बाद योग्य पाई गईं। पुरस्कार विजेता फिल्मों के चयन के लिए तीन चरणों में जूरी प्रक्रिया चल रही है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एनएचआरसी वाद-विवाद प्रतियोगिता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने सशस्त्र सीमा बल के सहयोग से नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अपनी 30वीं वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता का अंतिम दौर आयोजित किया।प्रतियोगिता का विषय था: 'मानव अधिकारों का पालन अर्धसैनिक बलों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से समझौता किए बिना किया जा सकता है।'अंतिम दौर में 16 प्रतिभागियों ने हिंदी और अंग्रेज़ी में प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बहस की, जो सेमीफाइनल और ज़ोनल दौर के बाद हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में दौड़ की ट्रॉफी जीती।

सीआईएसएफ की विजेता टीम, एनएचआरसी, भारत अध्यक्ष; सदस्य; महासचिव, महानिदेशक (अन्वेषण); विशेष महानिदेशक, एसएसबी; और जूरी सदस्यों के साथ

आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम

आयोग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ

बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का एक दृश्य

आयोजित की गई ताकि कर्मचारियों को आधिकारिक भाषा का उपयोग करने और लिखित आधिकारिक संचार में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिससे मानव अधिकार जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली।

2025 का वर्ष आयोग के लिए बहुआयामी और सफल रहा, जिसमें इसके सभी गतिविधियों ने पीएचआर अधिनियम के तहत मानव अधिकारोंके संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग के दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा किया।

घोषणा

वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई हेतु 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)
(23–29 मार्च 2026, नई दिल्ली)

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) 23 से 29 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) ढांचे के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

इससे पहले आयोजित 4 कार्यक्रमों में 27 देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के 132 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में मानव अधिकारों से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है।

भारत के एनएचआरसी द्वारा प्रायोजित आगामी कार्यक्रम

I. मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ

क्रमांक	संस्थान का नाम	दिनांक
1.	विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	6-8 फरवरी 2026
2.	प्रेसिडेंसी स्कूल ऑफ लॉ, बेंगलुरु, कर्नाटक	20-22 फरवरी 2026
3.	स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना विश्वविद्यालय, फ़रीदाबाद, हरियाणा	12-14 मार्च 2026
4.	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार	12-14 मार्च 2026
5.	विधि संकाय, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कपाशेरा, नई दिल्ली	12-14 मार्च 2026
6.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज टेक्निकल कैंपस, दिल्ली	13-15 मार्च 2026
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा	13-15 मार्च 2026
8.	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला	26-27 मार्च 2026

II. सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	संस्थान का नाम	दिनांक	विषय
1.	नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा	30-31 जनवरी 2026	भारत में बाल अधिकारों की पुनर्कल्पना: नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव का आकलन
2.	कार्मेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फॉर विमेन, नुवेम, सालसेट, गोवा	3 फरवरी 2025	मानव अधिकारों के लिए युवाओं को सशक्त बनाना: हाशिए पर रहे समूहों की चिंताओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता
3.	स्नेहा फाउंडेशन ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	25-28 फरवरी 2026	आत्महत्या पर वैज्ञानिक अद्यतन 2026
4.	आरआईएमटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली जालंधर जीटी रोड (एनएच 1) सरहिंद साइड, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब	16-17 मार्च 2026	डिजिटल फोरेंसिक्स और मानव दुर्व्यापार
5.	बार एसोसिएशन, ओडागाँव, सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ओडागाँव, जिला-नयागढ़, ओडिशा	31 मार्च 2026 से पहले	मानव अधिकार संरक्षण के लिए बार की भूमिका

III. मानव अधिकारों पर सहयोगात्मक सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ

क्रमांक	संस्थान का नाम	दिनांक	विषय
1.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कटक, ओडिशा	31 जनवरी 2026	समावेशी उच्च शिक्षा एक मानव अधिकार के रूप में: भारतीय विश्वविद्यालयों में लिंग, आयु और अंतर्संबंधी असमानताओं का समाधान
2.	ए.वी.सी.कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मन्नमपंडाल, मयिलादुथुराई, तमिलनाडु	13 फरवरी 2026	महिलाओं के सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने पर कार्यशाला: यौन उत्पीड़न और साइबर शोषण के लिए कानूनी जागरूकता और रिपोर्टिंग तंत्र

IV. ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओसटीआई) कार्यक्रम

क्रमांक	महीना	दिनांक
1.	ओएसटीआई – फरवरी, 2026	2 से 13 फरवरी 2026
2.	ओएसटीआई – मार्च, 2026	9-20 मार्च 2026

V. एनएचआरसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम

दिनांक	विषय	वक्ता	उद्देश्य
20 फरवरी 2026	जागरूकता से कार्रवाई तक: POSH के अंतर्गत लैंगिक संवेदनशीलता	सुश्री सुनीता धर, संस्थापक जागोरी और कोर ग्रुप सदस्य, एनएचआरसी	कर्मचारियों को उन पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करना जो लोगों के प्रति उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं (अक्सर अनजाने में ही रूढ़ियों को मजबूत करते हैं) और सभी लिंगों के लिए अधिक सम्मानजनक, न्यायसंगत कार्यस्थल को बढ़ावा देना।

VI. एनएचआरसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक	विषय	विवरण
25 फ़रवरी 2026	साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें	यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है और साइबर अपराध से निपटने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी संसाधन व्यक्ति होंगे।

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95